खण्ड-174, अंक-4
मंगलवार, 2 श्रावण, शक संवत् 1878
(24 जुलाई, 1956 ई0)

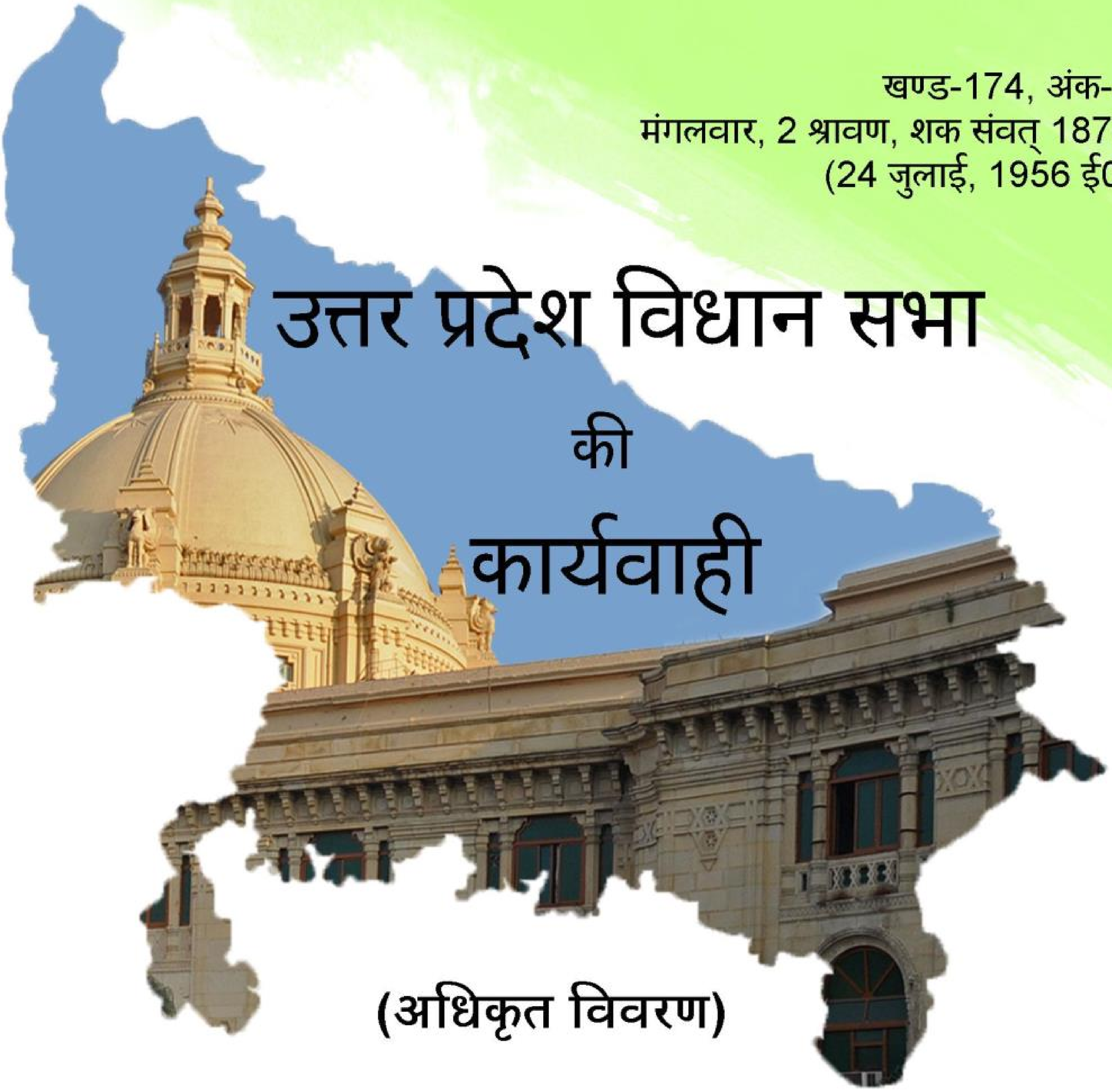

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 174 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार २४ जुलाई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३१९)

अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
कशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवपांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री

छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्शदास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेंद्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द्र, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वर दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री (गोंडा)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्भरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री

अवैध प्रदर्शन प्रतिबंधित

मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर,कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूहल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुबीरसिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम राज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेख राज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वसीनकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजबिहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहांमखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
साकिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीदखां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २४ जुलाई, १९५६

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील में टांडा नहर में ली गयी जमीन का मुआवजा न मिलना

*१—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टांडा नहर के लिये जिला आजमगढ़ की तहसील फूलपुर के टहर वाजिदपुर लहरपार और पासीपुर एवं कुम्हवट में कितने किसानों की कितनी जमीन ली गई है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—टांडा नहर के लिये जिला आजमगढ़ की तहसील फूलपुर के लहरपार, पासीपुर एवं कुम्हवट के ग्रामों में १५९ किसानों की ९४ बीघा, १८ बिस्वा और १२ बिस्वांसी जमीन ली गई है। टहर वाजिदपुर ग्राम टांडा नहर के अन्तर्गत नहीं आता है।

*२—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन ग्रामवासियों को अब तक मुआविजा दिया गया या नहीं ?

श्री राममूर्ति—मुआवजे के कागजात बन रहे हैं और मुआवजा सितम्बर, १९५६ तक अदा कर दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जमीन कब ली गई थी ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास महीने का तो इसमें जिक्र नहीं है कि किस वक्त ली गई थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किस सन् में यह जमीन नहर बनाने के लिये ली गई?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मेरा खयाल है कि ५४ में तो यह काम शुरू हुआ। ५५ में शायद यह जमीन ली गई होगी गत वर्ष।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जमीन लेने के बाद इस जमीन की मालगुजारी भी सरकार ने वसूल की है ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास जो सूचना है उसमें तो यह लिखा हुआ है कि अभी इस जमीन का कब्जा नहीं लिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि किसानों को जो मुआवजा दिया जाय उसके साथ-साथ उनकी मालगुजारी भी वापस की जाय ?

श्री राममूर्ति—ऐसा कायदा है कि अगर मुआवजा मिलने से पहले लगान ले लिया जाता है तो मुआवजा देते वक्त मुआवजा भी दिया जाता है और जो लगान ले लिया जाता है वह भी वापस कर दिया जाता है।

नोट—तारांकित प्रश्न १–२ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि किसानों की जमीन को जो ले ली गई है नहर के लिये उसका लगान लेने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति---मैंने अर्ज किया कि कब्जा नहीं लिया है ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे पासीपुर ग्राम में इस नहर की कितनी शाखें निकाली जा रही हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह उठता नहीं इससे सवाल। यह सिर्फ पूछा गया है इसमें कि जमीन ली गई ।

श्री व्रजबिहारी मिश्र---माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के संबंध में प्रश्न है कि बहुत अधिक जमीन ली गई है ।

श्री अध्यक्ष---जमीन ली गई है तो इससे नहर का पूरा नक्शा थोड़े ही आप पूछ सकते हैं?

श्री व्रजविहारी मिश्र---तो क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि नहरपार ग्राम में और पासीपुर ग्राम में किसानों की बहुत अधिक जमीन इस नहर के लिये ली गई है?

श्री राममूर्ति---इसमें तो कुल ९४ बीघा लिखा हुआ है। अगर इसको माननीय सदस्य ज्यादा समझते हों तो मैं नहीं जानता लेकिन नहर के लिये जितनी जरूरत समझी गई होगी उतनी ही जमीन ली गई होगी, ज्यादा जमीन लेने का तो कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता ।

श्री व्रजविहारी मिश्र---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि ९४ बीघा जो कहा है वह सब गांवों में है या सिर्फ पासीपुर गांव में है ?

श्री राममूर्ति---मैंने इसमें पढ़ा कि नहरपार, पासीपुर एवं कुम्हट तीन गांवों की जमीन के बारे में जिक्र है ।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जिस जमीन के बारे में बतलाया गया है कि कब्जा नहीं लिया गया है वहां पिछले साल ही नहर खोद दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कब्जे के माने यह हैं कि रिक्वीजीशन की कार्यवाही पूरी नहीं हुई है । नहर जो खोदी गई है, कई बार असेम्बली में कहा जा चुका है और माननीय सदस्यों के उत्तरों में भी कहा जा चुका है कि जब लोगों से हमें इजाजत मिल जाती है तब हम नहर खोद देते हैं और मुआवजे की कार्यवाही होती रहती है । इस तरह से जल्दी-जल्दी हमने कार्य किया भी है । नहर खोद दी गई है, कब्जा इस माने में नहीं हुआ कि रिक्वीजीशन की कार्यवाही पूरी नहीं हुई होगी। उसके पूरे होते ही मुआवजा दे देंगे और यदि लगान वसूल हो चुका है तो जैसा कि अनेक बार कहा जा चुका है लगान की पूरी रकम वापस कर दी जायगी ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५४ में जमीन ली गई तो दो वर्ष का समय व्यतीत हो गया, मुआवजे की कार्यवाही क्यों नहीं पूरी हुई ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने १९५५ कहा है ।

श्री राजनारायण—१९५४ कहा है ।

श्री अध्यक्ष—१९५४ में काम शुरू हुआ और ५५ में जमीन ली गई, यह उन्होंने कहा है ।

श्री राजनारायण—मुआवजा देने में इतना बिलम्ब हो रहा है और मुआवजा देने में.....

श्री अध्यक्ष—यह तो आप भाषण दे रहे हैं पहले उत्तर सुन लें ।

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की कार्यवाही बहुत लम्बी चौड़ी है और जमीन लेने की हर जिले में कार्यवाही हो रही है । हमने ५ स्पेशल आफिसर्स भी रखे हैं जिससे काम जल्दी हो सके लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है । अब उम्मीद की जाती है कि काम जल्दी हो जायगा ।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नहर विभाग के लिये जो जमीन ली जाती है उसके मुआवजे के लिये कोई अफसर होता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—माननीय सदस्य तो वकील हैं उन्हें मालूम होगा कि रिक्वीजीशन की कार्यवाही बहुत लम्बी होती है, इसके बाद मुआवजा मिलता है इसमें समय लगता ही, समय कम लगे इसके लिये पांच स्पेशल आफिसर्स रख दिये हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी आदेश देंगे कि जितने सरकारी काम बनते हैं और जो जमीन ली जाय उसकी मालगुजारी तत्काल बन्द कर दी जाय ?

श्री राममूर्ति—लैंड ऐक्वीजीशन का मामला बड़ा पेंचीदा है । बावजूद इसके कि कई बार कोशिश की गई है लेकिन कानूनी अड़चनें हैं जिसकी वजह से मुआवजा मिलने में देर होती है । अभी कानून में तरमीम नहीं हो पाई है जिसकी वजह से दिक्कत चली जा रही है ।

श्री रामेश्वरलाल—क्या सरकार उन ग्राम समाजों को जिनमें होकर वह नहर गुजरती है, आदेश देने की कृपा करेगी जिससे उन किसानों के पास जमीन लेने के बाद कुछ बचता नहीं है, ग्राम समाज से उनको जमीन दी जाय ?

श्री राममूर्ति—यह तो ग्राम समाजों को पूरा अख्तियार है वह जिनको चाहें जमीन दें । उनके केसेज हार्ड हैं अगर वह अप्लाई करेंगे तो उनको जरूर मिलनी चाहिये ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस तारीख को एक्वीजीशन का नोटिस दिया गया जिनकी जमीन ली गई है ?

श्री राममूर्ति—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि जिन-जिन खेतों में से सार्वजनिक स्थान बनाये जायं उन खेतों की मालगुजारी सरकार माफ कर दे ?

श्री राममूर्ति—मैं तो अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि यह सुझाव माननीय माल मंत्री जी के पास भेज दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

*३—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—[४ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

इलाहाबाद जिले में बाढ़ से बचाव के लिये कार्य

*४—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला इलाहाबाद से शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जहां बाढ़ के कारण अथवा अति जलवृष्टि

के कारण वहां के निवासियों को नीची जमीन होने के कारण जान तथा माल की क्षति पहुंचती है उसके बचाव के लिये कितना रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रक्खा गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राममूर्ति---राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ संबंधी योजनायें सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि भारत सरकार के आदेशानुसार ऐसी सभी योजनाओं की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के सिंचाई मंत्रालय की पंचवर्षीय योजना में है। इलाहाबाद जिले की फूलपुर, हंडिया तथा करछना तहसीलों में बाढ़ रक्षार्थ नये नालों का निर्माण और वर्तमान नालों का पुनर्निर्माण का कार्य, जिसकी लागत १० लाख रुपया है, शुरू कर दिया गया है। २३ गांवों का स्तर २.३ लाख रुपये की लागत पर ऊंचा किया जा रहा है।

श्री कल्याण चन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि करछना तहसील के कौन-कौन से गांवों के अन्दर नालों के निर्माण तथा पुनर्निर्माण की योजना है तथा कौन-कौन से गांवों में काम शुरू कर दिया गया है ?

श्री राममूर्ति---यह फेहरिस्त इस वक्त मेरे पास नहीं है। मोटे तौर पर जो स्कीम थी वह मैंने आपके सामने रख दी है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या यह सही है कि करछना गांव जिसका नाम नकटहा है वह पानी के कटाव से बह गया है ? यदि हां, तो उन ग्रामवासियों को बसाने के लिये सरकार ने क्या आयोजना की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरे पास तो इस वक्त इसकी कोई सूचना नहीं है कि कौन सा गांव वहां कट गया और अगर गांव कोई कटता है तो फिर वहां के लोगों को हटाने का काम वहां के जिला मैजिस्ट्रेट करते हैं बाढ़ के समय कटाव से बचाने की जो योजना है वह मैंने आपको बतलायी।

इलाहाबाद जिले में नहर से सींची जाने वाली भूमि

*५---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में कितनी भूमि पर खेती होती है और कितनी भूमि पर नहर के द्वारा सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है ?

श्री राममूर्ति---इलाहाबाद जिले में १०,९६,७०० एकड़ भूमि पर खेती होती है। इस क्षेत्र में नहर तथा अन्य सरकारी साधनों से प्रथम पंचवर्षीय योजना में २,२७,००० एकड़ भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वागला टैंक और मेजा जलाशय के निर्माण होने पर २,८७,००० एकड़ भूमि पर प्रबन्ध हो जायगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किन-किन तहसीलों में यह कार्य हो चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेजा, करछना, हंडिया और फूलपुर में सिंचाई के साधनों का विस्तार बहुत हुआ है। फूलपुर, हंडिया में ट्यूबेल्स का और मेजा, करछना में नहर का, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो सम्मुख है उसका जिक्र आपके सामने कर ही दिया गया है।

*६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[६ अगस्त, १९५६ के लिये प्रश्न २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बस्ती–कलावरी सड़क के निर्माण पर अनुमानित व्यय

*७—श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या यह सही है कि बस्ती-कलवारी सड़क को जो टांडा जिला फैजाबाद को जाती है सरकार ने पी० डब्ल्यू० डी० को सौंप दिया है ? यदि हां, तो इस सड़क के निर्माण के लिये कुल कितना रुपया व्यय करने का सरकार ने निश्चय किया है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—प्रथम भाग—जी हां ।

द्वितीय भाग—बस्ती-कलवारी टांडा सड़क के निर्माण पर लगभग ५.६० लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है ।

*८—श्री शिवनारायण—क्या सन् १९५६–५७ में भी इस पर व्यय करने के लिये कुछ रुपया मंजूर हुआ है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वर्तमान वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के बजट में बस्ती-कलवारी टांडा सड़क के लिये ०.९३ लाख रुपये का आयोजन किया गया है ।

*९—श्री शिवनारायण—क्या इस सड़क पर काम शुरू हो गया है ? यदि नहीं, तो काम कब तक शुरू होने की संभावना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—सड़क के एस्टिमेट को सरकार की स्वीकृति मिलने के पश्चात कार्य आरम्भ होगा ।

श्री अध्यक्ष—मैं एक सुझाव देता हूं इस विषय में कि जहां एक लाख से भी कम है वहां दशमलव में कहने के बजाय हजार में कर देते तो ज्यादा स्पष्ट हो जाय ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—बहुत अच्छा । क्योंकि उत्तर में .९३ लाख रुपया है इसलिये ९३ हजार पढ़ना उचित नहीं समझा ।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितने दिनों से इस सड़क पर मरम्मत नहीं हुई है और इस सड़क पर कुल कितने पुल हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह तो श्रीमन्, अभी तक जिला बोर्ड के पास थी इस लिये उसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री शिवनारायण—क्या यह सही नहीं है कि .९३ लाख रुपया जो मंजूर हुआ है ५६–५७ के बजट में वह निर्माण के लिये है या मरम्मत के लिये है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह तो निर्माण के लिये है ।

श्री शिवनारायण—क्या यह सही नहीं है कि ५.६० लाख रुपया रक्खा गया है उसमें डेढ़ लाख रुपया प्लानिंग के लिये भी शामिल है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इस सड़क को दो भागों में लिया गया है पुनर्निर्माण के लिये बस्ती-कलवारी टांडा इसके लिये ३ लाख ६० हजार और नये निर्माण में कलवारी टांडा २ लाख रुपये। इस प्रकार से ५ लाख ६० हजार रुपये हैं।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इसका एस्टिमेट कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--बन ही चुका है। जो विभागीय कार्यवाही होती है वही केवल बाकी है।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि अक्तूबर तक इस पर काम शुरू करा देगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह कहना तो बहुत कठिन है लेकिन आशा करता हूं कि बहुत शीघ्र कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

*१०--**श्री रामस्वरूप** (जिला मिर्जापुर)--[७ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

बनारस बिजली कम्पनी को नलकूपों को बिजली देने के लिये ऋण

*११--**श्री सुरेंद्र दत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बनारस बिजली कम्पनी को बनारस, जौनपुर में नलकूपों को, बिजली देने के लिये सरकार ने अब तक, कुल कितना ऋण दिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सरकार ने बनारस बिजली कम्पनी को, नलकूपों को बिजली देने के लिये अब तक १० लाख रुपया ऋण के रूप में दिया है।

*१२--**श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह किस तिथि को दिया था और अब तक कितने नलकूपों को बिजली दी जा चुकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह ऋण २९ मार्च, १९५५ को दिया गया था। कम्पनी ने ३१ मार्च, १९५६ तक अपनी लाइन से ४१ नलकूप चालू किये हैं और कम्पनी से सरकार ने १००० के० वी० ए० बिजली लेकर ८९ नलकूप और चालू किये हैं।

आजमगढ़ जिले की मऊ नगरपालिका के विरुद्ध शिकायतें

*१३--**श्री श्रीनाथ राम** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की मऊ नगरपालिका के प्रति वहां की जनता से अत्यधिक असन्तोष उसके कुप्रबन्ध, अपव्यय तथा अनायास मुकदमों में वृद्धि के कारण व्याप्त है ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--जी नहीं।

*१४--**श्री श्रीनाथ राम**--क्या डिवीजनल कमिश्नर ने इन्हीं आरोपों के आधार पर गत वर्ष नगरपालिका की जांच की थी और क्या रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि पालिका पर जनता का विश्वास नहीं है ? यदि यह सत्य है, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की और आगे क्या करने जा रही है ताकि जनता का हित सुरक्षित रहे ?

श्री कैलाश प्रकाश--कमिश्नर ने किसी आरोप के आधार पर नगरपालिका की जांच नहीं की पर अपने एक दौरे के सिलसिले में उन्होंने नगरपालिका का भी निरीक्षण किया था। अपनी रिपोर्ट में बोर्ड के कुछ कार्यों की सराहना के साथ-साथ उन्होंने जनता द्वारा

की गई आलोचनाओं की ओर संकेत करते हुए कहा कि यद्यपि कुछ अंशों तक इस आलोचना का आधार राजनीतिक दलबन्दी है, तथापि बोर्ड को भी उचित जनसेवा करके इन आलोचनाओं का प्रतिकार करना चाहिये ।

श्री श्रीनाथ राम--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस समय मऊ नगरपालिका के विरुद्ध सैकड़ों आरोपों की जांच सरकारी आदेशानुसार जिलाधीश द्वारा की जा रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश--सैकड़ों अर्जियां तो नहीं श्रीमन्, लेकिन जो कुछ शिकायतें आई हैं उनकी जांच हुई है और भी की जा रही हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनसे नगरपालिका के कुछ सदस्यों और वहां के कांग्रेसजनों की ओर से कोई लिखित डेपुटेशन मिला था और उसने लिखित शिकायत नगरपालिका के प्रबन्ध के मुताल्लिक की थी ?

स्वशासन मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--कुछ दिन हुए एक ऐसा डेपुटेशन आया था और जो-जो शिकायतें की गई थीं उनकी जांच कराई भी गई थी और कुछ की अभी हो भी रही है ।

श्री श्रीनाथ राम--क्या सरकार के पास इस तरह की शिकायत आई है कि नगरपालिका के कुछ सदस्यों ने सरकारी नजूल भूमि पर अपने मकान बनाये हैं और उस में से कुछ को बेच भी लिया है ?

श्री सैयद अली जहीर--तफसील तो मेरे पास नहीं है कि किस किस्म की शिकायतें हैं लेकिन हां, अभी जांच हो रही है ।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि उनके पास नगरपालिका के विरुद्ध किस प्रकार की शिकायतें आई हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--वह फाइल इस वक्त मेरे पास नहीं है, तफसील में अभी नहीं बता सकता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि माननीय सिंचाई मंत्री जी जब मऊ गए थे तो वहां के कांग्रेस जनों ने नगरपालिका के खिलाफ लिखित शिकायत उनके पास भेजी थी ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो सिंचाई मंत्री जी खुद ही बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूं ।

लखनऊ नगरपालिका में जलकर की वसूली

*१५--**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पानी का टैक्स लखनऊ नगरपालिका किस प्रकार वसूल करती है और सन् १९५२ से १९५५ तक कितने रुपये प्रतिवर्ष की वसूली की गई ?

श्री सैयद अली जहीर--लखनऊ नगरपालिका के जल-कर वसूली के नियम लखनऊ, नगरपालिका के अधिनियम (Bye laws) की किताब में प्रकाशित हैं और माननीय

सदस्य उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। सन् १९५२ से १९५५ तक जल-कर की वसूल की गई धनराशि का विवरण निम्नलिखित है:—

वर्ष	जल-कर की धनराशि
	रु०
१९५२–५३	८,८२,८६६
१९५३–५४	११,७५,५६७
१९५४–५५	१०,९२,३५६
१९५५–५६	१२,०४,६३७

*१६–१७—**श्री हरदयालसिंह पिपल** (जिला अलीगढ़)—[४ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१८–१९—**श्री तेजप्रताप सिंह** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—[३१ जुलाई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में लाल पताछ ताल से पानी के निकास के लिये योजना

*२०—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत लाल पताछताल में पानी एकत्रित हो जाने के कारण प्रति-वर्ष कितने एकड़ फसल का नुकसान होता है ?

श्री राममूर्ति—ताल पताछ में पानी एकत्रित होने के कारण लगभग ४०० एकड़ फसल की हानि प्रतिवर्ष होती है।

*२१—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार को विदित है कि इस ताल के आस-पास के कई गांवों के निवासियों ने वित्तीय वर्ष ५३–५४ में "श्रमदान द्वारा" पानी निकालने के लिये नाला खोदा था ?

श्री राममूर्ति—जी हां, आस-पास की जनता ने ताल पताछ से प्राकृतिक नाले का थोड़ा भाग श्रमदान द्वारा कुछ गहरा किया था। किन्तु यह लगभग सब ही मिट्टी से भर गया है।

*२२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगामी बरसात के पहिले उक्त ताल से पानी के निकास के लिये सरकारी स्तर पर वह नाला खोदवाने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—इस क्षेत्र का सर्वे (Survey) किया जा चुका है और फ्लड कंट्रोल बोर्ड (Flood Control Board) द्वारा एस्टिमेट (Estimate) स्वीकृत होने के पश्चात् काम शुरू कर दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लाल पताछ ताल के लिए कितने रुपये का एस्टीमेट बनाया गया है ?

श्री राममूर्ति—उसमें करीब १२–१४ हजार रुपया लगेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह एस्टीमेटस फ्लड कमेटी के सुपुर्द कब तक किए जायंगे और इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तो इतना छोटा सा बजट है कि वह फ्लड कमेटी के सामने नहीं जाता, इसको तो विभागीय ढंग से ही कर लेते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---लेकिन श्रीमन् उत्तर में तो यह दिया हुआ है कि रुपये की स्वीकृति हो जाने के बाद काम शुरू किया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सचिवालय से स्वीकार हो जाने पर विभागीय स्वीकृति समझी जाती है । स्वीकार होने के बाद ही काम शुरू हो जायगा ।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी के पास प्रदेश के ऐसे समस्त तालों के सम्बन्ध में जिन के द्वारा वहां की फसल को क्षति पहुंचती है कोई योजना है जिसके द्वारा पानी रुकने वाले स्थान को ठीक करके पानी के रास्ते को ठीक किया जा सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तो हम करते चलते हैं, जहां जहां सूचना मिलती है वहां की जांच-पड़ताल कर लेते हैं, यदि माननीय सदस्य कहीं के लिए सुझाव देंगे तो जांच करा ली जायगी और पानी निकालने का इंतजाम कर दिया जायगा वह तो हमारा काम ही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लाल पताछ ताल पर काम कब प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री राममूर्ति---जब वर्षा समाप्त हो जायगी और नाला खाली हो जायगा तब उसके बाद काम भी शुरू होगा । अब आज कल तो पानी भरा हुआ है तो काम ठीक नहीं होता ।

*२३-२४---**श्री जगपति सिंह** (जिला बांदा)---[४ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना को गांवों में लागू करने की आवश्यकता

*२५---**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार शहरों की भांति गांव की गरीब जनता को मकान बनाने की सहूलियत देने तथा गांवों में आदर्श मकान बनाने की योजना की आवश्यकता का अनुभव कर इस योजना को आगे बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना को, जो फिलहाल केवल शहरों में लागू की गई है, गांवों में बढ़ाने की अभी कोई सम्भावना नहीं है । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार एक अन्य योजना बना रही है । इसके बन जाने पर ही इस विषय में कुछ कहा जा सकता है ।

लकसर-ज्वालापुर सड़क पर पुल निर्माण योजना

*२६---**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लकसर-ज्वालापुर सड़क किन-किन गांवों में होकर ज्वालापुर पहुंचेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---लक्सर-ज्वालापुर सड़क ज्वालापुर, भिस्सरपुर, चपोला, फेरूपुर, कनेरी, मोहम्मदपुर, आदमपुर, सुल्तानपुर पीपली होती हुई लक्सर पहुंचेगी ।

*२७---**श्री दीनदयालु शास्त्री**---क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रस्तावित सड़क पर किन-किन नदियों पर पुल बनेंगे और उनके निर्माण में क्या व्यय होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस मार्ग पर बेगम नदी पर तथा पथरी में पुल बनेंगे। बेगम पुल की अनुमानित लागत ४५,००० रुपये होगी तथा पथरी पुल की अनुमानित लागत ८०,००० रु० होगी।

श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या यह सच है कि विभाग के अधिकारियों ने ज्वालापुर से खेरूपुर इस साढ़े चार मील के टुकड़े का एस्टीमेट सरकार को नहीं भेजा है। यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे तो इसके सम्बन्ध में ज्ञान नहीं।

श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बेगम नदी पर एक पुल बनेगा या दो पुल ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---एक ही पुल की योजना है।

श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या यह सच है कि ज्वालापुर से लक्सर जाने में बेगम नदी दो बार पड़ती है और यदि हां, तो क्या दो पुल बनाने की व्यवस्था की जायगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसको विभागीय दृष्टि से देखना होगा कि दो पुलों की आवश्यकता होगी या एक की और यह भी सम्भव है दो की आवश्यकता हो। इस समय एक ही पुल बनेगा और दूसरे को फैरी से पार करने का आयोजन कदाचित किया जाय।

जौनपुर जिले में रेडियो सेटों का वितरण

*२८---**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में कितने रेडियो सेट किन-किन ग्राम सभाओं अथवा अन्य संस्थाओं को सरकार द्वारा प्रदान किये गये हैं ?

सूचना मंत्री के सभासचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)---जिला जौनपुर को अब तक ६५ रेडियोसेट दिये गये हैं। इनमें से अप्रैल, १९५६ के अन्त तक ५४ रेडियो सेटों का वितरण किया गया था। यह ५४ सेट जिन ग्राम सभाओं अथवा अन्य संस्थाओं को दिये गये हैं उनके नामों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २७८-२७९ पर)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन रेडियो सेट्स की कीमत क्या है और कितना रुपया इन संस्थाओं से ले करके यह रेडियो दिये जाते हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---यहां पर तो है नहीं। लेकिन करीब तीन सौ रुपया उसकी कीमत होती है मय बैटरी के। जिसमें आधा केन्द्रीय सरकार देती है, आधा यू० पी० सरकार देती है और ७५ रु० संरक्षकों से लिया जाता है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जिनको रेडियो सेट देने की सूची दी गई है इन सब से क्या यह रुपया वसूल हो चुका है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---जी हां।

जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील के तीस गांवों को सिंचाई की असुविधा

*२९---**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में मौजा बारीगांव के इर्द-गिर्द के लगभग ३० से अधिक गांवों की सिंचाई का कौन-सा प्रबन्ध करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति---उक्त क्षेत्र में १४ नलकूप बन चुके हैं जिनसे लगभग ५,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इनके अतिरिक्त कुछ और नलकूप द्वितीय पंच-वर्षीय योजना काल में बनाने का प्रस्ताव है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या मंत्री जी इस बात का पता लगाने की कृपा करेंगे कि जो १४ नलकूप बन चुके हैं उनसे उन ३० गांवों को जिनके बारे में प्रश्न किया गया है सिंचाई की कोई सुविधा नहीं मिलती ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां। यह पता तो लगा लूंगा। लेकिन अगर इन गांवों को सुविधा नहीं मिलती है तो और नलकूप बन जायेंगे। कुछ गांवों को तो इनसे सुविधा मिलती ही होगी जहां १४ नलकूप बन गये हैं।

*३०---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---[१ अगस्त, १९५६ के लिये प्रश्न २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३१-३३---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---[४ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले में हैजे की रोकथाम करने में स्वास्थ्य अधिकारियों की निष्क्रियता के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--- मेरे पास एक दो काम रोको प्रस्ताव आये हुए हैं। पहला प्रस्ताव श्री राजनारायण जी और रामनारायण जी त्रिपाठी का है---

"जिला देवरिया के बरहज बाजार तथा आसपास के ५० गांवों में हैजे के कारण १०० से ऊपर मौतें हो चुकी हैं, बरहज में एक दिन में २० मृत्यु हुई। परन्तु जिला स्वास्थ्य अधिकारी निष्क्रिय बैठे रहे।

काशी के दैनिक 'आज' समाचार-पत्र के स्थानीय सम्वाददाता ने इस सम्बन्ध में समाचार तथा सोशलिस्ट पार्टी के जिला नेताओं के वक्तव्य छापे हैं, परन्तु सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इस विषम परिस्थिति पर वाद-विवाद करने के लिए सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह पूछूंगा कि इस विषय में कोई प्रकाश डालने की आप कृपा करेंगे ?

*नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, मुझे इस मोशन की प्रति-लिपि अभी मिली है। मैंने अभी डायरेक्टर महोदय से सूचना मंगाई है लेकिन वह मेरे पास पहुंची नहीं है। मेरे पास इससे पूर्व कोई इस प्रकार की इत्तला नहीं आई कि बरहज में जिस तरह से इस एडजर्नमेंट मोशन में बतलाया गया है कि हैजे की बीमारी का प्रकोप बहुत जोरों से चल रहा है। यदि माननीय सदस्य सूचना चाहते हैं तो मुझे कुछ समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कल तक तो इसकी सूचना आप प्राप्त कर लेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--- जी हां।

श्री अध्यक्ष---तो मैं इस कामरोको प्रस्ताव को कल ही ले लूंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थाना अदलहाट, जिला मिर्जापुर में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है---

"गत २८ मई को थाना अदलहाट, जिला मिर्जापुर की पुलिस ने उपमंत्री श्री कैलाशप्रकाश जी की उपस्थिति में स्थानीय कांग्रेसी एम० एल० ए० के इशारे तथा सहयोग से निरंकुश तथा बर्बर ढंग से लाठी वर्षा की और करीब एक दर्जन व्यक्तियों को घायल किया, उसने बहुत ही विषम परिस्थिति पैदा कर दी है।

अतः यह सदन इस विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिए आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह कामरोको प्रस्ताव एक रोज पहले आ चुका था, लेकिन उसकी भाषा को मैं थोड़ी सी आपत्तिजनक समझता था, तो उसको सुधारने के लिए मैंने वापस कर दिया था। अब यह आया हुआ है। मैं समझता हूं इसका सम्बन्ध माननीय गृह मंत्री जी से है। इस पर विचार करने के सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति है, यह मैं उनसे पूछना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, इसमें जिस रूप से घटना का बयान किया गया है, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार घटना का ही वर्णन ठीक नहीं है और "विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है" पहले तो मैं समझता हूं, यह वाक्य वेग है, लेकिन मान लिया जाय कि कभी कोई विषम स्थिति उत्पन्न हुई...

श्री अध्यक्ष---मैंने यह जानने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ इसकी वैधानिकता के सिलसिले में पूछना चाहता हूं कि उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे मालूम नहीं कि किस तारीख को आपके सामने आया, लेकिन यह २८ मई की घटना है तो इस दृष्टि से ही इसकी अर्जेन्सी मालूम नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने कहा, यह वेग है कि "विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है"। मैं समझता हूं कि वैधानिक दृष्टि से यह लेने लायक नहीं है।

श्री अध्यक्ष---आप, राजनारायण जी, एक तो घटना की निश्चितता के बारे में क्या परिस्थिति है, और दूसरे अर्जेन्सी के बारे में आपका क्या कहना है यह बतलायें, चूंकि जब आपने कब पहले प्रस्ताव दिया था घटना के बाद ही पहले ही मौके पर दिया, इसके विषय में मैं पूछता हूं।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, यह तो आपने पहले ही बता दिया कि यह प्रस्ताव पहले ही आया था जिस दिन हाउस खुला। जब हाउस बन्द हो चुका था तब यह घटना घटी और उसी दिन मैंने यह प्रस्तुत किया था जब हाउस खुला, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी का यह कहना कि अगर कोई अर्जेन्सी होती तो आरम्भ में ही आ जाता।

मैं समझता हूं कि इसकी अर्जेन्सी समझ कर ही जिस दिन यह सदन को मिला उसी दिन मैंने पहले इसे रखा और चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमारे पास इसको रेफर कर दिया था और जब मैं बाहर से आया तो मैंने देखा कि वह कागज मेरे पास आपने भेज दिया है कि इसके कुछ अंश निकालूं और दूसरे अंश जोड़ूं इसलिए मैंने इसको नयी शक्ल में प्रस्तुत किया।

दूसरी बात यह है कि इसकी अर्जेन्सी क्या है?

श्री अध्यक्ष---अब इसके लिये बहस करने की जरूरत नहीं है। यह स्पष्ट है कि प्रथम बार सदन के बैठते ही तत्काल आपने इसकी सूचना दी थी, इससे अर्जेन्सी मालूम हो गयी। वह तो आपने बता दिया। अब आप निश्चितता के बारे में बतलाइये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण---जी हां, वही। जहां तक निश्चित घटना के बारे में कहा जा रहा है, २८ मई की घटना है, अदलहाट थाना है, मिर्जापुर का जिला है और इस सरकार के मंत्री जी वहां उपस्थित थे। अब इससे ज्यादा निश्चित इस घटना के बारे में और क्या हो सकता है। और लाठी चार्ज हुआ। कबीर चौरा अस्पताल में हमने अपने सामने पट्टी बंधवायी। मैं स्वतः डेढ़ बजे उस थाने पर गया हूं। थाने की पुलिस ने बस से जाते हुये घायल लोगों को जबरदस्ती उतार करके थाने में बन्द किया है।

श्री अध्यक्ष---यह सब सूचना आपने दी नहीं है।

श्री राजनारायण---यह सब सूचना मैंने अपने पहले वाले प्रस्ताव में दी थी और इसीलिये मैंने पहले जो लिखा था वह डिटेल में लिखा था।

श्री अध्यक्ष---तो इसके साथ ही उक्त सूचना को भी आप दे सकते थे।

श्री राजनारायण---पहले को आप देख लीजिये। उस अंश को हमने निकाल दिया।

श्री अध्यक्ष---अच्छा, तो उसे देखना पड़ेगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आप इजाजत दें तो एक बात का और जिक्र कर दूं। कुछ लोगों पर इसी सिलसिले में सेक्शन १४३, ३३२, ३५३ और १४९ के मातहत मुकदमा दायर हो गया है। वह मुकदमा किस स्टेज में है, इसको मैं नहीं बता सकता।

श्री अध्यक्ष---यानी वह मामला सब-जुडिस है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, जहां तक मेरी इत्तला है।

श्री अध्यक्ष--- तो मैं कल ही इसको ले लूंगा।

मंत्रि परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--- अब मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास का जो प्रस्ताव श्री राजनारायण जी ने दिया था उसको भी मैंने प्रस्ताव की शक्ल देने के लिये, सुधार करने के लिये वापस कर दिया था। (श्री राजनारायण से) क्या उस सम्बन्ध में आज के रोज आप प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---जी हां।

श्री अध्यक्ष---तो नियम के अनुसार यदि मैं उसको वैध करार दूं तो मेरा कर्त्तव्य हो जायगा कि मैं उसको पढ़ कर सुना दूं और सदन उसको अनुमति देता है या नहीं इसके बारे में सदन की राय लूं। नियम १४६ इस विषय में स्पष्ट है :---

"If the speaker is of opinion that the motion is in order, he shall read the motion to the House and shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and, if not less than 1/5th of the total number of members rise accordingly the speaker shall intimate that leave is granted and that the motion w ll be taken on such day, not being less than 10 and not more then 15 days from the day on which leave is asked, as he may appoint. If less than 1/5th of the total number of members risc, the speaker shall inform the member that he has not the leave of the House."

[श्री अध्यक्ष]

इस नियम के अनुसार एक पंचमांश से अधिक सदस्य यदि अनुमति देते हैं तो यह सदन की अनुमति समझी जायगी। इस तरह का यह नियम है कि यदि मैं उसको इन आर्डर करार दूं और उसे स्वयं पढ़ भी दूं तो मैं यह समझता हूं कि अब जिस शक्ल में यह मौजूद है, वह प्रस्तुत नियमावली के अनुसार ठीक है और मैं उसे वैध करार देता हूं। वैसे मैंने अविश्वास के प्रस्ताव के विषय में क्या होना चाहिये, किस तरह से उसे लाना चाहिये इत्यादि बातों पर एक खुलासेवार अपना निर्णय और अपना मत २२ अगस्त, सन् १९५५ को सदन के सम्मुख दे दिया था। लेकिन हमारे जो नियम प्रस्तुत बने हुए हैं वे दूसरे मुल्कों की प्रथा से भिन्न प्रतीत होते हैं तथापि इन नियमों के पालन करने की मुझे आवश्यकता होगी इस ओर भी संकेत मैंने उस रोज कर दिया था। उसी के अनुसार मैंने इस प्रस्ताव को देखा और उसको वैध करार दिया है। प्रस्तुत नियमों के रहते हुये अब उसे मैं पढ़ता हूं, अविश्वास का प्रस्ताव इस शक्ल में है :—

"यह सदन उत्तर प्रदेशीय सरकार की वर्तमान नीति तथा कार्य में अपना अविश्वास प्रकट करता है क्योंकि :—

(१) इस सरकार ने टैक्स लगाने का पूंजीवादी तरीका अख्तियार किया है जिससे जनता की कमर टूट गई है,

(२) सरकार ने बिना सदन को पूरा आंकड़ा दिये कि उसे बिक्रीकार से कितना रुपया चाहिये, मनमाना ढंग पर गल्ला, कपड़ा व तेल पर बिक्री कर लगाया व बढ़ाया है,

(३) सरकार की इस बिक्री कर योजना के विरोध में सारे प्रान्त में सभायें, प्रदर्शन व हड़तालें हुई हैं, तमाम शहरों तथा बाजारों में सात-सात दिन तक की अद्वितीय हड़तालें रही हैं और अब भी गल्ला के व्यापारी प्रत्येक माह की पहली तारीख को दूकान बन्द रखने का फैसला किये हैं,

(४) जनता की ओर से मंत्रियों को सरकार की गरीब जनता को भूख से मारने की नीति के विरोध में जगह-जगह काले झंडे दिखाये गये हैं,

(५) विधान सभा के सम्मानित सदस्यों ने भी सरकार की इस बिक्री कर बढ़ाने की नीति के विरोध में जेल यातनायें सही हैं,

(६) एक स्वर से प्रदेश की तमाम जनता ने सरकार से बिक्री कर के काले स्वरूप को समाप्त कर गल्ला, तेल, कपड़ा आदि जीवनोपयोगी सामग्री पर से टैक्स हटाने तथा घटाने की मांग की है,

(७) जनतांत्रिक प्रणाली में बरती जाने वाली तमाम कार्यवाहियों के बाजजूद भी सरकार ने जनता की मांग को ठुकराने का तानाशाही तरीका अख्तियार किया है,

(८) सरकार की ओर से बिक्री कर का नया बिल लाने का समाचार-पत्रों में एलान होने के बावजूद भी अभी तक बिक्री कर के काले स्वरूप को बदलने का बिल नहीं पेश हुआ है।"

यह उसका स्वरूप है। जो माननीय सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हों वे कृपा करके अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(१७ सदस्य खड़े हुये।)

श्री अध्यक्ष—पक्ष में १७ सदस्य हैं। अनुमति के लिये सदस्यों की कुल संख्या के पंचमांश से कम नहीं होना चाहिये। इसका मतलब है ८७ सदस्यों की अनुमति चाहिए

और १७ ही केवल इसके पक्ष में हैं। इसलिये सदन की इस प्रस्तावों को उपस्थित करने के लिये अनुमति नहीं है।

कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक सूचना मुझे आदरणीय सदन को देनी है। जो कार्यक्रम माननीय सदस्यों के पास भेजा गया था उसमें १३ तथा १४ अगस्त को भारतीय संविधान (नवम् और दशम्) संशोधन विधेयक, १९५६ से सम्बन्धित संकल्प पर विचार तथा उसे पारित करने के प्रस्ताव पर विचार था। लेकिन अब सरकार की तरफ से यह सूचना आयी हुई है कि वह ३१ जुलाई और पहली अगस्त को सदन के सामने विचारार्थ उपस्थित करेंगे और उस पर विचार होगा।

लखनऊ विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये नामनिर्देशित सदस्य

श्री अध्यक्ष---लखनऊ यूनीवर्सिटी तथा इलाहबाद यूनीवर्सिटी कोर्ट के लिये पांच-पांच सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में २० जुलाई सन् १९५६ को पांच बजे शाम तक का समय निर्धारित किया गया था। समय के भीतर जो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं उनकी सूक्ष्म परीक्षा हुई और वे ठीक पाये गये। वे इस प्रकार हैं---

लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये :---

१---श्री नेकराम शर्मा,
२---श्री तुलाराम,
३---श्री वसीनक़वी,
४---राजा वीरेन्द्र शाह,
५---श्री लीलाधर अस्थाना,
६---श्री तेज बहादुर।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये :---

१---श्री अज़ीज इमाम,
२---श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव,
३---श्री सुखीराम भारतीय,
४---श्री गंदासिंह,
५---श्री महावीर प्रसाद शुक्ल,
६---श्री तेज बहादुर।

इन दोनों में से यदि २५ जुलाई, १९५६ को तीन बजे तक एक एक नाम वापस न लिया गया तो निर्वाचन अनिवार्य होगा, जिसकी तिथि व समय की सूचना, यदि आवश्यक हुआ तो मैं बाद में दे दूंगा।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधन†

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४७३०-टी० एम०/३०---४८०७(टी)-५५, दिनांक १६ जनवरी, १९५६, जिसके द्वारा यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

---

†छापे नहीं गये।

पंचायतराज नियमावली (निर्वाचन नियम) में किये गये संशोधन†

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---श्रीमन्, मैं पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या २६७६/३३(६८०)-५५, तथा संख्या ३४१०/३३(२३६)-५६, दिनांक क्रमशः २६ मई और १४ जून, १९५६, जिनके द्वारा पंचायत राज नियमावली (निर्वाचन नियम) के नियम क्रमशः ३ तथा २२ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५६ के खंडों पर टिप्पणियां‡

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---श्रीमन्, मैं कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५६ के खंडों पर टिप्पणियों को सदन की मेज पर रखता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---प्वाइंट आफ आर्डर। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह टिप्पणियां नियमावली के किस नियम के अनुसार सदन की मेज पर रखी जा रही हैं। मैंने इस असेम्बली के नियमों को काफी उलट-पुलट कर देखने की चेष्टा की कि इन टिप्पणियों को रखने का विधान में क्या स्थान है, किन्तु मैं पा न सका। विधान की केवल तीन स्टेजेज होती हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। तो यह कमेंट्स न तो विधेयक का हिस्सा है और न कोई ऐसी ही चीज कि जो यहां इस तरह से रखी जाय। कमेंट्स तो केवल भाषण के सिलसिले में दिये जा सकते हैं। जिस समय माननीय मंत्री जी विचार के लिये मोशन रखें उसी समय टिप्पणियां मेम्बरों के पास भेजी जा सकती हैं। लेकिन सदन की मेज पर टिप्पणियों का रखना, मैं समझता हूं कि यह एक नया तरीका है और नियमों में कहीं भी स्थान नहीं रखता।

श्री अध्यक्ष---इस समय आपको कोई आपत्ति है?

श्री नारायणदत्त तिवारी---सूचना तो हम हमेशा ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन टिप्पणियां जो मेज पर रखी जा रही हैं नियमों के अनुसार और जिस प्रकार से लिखी गई हैं तो या तो यह खंडों का स्पष्टीकरण हो तभी आ सकती हैं या फिर संशोधन के रूप में बहस के सिलसिले में आ सकती हैं। मैं नहीं समझता हूं कि यह टिप्पणियां नियमों के अनुसार सदन की मेज पर कैसे रखी जा सकती हैं? सूचना के लिये देना चाहें तो ठीक है, यूं ही बंटवा दें लेकिन पता नहीं सदन की मेज पर यह किस आधार पर रखी जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं यह जानना चाहूंगा कि सूचना सदन को देना और सदन की मेज पर रखना, इसमें आप क्या अन्तर समझते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी---सदन की मेज पर रखने से हमारा अर्थ यह है कि जैसे आप इस विषय परिस्थिति को लें। अभी कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक पर विचार नहीं शुरू हुआ है। केवल यह सदन की मेज पर रखा गया है। अगर विचार शुरू होते समय कोई सूचना माननीय मंत्री जी अपने भाषण के साथ हम को बंटवा दें सदन की मेज पर तो वह बात समझ में आ सकती थी, लेकिन सदन की मेज पर रख देने से हमारा तात्पर्य यह है कि मेज पर जो भी चीज रखी जाती है उस पर विवाद उसी समय हो सकता है। हम आपसे उस पर विवाद करने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं कि आप हमें इन टिप्पणियों पर विवाद करने का मौका अभी दें अथवा कुछ दिनों के बाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापे नहीं गये।

‡ छापी नहीं गयी।

लेकिन विधेयक अभी सामने नहीं आया है इसलिये सदन की मेज पर रखने का मतलब यह है कि सदन को उस पर विवाद करने का अधिकार है। केवल सूचना के लिये रखा जाय और एजेन्डा पर वह न आय तो इसका मतलब है कि उस पर विवाद करने का अधिकार नहीं है। यह दोनों फर्क है।

श्री अध्यक्ष—माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने जो आपत्ति उठायी इस विषय में थोड़ी सी उनको ग़लतफहमी है। वह समझते हैं कि सदन की मेज पर रखने का मतलब यह हो जाता है कि सदन की मेज पर जो चीज रखी जाती है उसके ऊपर विवाद करने का सदन को अधिकार प्राप्त हो जाता है। मैं समझता हूं कि बहुत सी चीजें सदन की मेज पर रखी जाती हैं। नियम भी रखे जाते हैं और कुछ नियमों पर विवाद होता है जिसकी आवश्यकता अधिनियम में दी हुई होती है कि उन नियमों पर संशोधन आ सकते हैं और १४ रोज के अन्दर उन पर विवाद हो सकता है। बाक़ी नियम केवल सूचना के लिये रख दिये जाते हैं। इसमें इस विषय में कोई स्पष्ट नियम नहीं बना है कि जब टिप्पणी रखी जायं तो उस पर विवाद हो। लेकिन यह विधेयक जो सदन की मेज पर रखा गया वह पहाड़ी इलाके से संबंध रखता है और चूंकि पहाड़ की समस्याओं के बारे में माननीय सदस्यों को कम जानकारी हो तो उसे दे देने के उद्देश्य से यह टिप्पणी मेज पर रखी गयी। मुझसे पहिले माननीय मन्त्री जी ने इजाजत मांगी कि यह सूचना के लिये सदन की मेज पर रख दी जायं। तो मैंने कहा ठीक है सदन के सदस्यों को जिस कार्य से सहूलियत हो वह कार्य आप करें तो मैं उसका स्वागत करूंगा। अब यह सवाल है कि संभव है कि आज जो चीज सदन की मेज पर रखी गयी वह चीज माननीय सदस्य खो बैठे और जिस वक्त यह विवाद के लिये सदन के सामने आये उस वक्त उनके पास मौजूद न हो। यह अड़चन कभी-कभी हो जाती है। अगर ऐसी अड़चन पैदा हो जाय तो मैं यह सहूलित उस वक्त दे दूंगा कि हमारे पास जो फालतू कापीज हैं उनमें से जो माननीय सदस्य उनको लेना चाहें उनको एक कापी और मैं दे दूंगा। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। यह केवल सूचनार्थ टिप्पणियां हैं जो विधेयक का भाग नहीं हो सकती, यह स्पष्ट है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इन टिप्पणियों में बहुत-सी ऐसी बातें हैं जो विधेयक में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—ये बातें तो जिस वक्त कंसीडरेशन का सवाल आयेगा उस वक्त आप पूछ सकते हैं।

†वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव पर कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा।

***श्री अवधेशप्रताप सिंह** (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, जिस दिन हम उठे थे उस दिन चान्सलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे। आज मैं वाइस-चांसलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं वह यह है कि मुझे यह सुन कर प्रसन्नता हुई कि माननीय नवल किशोर जी भी इस बात से सहमत रहें कि वाइस-चांसलर को जो दो हजार रुपये वेतन देने का प्रश्न है वह कहीं अधिक वेतन है। श्रीमन्, संस्कृत एक ऐसी विद्या है कि यदि इसके ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो परम्परा से और सदैव से एक भावना

---

†संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २२ मई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

उन शिक्षकों में यह रहा करती थी कि वह अधिक से अधिक विद्या तो दें और कम से कम उसकी एवज में उनसे प्राप्त करें। विद्यादान एक बड़ा दान समझा जाता था इसके सम्बन्ध में तो राय नहीं हो सकती है। आज बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिये जो उसका उप-कुलपति हो उसके लिये दो हजार रुपये वेतन देने को कहा गया है यह नहीं होना चाहिये कि उतने सुख और साधन संपन्न हों कि जिससे यह समझा जाय कि उनका भोग करने के लिये कोई उस स्थान को ग्रहण करना चाहता है। किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर के लिये आप इतना धन रखें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यह देखते हुये कि आज वाइस-चांसलर के लिये तो दो हजार रुपये का प्रबन्ध किया जा रहा है लेकिन कुछ दिनों के बाद यह सरकार जितने धन की इस विश्वविद्यालय के लिये आवश्यकता होगी उतना नहीं दे सकेगी, इसका मुझे डर है।

यही नहीं, बल्कि जो इस दिशा में उन्नति माननीय मुख्य मंत्री ने यूनिवर्सिटी खोलने से पहले कराई है उसके लिये प्रदेश आभारी हो सकता है। परन्तु दुख के साथ मुझे यह कहना होगा कि अब भी संस्कृत पाठशालाओं की जो दुर्दशा हो रही है और जिस उपेक्षा की दृष्टि से वे देखी जाती हैं वह सर्वथा कलंकनीय है। यदि आज देखा जाय तो संस्कृत के शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिये भी कोई रास्ता नहीं है कि जिससे यह समझा जा सके कि किस तरह से भविष्य में वह संस्कृत का अध्ययन कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी की वह स्टेज है जिस पर पहुंचते-पहुंचते विद्यार्थियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज विश्वविद्यालय खोलने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि संस्कृत की पाठशालाएं इस दशा में न आ जावें कि जहां सही रूप से शिक्षा दी जा सके। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का संस्कृत विद्या से प्रेम होते हुये भी जितनी प्रगति संस्कृत विद्या की इस प्रदेश में होनी चाहिये थी उतनी नहीं हो पा रही है। यदि देखा जाय, तो तीन साल के लिये गोरखपुर यूनिवर्सिटी की हम नक़ल कर रहे हैं। चूंकि पहले जो वाइस-चांसलर नियुक्त होंगे वे तीन साल के लिये होंगे। यह इसलिये हो रहा है कि परिनियम इत्यादि बनाये जा सकें और सरकार और सब चीजों को देख सके। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या १ या २ साल इसके लिये काफ़ी नहीं होंगे? श्रीमन्, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस विधेयक में एग्जीक्यूटिव कमेटी का क्या कंस्टीट्यूशन होगा, इसका कोई स्थान नहीं है। यह इस विधेयक से नहीं मालूम हो सकता है। इस विधेयक में यह कहा जाय कि हर काम के लिये सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाय कि वह रूल्स बना सकती है और यह कहा जाय कि रूल्स पर सदन में वाद-विवाद हो सकता है, यह बच्चों की तरह भुलावा देना है। महत्वपूर्ण बातें किसी भी ऐक्ट के बारे में हों, वे ऐक्ट में ही आना चाहिये। आखिर डेलीगेटेड अथारिटी के मानी क्या हैं? यह मैं अपनी सरकार को समझाने का प्रयास नहीं करूंगा। यदि माननीय परिपूर्णानन्द जी उन्हें समझा रहे हों यही बात तो मुझे कोई शिकायत नहीं है लेकिन अगर वह कोई दूसरी ही बात माननीय शिक्षा मंत्री जी से कर रहे हैं तो मुझे थोड़ी सी शिकायत हो सकती है। श्रीमन्, डेलीगेटेड अथारिटी की भी कोई सीमा हो सकती है। पावर्स डेलीगेट किये जाते हैं इसी जगह नहीं बल्कि अमेरिकन कांस्टीट्यूशन में भी देखा जाता है तथा और मुल्कों में भी देखा जाता है। जो फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स हैं तथा दूसरी चीजें हैं जिनके बारे में सदन को शीघ्रातिशीघ्र सूचना होनी चाहिये वह हमसे छिपायी जा रही है। इसमें कोई गोपनीय बात नहीं है कि एकेडेमिक कौंसिल किस प्रकार की होगी, एक्जीक्यूटिव कौंसिल किस प्रकार से बनेगी। सेलेक्सन कमेटी का भी इसमें जिक्र किया गया है लेकिन पता नहीं वह किस ढंग की होगी।

ऐसी परिस्थिति में सरकार को कुछ भ्रम है और इसलिये वह सदन के अधिकारों का अपहरण करने जा रही है। यह सर्वथा अनुचित है। इस विषय में मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप के रहते हुये ऐसे विधेयक जो सदन में आयें उनके बारे में हमें परिज्ञान

होना चाहिये नहीं तो ऐसे विधेयक आपत्ति योग्य हैं और सदन में नहीं आने चाहिये। ऐसे विधेयकों के सम्बन्ध में एक नहीं सैकड़ों और हजारों किताबें हैं और उस संबंध में दिन भर लग सकता है लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन चीजों का दुरुपयोग किया जाता है, नासमझी के साथ अथवा जानबूझ कर। रूल्स पर वादविवाद हो सकता है लेकिन इस अहमियत और प्रभुता को न भूलना चाहिये कि जब हम इस सदन में बैठे हुये हैं और हमारे सामने कोई ऐक्ट आता है तो हमारा भी यह धर्म हो जाता है कि हम भी कुछ उसको देखें कि भविष्य में चल कर यह हमारे प्रदेश के लिये कितना लाभदायक सिद्ध हो सकता है दूसरे नियमों के सम्बन्ध में बहस पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। अगर यही मान लिया जाय कि हर लेजिस्लेशन सिर्फ मामूली तौर पर किया जाय और बकिया सारी चीजें सरकार पर ही छोड़ी जा सकती हैं तो फिर किसी प्रदेश, सरकार या मुल्क को इतने बड़े भवन के रखने से कोई लाभ नहीं है और इतना उस पर सर्फ करना मेरी समझ में कदापि उचित नहीं है। हम ४३१ सदस्य यहां बैठते हैं, उन पर धन व्यय होता है, बजट का अच्छा खासा हिस्सा हम पर व्यय होता है।

श्री अध्यक्ष—इधर से आवाज आ रही है। माननीय सदस्य जोरों से बातें कर रहे हैं। जरा शांत रहें।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मान्यवर ऐसी स्थिति में, मैं देखता हूं कि हमारे इन अधिकारों की रक्षा केवल आप कर सकते हैं। यह चीज ऐसी नहीं है कि इस विधेयक के ऊपर ही मैं आपत्ति प्रकट कर रहा हूं या विधेयक से असंतुष्ट होऊं। मैं विधेयक का तो स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि उसके आने में तो देरी हो गयी है। इस प्रकार का विश्वविद्यालय तो सालों पूर्व खुल जाना चाहिये था। यही भारतीय जीवन है। अगर यह विद्या नहीं रहती, जिसका कि हमें गर्व है तो हमें बड़ी भारी हानि हो सकती है। अगर आप आक्सफोर्ड या केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जायं तो उनका यह प्रतिबन्ध होता है कि जब तक आप लेटिन या फ्रेंच नहीं सीख लेते हैं तब तक वे आप को डिग्री नहीं देंगी। जब तक उनको यह विश्वास न हो जाय कि उस भाषा के सम्बन्ध में आप को अच्छा ज्ञान है तब तक वे आप को डिग्री नहीं देंगी। मैं तो कहूंगा कि अगर सरकार भी वही नीति अपनावे और संस्कृत को कम्पलसरी कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक अगर आप कम्पलसरी रखें तो वह एक ऐसी परिस्थिति होगी जब कि उसका ज्ञान हो सकता है। आज भी संस्कृत कुछ दर्जे तक कम्पलसरी है लेकिन ऊपर चल कर वह आप्शनल हो जाती है। श्रीमन्, मुझे भी यह क्लेश है कि इस जीवन में मैं भी संस्कृत विद्या से वंचित रहा। थोड़ी बहुत मैंने लेटिन फ्रेंच तो पढ़ी लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है। जिसको कोई भारतीय न जानें तो हमेशा अपने जीवन में उसको बहुत बड़ी खामी महसूस होती रहेगी।

श्रीमन्, जहां तक वाराणसेय संस्कृत यूनिवर्सिटी के खोलने का विचार है, संस्कृत एक ऐसी विद्या है जो कठिन है और नीरस है और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि यही नहीं बल्कि हमारे देश में जो कालेजेज हैं, जो पाठशालायें हैं उनकी बड़ी दुर्दशा है। उसको देखते हुए प्रदेश या देश के और भाग के लोग वहां कैसे आ सकते हैं? यह ठीक है कि वहां पर देश के अन्य भागों के लोग पढ़ने के लिये आ सकते हैं, विदेशों के लोग भी आ सकते हैं अगर उसका ढांचा इस तरह से बनाया जाय जिससे वह दूसरों को आकर्षित कर सके। हमारे प्रदेश में बनारस एक ऐसा स्थान है जो संस्कृत भाषा के लिये अपना एक विशेष स्थान रखता है। आज भी देहातों में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पेड़ों की छाया के नीचे लोग संस्कृत पढ़ते हैं तथा पढ़ाते हैं लेकिन उसका न तो वह स्टैंडर्ड है, न वह स्तर है और वह मंशा भी पूरी नहीं होती है। श्रीमन्, इस लैंग्वेज में जैसा सार है, जैसी गम्भीरता है उसको देखते हुए यह मैं नहीं कहता कि इसका कैरिकुलम क्या हो या किस तरह से आप क्या करें लेकिन एक बात मैं आप से अवश्य कहूंगा कि इस भाषा को इस तरह से बनाना होगा जिससे आधुनिक काल में वह असंगत न प्रतीत हो क्योंकि कोई भी लैंग्वेज डेड कही जाती है इसलिये नहीं कि वास्तविक रूप में वह मृत है बल्कि

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

इसलिये कि वह कठिन होती है। यह मानव स्वभाव है या मानव दुर्बलता है कि कोई भी भाषा जो कठिन हो, जिसमें ज्यादा परिश्रम करना हो उससे सभी लोग भागते हैं और जहां तक इसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस यूनिवर्सिटी का काम यह भी होना चाहिये कि रिसर्च का काम इस रूप से रखें ताकि हमारी बहुत-सी कठिनाइयां जो पहले से हैं वे ज्यादा न हों।

इस वाद-विवाद के सम्बन्ध में श्री राजनारायण जी ने कहा कि वर्णाश्रम के सम्बन्ध में यहां पढ़ाया जाता है कि जातियां जो हैं वे जन्म से, कर्म से नहीं। तो श्रीमन्, ठीक है, एक चीज है जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि माना जाता है और पढ़ते भी लोग हैं लेकिन अगर आप समझते हैं कि यह अनुचित है, यह काम के योग्य नहीं है तो आप इसमें परिवर्तन करा सकते हैं लेकिन मेरा कहना यह है कि संस्कृत में ऐसी चीज नहीं है जो विवाद से परे हो। संस्कृत में ही पुराण हैं जिनके सम्बन्ध में बीसों बातें कही जाती हैं। बहुत से हमारे मुनि हुए जिनके विचारों में मतभेद रहा और उनके कुछ अनुयायी हुए जिन्होंने अपने आचार्य को प्रोत्साहित करने के लिये उस सीमा का भी उल्लंघन किया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी बिल हमारे यहां आया तो उसके सम्बन्ध में सरकार की ओर से यह कहा गया कि यह यूनिवर्सिटी जो होगी वह रूरल बायस पर आधारित होगी। इसके पीछे जो सिद्धान्त है वह यह कि यह रूरल यूनिवर्सिटी बने और देहातों के जो ग्रामीण हैं वे अपने बच्चों को भेज कर इस बात का अनुभव कर सकें कि यह तालीम जो आज शहरों के कालेजों में दी जाती है उसकी भावना में और इसकी भावना में कुछ अन्तर है।

श्रीमन्, इसलिये मुझे खेद है कि वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है और न होगा लेकिन माननीय मंत्री महोदय कम से कम इस बात का प्रयास तो अवश्य करें कि जो उनका उद्देश्य और लक्ष्य है एक संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में वह पूरा होता है या नहीं। यह एक ऐसा बिल है जिसके सम्बन्ध में इस सदन में २ राय नहीं हो सकतीं। हमने इसका स्वागत अवश्य किया लेकिन हम माननीय मंत्री जी से कहते हैं कि वह महज एक फाल्स सेन्स आफ प्रेस्टीज की भावना से इसको न देखें और जो त्रुटियां हैं वह अपोजीशन की तरफ से आगे बतायी जावेंगी, अभी फर्स्ट रीडिंग में तो संशोधन नहीं आ सकते लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जिस बेमुरव्वती से वह हम लोगों की सुन रहे हैं और जिस ढंग से, जिस रवैये से और जिस ढांचे को वह बना रहे हैं उसको देखते हुये हमें केवल आप से ही आशा है और आप के द्वारा ही उनका हम ध्यान आकर्षित करा सकते हैं क्योंकि उनकी बातों की ओर अधिक रुचि है और हमारा यहां कुछ कहना उनको अरुचिकर प्रतीत होता है, उनके लिये सुनने का साहस करना और निगाह भी मिलाना दुश्वार है, जब इधर से कोई बोलता है तो वह किसी न किसी तरह से करवटें बदलते हैं कि जिससे वह न सुन पावें और न देख पावें।

श्री अध्यक्ष—अब उन्होंने काला चश्मा लगा लिया है।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी को, माननीय शिक्षा मंत्री श्री हरगोविन्द सिंह जी को तथा उनके उपमन्त्री डाक्टर सीताराम जी को हृदय से बधाई देता हूं और प्रदेश की जनता उनकी सदैव आभारी रहेगी। बहुत दिन से इस बात की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी कि हमारा ध्यान संस्कृत की शिक्षा की ओर जाय और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो यह परम आवश्यक हो गया था कि संस्कृत के अध्ययन की ओर हमारे नेताओं का और विशेषकर इस प्रदेश के नेताओं का ध्यान जाता। मैं तो अध्यक्ष महोदय, यह कहूंगा कि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना इससे पहले ही यहां हो जानी चाहिये थी, यह ठीक ही है कि अब हमारा ध्यान इस ओर गया है। हमारे भारतवर्ष में हमारे प्रदेश का एक मुख्य स्थान है और सदा से यह प्रदेश भारतवर्ष का हृदय माना जाता रहा है और अगर ध्यान दिया

जाय तो आदि काल से ही संस्कृत शिक्षा में यह प्रदेश अग्रणी रहा है और इसी प्रदेश में भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था और यही प्रदेश उनकी क्रीड़ा स्थली रही। मनु भगवान ने यथार्थ ही कहा है कि :

"एतद्देशे प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वयं
स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ।"

इसलिए इस प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना बहुत ही आवश्यक थी, यही प्रदेश है जहां के लिये मनु भगवान ने ऐसा कहा है। इस विधेयक द्वारा एक बहुत बड़ी कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। आज हमारी संस्कृत शिक्षा की दशा क्या हो गयी है, हमारे संस्कृत के विद्यालय आज सूने पड़े हैं यद्यपि हमने अब ऐसा नियम बना लिया है कि अब हम मध्यमा या शास्त्री पास विद्यार्थियों का समानता दे रहे हैं और इन विद्यार्थियों को भी हम सरकारी नौकरियों में स्थान दे रहे हैं फिर भी वह विद्यालय सूने पड़े हैं। यदि हम हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूलों में देखें तो सैकड़ों और हजारों विद्यार्थी दूसरे विषयों में प्रविष्ट होने के लिये लालायित रहते हैं। यद्यपि इन स्थानों के दरवाजे भी उस जगह बन्द कर दिये जाते हैं। परन्तु संस्कृत विद्यालयों की क्या हालत है उनमें पढ़ने वाले छात्र नहीं मिलते। कारण क्या है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से इसके दो विशेष कारण हैं—एक तो यह कि जनसाधारण को यह भ्रांति है कि संस्कृत विद्या बहुत कठिन है और दूसरी धारणा यह है लोग इसको पढ़ना अनावश्यक समझते हैं क्योंकि यह विद्या अर्थकरी नहीं समझी जाती है। मैं तो यह समझता हूं कि ये दोनों धारणायें गलत हैं। इन धारणाओं को जन-समुदाय से और विद्यार्थी समुदाय से हमको निकालना है। इसके निकालने का तरीका विश्वविद्यालय की स्थापना ही हो सकता है।

मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक में पाठ्य-क्रम बनाने के लिये कमेटी बनाने का प्रस्ताव है और उसके साथ-साथ नियमों के बनाने के लिये परिषद् की स्थापना की गयी है जो निश्चय करेगी कि पाठ्यक्रम क्या होगा। हमारे शिक्षा शास्त्रियों का यह कर्त्तव्य है कि जो धारणा जनसाधारण और विद्यार्थी समुदाय में फैली हुयी है कि संस्कृत का पढ़ना कठिन है वे इसको दूर करेंगे और हम यह आशा करेंगे कि इस विधेयक के द्वारा जो नियम और उपनियम बनेंगे उनमें वे कुछ ऐसे नियम बनावेंगे कि जिससे यह धारणा लोगों में निर्मूल हो जाय। अब भी बहुत से ऐसे संस्कृत के विद्वान हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि यह धारणा गलत है लेकिन उसको कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। इस विधेयक के द्वारा इस विश्वविद्यालय के जो स्नातक निकलेंगे उनका विशेषकर लक्ष्य यह होगा कि जनसाधारण की धारणाओं को वे निर्मूल करें इसका फल यह होगा कि जो विद्यालय सूने पड़े हुए हैं वे विद्यालय विद्यार्थियों से भर जावेंगे।

विरोधी पक्ष के नेताओं ने—विशेष तौर पर माननीय राजनारायण जी जो इस समय उपस्थित नहीं हैं, कुछ आक्षेप किये। इस विश्वविद्यालय का हम काशी नरेश को प्रति उपकुलपति बना रहे हैं एक तो उनको इस पर विशेष आपत्ति है। उन्होंने यह कहा कि क्या कारण है ऐसा किया जा रहा है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो ऐसा करने का सेंटीमेंटल ग्राउन्ड भी है। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय का आधार संस्कृत कालेजेज बनारस माना गया है। संस्कृत कालेज बनारस तथा काशी विश्वविद्यालय इन दोनों की स्थापना में काशी नरेश के पूर्वजों ने कितना हाथ बटाया था, कितने धन से उन लोगों ने इसकी सहायता किया था और दूसरे प्रकार से इसकी सहायता की थी इसका जिक्र करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। इस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना भी महाराज बनारस के ही कारण हुयी। तो जो स्वयं इतने बड़े संस्कृत के उपासक हैं और जिन्होंने अपनी सम्पत्ति का एक मुख्य भाग ५ लाख रुपया से अधिक दे कर एक ट्रस्ट बना दिया हो ताकि संस्कृत की शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया जा सके और जो स्वयं संस्कृत के एक बड़े विद्वान् हैं यह दूसरी बात है कि

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

विश्वविद्यालय की कोई डिग्री उनको प्राप्त न हुयी हो---अगर ऐसे व्यक्ति को इसमें किसी विशिष्ट स्थान पर रख देते हैं जिनके पूर्वजों का सम्बन्ध इस संस्कृत कालेज से बहुत दिनों से रहा हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

दूसरी आपत्ति उपकुलपति के वेतन के सम्बन्ध में की गयी है कि उनका २ हजार रुपये वेतन क्यों रक्खा जा रहा है यह अत्यधिक है । मैं इसको समझने में असमर्थ होता हूं । एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि संस्कृत के स्नातकों और संस्कृत के विद्वानों का वह आदर नहीं होता है जैसा कि आदर होना चाहिये । जैसा कि समाज में, सोसायटी में उनको स्थान प्राप्त होना चाहिये । उनको नहीं मिलता है एक तरफ तो आप यह कहते हैं, एक तरफ बहुत से लोगों का यह कहना है और हम भी कुछ हद तक इसे स्वीकार करने को तैयार हैं । एक तरफ आप यह कहते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो उपकुलपति होता है उसका वेतन दो हजार रुपया मासिक रखा जाय और जो उपकुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय का हो सकता है वेतन एक हजार रुपया कर दिया जाय । इसका क्या कारण है ? अगर आप वेतन कम करें तो सब उप-कुलपतियों का वेतन कम कर दें तो कोई एतराज नहीं । परन्तु जब तक आप और उप--कुलपतियों का वेतन दो हजार या उससे अधिक रखते हैं तब तक आपको कदापि इस बात को ध्यान में भी न लाना चाहिये कि संस्कृत विश्वविद्यालय के उप--कुलपति का वेतन दो हजार से कम कर दिया जाय । इसके माने यह होंगे कि आप उसको लघुता करते हैं संस्कृत विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का स्थान छोटा बनाते हैं । आप कह सकते हैं कि वेतन ही मर्यादा की मापदंड नहीं है । हम मानते हैं और हमारी प्राचीन सभ्यता भी यही रही है । पहले हमने वेतन को इतनी प्रधानता नहीं दिया था परन्तु आज किन्हीं कारणों से हम इस स्थान पर पहुंच गये हैं कि वेतन को भी हम एक प्रमुख स्थान देते हैं इस पर भी हमें विचार करना है । उस आदमी को समाज में क्या स्थान प्राप्त होता है ? क्या वेतन दे कर हम उससे काम लेना चाहते हैं । उस स्थान का गौरव वेतन से भी नापा जाता है । अगर ऐसी बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि इस विधेयक में यह आपत्ति की जा रही है कि उप-कुलपति का वेतन दो हजार से कम हो । इसलिये यह जो दो एतराज हैं माननीय सदस्यों ने, विरोधी पक्ष के लोगों ने किये हैं, उन्हें मैं समझता हूं उचित नहीं समझता । उपकुलपति का वेतन दो हजार रखा गया है वह उचित है । यदि कोई विधेयक आ जाय जिसके द्वारा आप सब उप-कुलपतियों का वेतन कम कर दें तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी । इस प्रकार जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है मैं इसका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि संस्कृत के अध्ययन में जो कमियां आ गयी हैं, जो त्रुटियां आ गयी हैं वे इस विश्व-विद्यालय द्वारा दूर की जायंगी । हम आशा करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द के नेतृत्व में और माननीय हरगोविंद सिंह जी के नेतृत्व में जो हमारी आशायें हैं सफल होंगी और संस्कृत का अध्ययन जो हमारे प्रदेश में, मैं तो कहूंगा अधोगति की ओर जा रहा है वह फूले फलेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसको सदन शीघ्र पास करेगा तथा जितनी आपत्तियां की गयी हैं वे सब वापस कर ली जायेंगी ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---मान्यवर, इस प्रस्तुत विधेयक का आपकी अनुमति से मैं स्वागत करता हूं । श्रीमन्, संस्कृत वाङ्मय से परिचित और भिज्ञ बहुत से सदस्य इस सदन में उपस्थित हैं और आप भी संस्कृत वाङ्मय से बहुत अधिक परिचय रखते हैं और इस पवित्र, उन्नत और पराकाष्ठा तक पहुंची हुयी भाषा से परिचित जितने भी लोग इस संसार में होंगे उनके सम्मुख यह एक बहुत बड़ा कार्य वर्तमान शिक्षा मंत्री ने किया है जिसके लिये पुनः आपकी अनुमति से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं । शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग तो सदैव बना रहेगा किन्तु ऐसे विधेयक की अगवानी करना, इसका श्रीगणेश करना, इसका गौरव वर्तमान शिक्षा मंत्री को ही प्राप्त हुआ है । श्रीमन्, हम लोगों ने भी अपने बचपन में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी और किस ढंग से प्राप्त की थी इसकी जानकारी इस सदन में उपस्थित हमारे आचार्य श्री नरदेव जी शास्त्री ऐसे लोगों को भी होगी । इसलिये श्रीमन्, कि हम भेज दिये

जाते थे पंडित जी के पास पढ़ने के लिये और जिस समय वे पढ़ाते थे उनके सबक को याद करने के लिए सबेरे तड़के उठकर और अपनी शिखा दीवार से बांधकर जब हमें पढ़ना पड़ता था तब मालूम पड़ता था कि पाणिनी के सूत्र कैसे याद किये जाते हैं। और श्रीमन्, यह संस्कृत विद्यालय जो काशी म है जिसकी इतनी बड़ी परम्परा है जिसके अंग्रेज विद्वान् आचार्य संस्कृत को बहुत कुछ देन दे गये हैं, वेनिस ऐसे लोगों के जमाने की जो घटनायें जिन लोगों के सामने हैं, वे भी जानते हैं कि संस्कृत का अध्ययन कितना दुरूह, दुस्तर और कठिन हुआ करता था। एक घटना श्रीमन्, मैं आपके सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं। वेनिस जब प्रिंसिपल थे तो उनके जमाने में एक बार उन्होंने सोचा कि चलो चल के क्लास में देखें कि पढ़ाई कैसे हो रही है। वह एक क्लास में गये तो वहां उन्होंने देखा कि पंडित जी बैठे हुये हैं पल्थी मारकर मेज के ऊपर, और दो दो जोड़े कुश्ती के लड़ रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं कि यह मारा, वह मारा, वह गिरा, वह पटका और वह पटका। तो वेनिस की हिम्मत तो नहीं हुयी कि वहां पंडित जी से पूछते कि आप यह क्या कर रहे हैं जब अपने कमरे में गये तो वहां पंडित जी को बुलाया और उनसे कहा कि महाराज यह कौन-सी शिक्षा आप दे रहे थे ? तो उन्होंने कहा कि साहब, शिक्षा का यह जो क्रम है इस क्रम से तो अंग्रेजी ढंग की पढ़ाई हुआ करती है, जो क्लास में होती है। हमारे विद्यार्थी तो प्रातः उषाकाल में उठकर पढ़ा करते हैं। यहां तो हम मनबहलाव कर रहे थे। तो यह उन्होंने जवाब दिया। वास्तव में श्रीमन्, अभी भी जो शिक्षा है वह पाठशालाओं में होती है और उन पाठशालाओं में होती है जहां कि गुरू प्रातःकाल अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया करते हैं। लेकिन जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आयी उसके सामने एक दूसरी चीज थी और वह बहुत बड़ी चीज थी।

माननीय ब्रजविहारी जी ने कहा है कि संस्कृत विद्यालयों की ओर विद्यार्थी कम आकर्षित होते हैं। किन्तु मेरी जानकारी कुछ ऐसी है कि ऐसी बात नहीं है। इंटरमीडियट बोर्ड का एक साधारण सदस्य मान्यता समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना तो कह सकता हूं कि संस्कृत के पाठ्य की अनुमति देने के लिये, आज्ञा देने के लिये हजारों स्कूल लालायित रहते हैं और सैकड़ों अर्जियां हमारे पास हर साल इस बात की आती हैं कि हमारे यहां संस्कृत की पढ़ाई की अनुमति दी जाय। अनुमति तो चाहते हैं लेकिन उन पाठशालाओं में जिन पाठशालाओं में कि पुराने ढंग की पढ़ाई होती थी उनका एक बहुत बड़ा दोष था जो अब संस्कृत विश्वविद्यालय के सामने आयेगा। बड़े-बड़े विद्वान् संस्कृत के, ज्योतिष के बड़े-बड़े आचार्य, व्याकरण के बड़े बड़े आचार्य उनसे अगर एक खत भी हिन्दी में शुद्ध लिखने के लिये कह दीजिये तो शुद्ध पत्र हिन्दी में नहीं लिख सकते हैं। व्याकरण के दोष उसमें अवश्य होंगे। तो संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित के लिये एक खत हिन्दी में लिख सकना कठिन होता था और अब भी है। यही एक बहुत बड़ा दोष उनमें था और यही कारण था कि संस्कृत का विद्यार्थी 'झलांम्श झशि', और 'इकोयणचि' जैसे सूत्रों को रटने में तो अपनी सारी शक्ति लगाता था लेकिन इसके अलावा वह व्याकरण के साथ-साथ हिन्दी आदि भाषा के ज्ञान में, अपने दैनिक इस्तेमाल की भाषा से बहुत दूर हो जाता था और इसी दूरी के कारण संस्कृत की पाठशालाओं को वह आदर और सम्मान न प्राप्त हो सका जो कि उनको प्राप्त होना चाहिये था। किन्तु तो भी संस्कृत की इन पाठशालाओं को उन्होंने जीवित रखा और जीवित ही नहीं रखा, वास्तव में समूचे भारतवर्ष को आकर्षित करने के लिये एक ही नगर था और यह वह नगर था जिसमें युगों से बड़े-बड़े विद्वान् लोग आते थे और जब तक कि वहां के आचार्य के पद या पदवी को वे नहीं प्राप्त कर लेते थे तब तक उनकी शिक्षा अधूरी समझी जाती थी और इसीलिये श्रीमन्, बड़े-बड़े प्रकांड विद्वानों ने काशी में आकर अपनी विद्या को परिमार्जित किया और शुद्ध किया। यही नहीं बड़े-बड़े गणितज्ञ भी, बापूदेव शास्त्री ऐसे विद्वानों को भी मध्यप्रदेश छोड़कर काशी इसलिये आना पड़ा कि वे चाहते थे कि वे गणित के विद्वान् तो हैं लेकिन काशी के पंडितों से फैसला करा लें कि हम पंडित हैं या नहीं। यह एक काशी की परिपाटी रही है और इसमें एक और बात भी थी।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

मुझे तो आश्चर्य हुआ कि हमारे उधर बैठे हुए, एक महान् नेता, धुरन्धर नेता ने ऐसी बातें इस विधेयक के सम्बन्ध में कह दीं कि जिनसे सबको दुख होगा। इसलिये मैं जानता हूं, बहुत से सदस्य लोग जानते होंगे कि संस्कृत की विद्या के विषय में विचार करना, विवाद करना कि किसको कितना संस्कृत का ज्ञान है, किसको कितना अधिकार है, लेकिन यह निर्णय कर लेना कि अमुक व्यक्ति को संस्कृत की जानकारी है अथवा नहीं यह कहां तक वांछनीय है। यह काशी की परम्परा सी है। काशी का नरेश महाभारत काल से एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसलिये नहीं कि वह काशी का राजा है, बल्कि वह एक संस्कृत, एक कल्चर, एक तहजीब और तरबियत जोकि काशी से निकलकर समाज में चारों ओर छा गयी उसका एक आधार काशी बनारस, बना हुआ है, जैसा कि अर्थक्वेक का एपिसेंटर होता है और न जाने उसे क्या कहते हैं, वैसे ही वह सेंटर बनारस था। इसलिये परम्परा बन गयी कि त्रिशूल के ऊपर काशी बसी हुयी है, और उसका प्रतीक था काशी नरेश, और आज भी है। यही नहीं संस्कृत पाठशालायें और संस्कृत के प्रकांड पंडित अनायास ही काशी नरेश को अपना नेता समझते हैं।

एक और विचित्र बात है जिसकी संसार के इतिहास में कल्पना करना और उदाहरण मिलना मुश्किल है, वह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। काशी का नरेश, बनारस का राजा वारेन हेस्टिंग्स के बाद से बनारस का राजा नहीं रहा। उसकी कोई स्टेट बनारस में नहीं जिससे बनारस वालों के ऊपर उसकी छाप हो सके, यह काशी नरेश की बात थी, लेकिन इतना होने पर भी कल्चरल लीडर होने की ५ हजार साल पुरानी परम्परा ऐसी बनारस वालों के दिमागों में बिना राजा हुए व्याप्त है। पहले वह बनारस ज़िले के एक हिस्से का राजा रहा होगा, आज तो किसी कोने, किसी टुकड़े का भी राजा नहीं है, लेकिन एक चीज है जो संसार में किसी नरेश में नहीं पायी जायगी जो काशी में वर्तमान है कि जब हमारे यहां एक मेला होता है कि विजयादशमी के दूसरे दिन और कहा जाता है कि संसार के प्रसिद्ध मेलों में से वह है और उससे अधिक साफ़ सुथरा मेला नहीं होता, उस में अफ़िशियली विजय दशमी के दिन महाराज बनारस हाथी पर निकलते हैं और किसी दल कि विचारधारा का आदमी हो काशी में जिसे देखिये वह फूल लेकर खड़ा रहता और उसके ऊपर छोड़ता है और कहता है "हर हर महादेव"। यह एक स्लोगन है और इतने आदर से लोग झुक जाते हैं और इतनी फूलों की वर्षा होती है कि उस हौदे में भरे हुए फूल को निकालने में भी समय लगता है और काशी नरेश सबको हाथ जोड़ता हुआ, सबको नमस्ते करता हुआ एक मील तक की यात्रा करता है। इसे कहते हैं कल्चरल लीडरशिप, वह नेतृत्व जो कि बड़े बड़े प्रयत्नों से बड़ी बड़ी चेष्टाओं से, आंदोलन से झंडा से प्राप्त नहीं होता। यह नेतृत्व था जो वह साल दो साल से नहीं, हजारों साल से भोग रहे हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने जब बनारस को छीन लिया उसके बाद भी है और श्रीमन्, वारेन हेस्टिंग्स ने जब बनारस को छीना और वहां शासन की नयी परिपाटी बनायी वारेन हेस्टिंग्स उस परिपाटी को मेट नहीं सका जोकि काशी के आचार्यों की परिपाटी थी। उन काशी के विद्वानों के नेता और उस भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर और वाङ्मय के नेता को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रति-कुलपति बनाने का निश्चय किया है तो अगर उससे कोई विरोध करता है तो बड़ी विचित्र बात है और क्षमा करेंगे श्रीमन्, उस विरोध करने वाले की बुद्धि पर मुझे तरस आता है।

दूसरी बात पाठशालाओं के सम्बन्ध में है जिनकी परिपाटी का मैंने निवेदन किया, उसका छोटा-मोटा एक छात्र मैं भी हूं और मैं उन छात्रों में से हूं जो वहां से भाग खड़े हुए, जो उतने दिनों तक पाणिनी को याद नहीं कर सका। श्रीमन्, यह हमारी संस्कृत विद्या की परिपाटी है और आप भी स्वयं जानते हैं कि उसमें जो सबसे बड़ा और कठिन स्थान पाणिनी का है उसके पास करने में, उसकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में पूरे १२ वर्ष लग जाते हैं। यह तो कही हुयी बात तो नहीं है १२ वर्ष से कम में पास नहीं कर सकता है। आज जिस तरह से हमारे जैसे विद्यार्थी पाणिनी के छोटे रूप को पढ़ने से भी भाग जाते हैं उसको पढ़ाने का रास्ता इस विश्वविद्यालय

से प्राप्त होगा। निवेदन करना चाहता हूं कि पाणिनी का अध्ययन एक विद्यार्थी ने किया था। उसको एक वर्ष बीत गया, दो वर्ष बीत गये, तीन वर्ष बीत गये, सात साल बीत गये लेकिन वह परीक्षा में बार बार असफल होता ही रहा। लेकिन उस विद्यार्थी में लग्न इतनी थी, धुन इतनी कि उसने कहा था कि मैं पाणिनी पर कब्जा प्राप्त करके ही छोड़ूंगा। पाणिनी पर कब्जा प्राप्त करने के सिलसिले में एक दिन वह अपना भोजन परोसकर खाना खाने बैठा और साथ में वह किताब भी पढ़ रहा था। माननीय शास्त्री जी इस कथा को जानते होंगे। जिस समय वह विद्यार्थी खाना खाने के साथ साथ पढ़ रहा था तो उसका भोजन करने वाला हाथ कंडे के ऊपर आ गया जिसमें आग जल रही थी और उसको पता भी नहीं चला। वह पढ़ने में तल्लीन था और इतना विभोर था कि उसे पता नहीं चला कि वह क्या कर रहा है वह बराबर खाता ही रहा। कथा यह है कि एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने समझा कि गुरू जी की लड़की होगी, वह बहुत शरारती थी। उसने कहा कि छोड़ छोड़, तब उसने देखा कि वह हाथ एक बहुत ही सुन्दर हाथ था। कहते हैं कि वह सरस्वती जी का हाथ था। उसके बाद उसे ऐसा आभास हुआ कि तुम्हारी इस लग्न से मैं बड़ी प्रसन्न हूं। रात भर में तुम जितना चाहो पढ़ लो। जब वह दिन निकलने पर पाठशाला में गया तो गुरू जी ने देखा कि उसे समूचा पाणिनी याद है। इस विद्यार्थी को बरदराज बैलराज कहा जाता था उसी ने एक पुस्तक बनायी 'लघु सिद्धांत कौमुदी' वह दो तीन वर्ष में पढ़ ली जाती है। उसके बनने से लोगों को हिम्मत हुयी। आज इसी प्रकार कार्य के लिये एक विश्व विद्यालय की रचना का श्रीगणेश हो रहा है, उसका आदर करना चाहिये। यह नहीं कि उनको वेतन कितना मिलता है क्यों मिलता है? ऐसी बातों को बार-बार दुहराने से इस पवित्र यज्ञ में बाधा पड़ती है, प्रोत्साहन नहीं मिलता है। यह इतनी छोटी छोटी चीजें हैं कि इन पर हम आगे विचार कर लेंगे। आज तो प्रश्न यह है कि काशी में हमारे शिक्षा मंत्री जी संस्कृत विश्वविद्यालय की रचना करने जा रहे हैं। उसमें लोगों का सहयोग प्राप्त हो। उसकी जो रूपरेखा बनी है उसमें थोड़ी सी उन लोगों को जो प्राचीन परिपाटी जानते हैं, जानकारी हासिल होगी। लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं जिनकी ओर मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा।

मान्यवर, पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत विश्वविद्यालय की रचना के साथ-साथ एक बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि मौलिक संस्कृत के ज्ञान प्राप्त करने का कुछ न कुछ प्रबंध होना चाहिये। ओरीजिनल संस्कृत ऐसी चीज है कि जिसके विषय में उद्देश्य और लक्ष्य में कोई जिक्र नहीं है। मौलिक संस्कृत और संस्कृत में बड़ा अन्तर है। इसका परिणाम यह हो गया है कि हम अपने यहां के प्राचीन ग्रंथों से दूर चले गये हैं। कितनी लज्जा की हमारे लिये बात है कि इसी भारतवर्ष के शंकराचार्य महाराज की पुस्तक सौन्दर्य लहरी का अनुवाद कोई भी भारतवासी न कर सका और इसका अनुवाद अमरीका में किया गया। इसको समझने वाले हमारे भारतवर्ष में आज भी बहुत कम लोग हैं।

ऐसी मौलिक संस्कृत की जानकारी करने की क्यों आवश्यकता है इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि आज इस भारतवर्ष में सब प्राचीन शिलालेख जो उपलब्ध हुआ है वह ईसा से ४८२ वर्ष पूर्व का है। वह किस सम्बन्ध में है। वह एक महत्व की घटना की ओर ध्यान दिलाता है जो मालूम होता है कि सदियों से घटती चली आ रही है। वह यह है कि जितने हमारे यहां बड़े बड़े महापुरुष हुये हैं जिन्होंने संसार को नया मैसेज नया संदेश दिया है उनका परिवार या तो उनके सामने या उनके मरने के बाद नष्ट हुआ है। जैसे श्री कृष्ण हैं, उनका यदुवंश नष्ट हो गया। इसी तरह से भगवान बुद्ध का परिवार नष्ट हो गया उनके जीवनकाल में तो उस घटना का जिक्र करने वाला जो शिलालेख था उसकी लिपि को पढ़ने के लिये हमारे देश में कोई विद्वान् न मिल सका और उस लिखित लिपि को सन् १९०१ में आस्ट्रेलिया में वियना के एक प्रोफेसर से पढ़वाया गया जिसने बड़ी मेहनत से थोड़ा सा पढ़ कर बताया कि उसका अमुक अर्थ है। तो हमें उक्त मौलिक संस्कृत और पाली के विषय में एक ऐसा सिद्धांत बनाना पड़ेगा ताकि हम अपने प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। मैंने नालंद विश्वविद्यालय का भग्नावशेष

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

देखा है जो आज संसार के सबसे पुराने भग्नावशेषों में सबसे सही और पूर्ण भग्नावशेष है। अब भी उसकी पूरी पूरी इमारतें और १० हजार विद्यार्थियों का छात्रावास मौजूद है। वहां १० हजार विद्यार्थी विद्या प्राप्त करते थे। उनके लिये होस्टल था और एक एक विद्यार्थी के लिये एक एक कमरा दिया जाता था। मैंने उस कमरे को देखा है। मैंने उनके सोने के लिये जो पत्थर का तख्त होता था उसको भी देखा है। उनके सिरहाने पुस्तकें रखने के लिये जो रैक्स बनायी जाती थीं उनको भी मैंने देखा है। उसमें ५२ होस्टल थे।

एक सदस्य---उसका किसने निर्माण किया था।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---उसका अशोक ने पहले निर्माण किया, उसके बाद गुप्त साम्राज्य ने और उसके बाद पाल वंश ने बराबर निर्माण किया। श्रीमन्, वहां का जो पुस्तकालय था उसकी कहानी दुनिया जानती है। उस पुस्तकालय को जब जलाया गया था अभी तक उस वक्त की लगी हुयी आंच के निशान दिखायी पड़ते हैं। मालूम होता है कि कभी यहां पर आंच लगी थी। उस विश्वविद्यालय से इतने ग्रंथ निकले थे कि उनसे ८ महीने तक हमला करने वाली सेना के लिये भोजन पकाया गया। अब हमारे जो प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपियां हैं उनके पन्ने भी सड़ते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। और इस प्रकार टूटते जा रहे हैं कि उनका फिर से उद्धार नहीं हो सकता। अब हमारा स्वराज्य हो गया है और अब हमारे ग्रंथ हमारे हैं। हमें उन ग्रंथों का उद्धार करना है। उनका उद्धार कैसे हो?

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता था कि उन्होंने इतना बड़ा विधेयक बनाया और सरस्वती भवन का जिक्र किया। उस सरस्वती भवन में इतना पांडुलिपियां भरी हुयी हैं कि ५० वर्ष से उनको किसी ने खोल कर देखा भी नहीं है। ऐसी ऐसी पांडुलिपियां भरी हुयी हैं कि उनके एक एक पन्ने इतना ज्ञान भरा हुआ है कि न जाने उनमें से कितने सिद्धांत आविर्भूत हो सकते हैं। लेकिन उनको किसी ने देखा भी नहीं है। यदि आप एक सरस्वती भवन की रचना करते हैं तो उसके साथ साथ यह भी आप इस विधेयक में अवश्य करें स्टेट्यूट्स में वह नहीं आ सकता कि अनुसंधान, मौलिक संस्कृत का ज्ञान और साथ रिसर्च और प्रकाशन और पुरानी लिपियों को पढ़ना, उनको ट्रांसलेट करना और पब्लिश करना। प्रकाशन तो उन ग्रंथों का होना ही चाहिये। और वह इसलिये कि उनमें सभी प्रकार की बातें भरी पड़ी हैं चाहे वे आयुर्वेद की हों, अर्थ शास्त्र की हों, धर्म की हों। मैं नहीं जानता कि कौन ऐसे विद्वान् यहां पर थे जिन्होंने सदन में कहा, मैं उनका नाम क्या लूं, वे तो चाहते हैं कि उनका नाम भी लिया जाय लेकिन मैं लेना नहीं चाहता, उन्होंने सदन में कह दिया कि उस पाठ्यक्रम से जातिवाद सिखाया जाता है। जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा है उनमें कौन सा जातिवाद भरा हुआ है? क्या उन ग्रंथों को फाड़कर फेंक देने से ही हम मौलिक संस्कृत के ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसा कौन सा पाठ्यक्रम बनेगा जिसमें से कहीं वर्ण व्यवस्था की गंध न आती हो। गंध तो आती है। लेकिन वह तो ऐसे ही होगा जैसे किसी ने सम्मेलन करके यह प्रस्ताव पास करा दिया मनुस्मृति के विरोध में कि उसे जला देना चाहिये। मनुस्मृति बहुत बड़ा ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथों को जला देने से भारतीयता कुछ आगे नहीं बढ़ेगी। इन ग्रंथों को जला देने से हमारे ज्ञान में कुछ वृद्धि नहीं होगी। इन ग्रंथों को पढ़ने पढ़ाने से हम अधिक बलशाली और शायद अधिक भारतीय बन सकेंगे। तो जिस किसी ने आपके सम्मुख यह निवेदन करने का अनायास प्रयत्न किया है कि संस्कृत के विषय में वर्ण व्यवस्था पढ़ाई जाती है मैं नहीं जानता कि संस्कृत की उनको कितनी जानकारी है और किन पुस्तकों को उन्होंने देख कर ऐसा निश्चय किया। लेकिन यह बात मैं अवश्य आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरस्वती भवन संस्कृत विश्वविद्यालय का प्राण हो। जब तक हम सरस्वती भवन को नहीं बढ़ायेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकते। एक बात तो यह है।

दूसरी बात श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि संस्कृत विश्वविद्यालय की रचना तो आपने कर दी, किन्तु संस्कृत के जो पंडित है, जो विद्वान् हैं उनका निश्चय

ही हमारे समाज में वह आदर नहीं हुआ जो आदर कि हर देश के विद्वानों को प्राप्त होना चाहिये। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये पंडित सामने नहीं आना चाहते। ये अपने घर में अपनी विद्या को दबाये बैठे रहते हैं इनकी इच्छा नहीं होती, ये अनायास ही हमारे सामने आना नहीं चाहते, वे विश्वविद्यालय में नहीं आयेंगे, वे बातचीत करना नहीं चाहते, घर पर बैठे रहेंगे और प्राचीन परिपाटी के अनुसार जिसको सौ बार गरज़ हो उनके सम्पर्क में आवे, गुरुदक्षिणा दे, गुरुपूजन करे और उनसे पढ़े तो पढ़े न पढ़े तो न पढ़े। लेकिन वर्तमान संस्थाओं में इन पंडितों के लिये कोई आदर नहीं। पुराने जमाने में महामहोपाध्याय की एक डिग्री बनायी गयी थी लेकिन उस महामहोपाध्याय को जो धन प्राप्त होता था सौ रुपये साल यह कुछ व्यर्थ सा होता था। ऐसी चीज पाने के लिये पंडित लालायित नहीं होते थे, वे उनमें विश्वास नहीं करते थे। इन पंडितों के पास अभी भी लीलावती, मैथमेटिक्स, जामेट्री इत्यादि के इस प्रकार के भंडार हैं जिनका अनुमान इस समय नहीं हो सकता। डाक्टर ए० एन० सिंह, जो आज इस संसार में नहीं रह गये हैं ने मुझसे कहा था कि वे इन पंडितों से मिलते हैं तो उन्हें ऐसा मालूम होता है कि आजकल के जो मैथेमेटिकल प्राब्लम्स उनका सोल्यूशन तो अनायास ही उनके दिमाग में भरा है और बापूदेव शास्त्री की तो एक कथा है। इंगलैन्ड से बड़े बड़े मैथेमेटीशियंस आये और आते रहते थे। नागपुर से बापूदेव शास्त्री, उनके पास पैसा नहीं था किसी ने सेकेंड क्लास का टिकट खरीद दिया था उसी क्लास में बैठे हुये बनारस आ रहे थे। इंगलैन्ड का एक मैथेमेटिशियन उसी में बैठा हुआ था। ट्रेन में उनसे आपस में बात होने लगी। बापूदेव ने पूछा कि कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं काशी जा रहा हूं। पूछा कि क्यों जा रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि "मैथेमेटिक्स के कुछ प्राब्लम्स हैं। सुना है कि वहां कुछ संस्कृत के विद्वान्, संस्कृत के प्रोफेसर हैं जो बड़े-बड़े प्राब्लम्स को हल कर सकते हैं। मैं इंगलैन्ड से आया हूं ऐंड आई एम गोइंग टु बनारस टु सी पंडित बापूदेव शास्त्री। आपने पंडित बापूदेव शास्त्री का नाम बहुत सुना होगा। सुना है वे बहुत विद्वान् हैं। मुझे उनसे मिलना है और मिलकर इस प्राब्लम को हल करना है।" तो बापूदेव ने कहा कि आप बापूदेव शास्त्री का नाम लेते हैं काशी में तो बापूदेव शास्त्री गलियों में घर-घर में फिरते हैं। मुझे बताइये मैं शायद कुछ कर सकूं। मुझसे तो बताइये। मैं ही हल कर दूं। उसने उन्हें वह प्राब्लम बता दिया। बापूदेव कहने लगे इट इज़ वेरी सिम्पिल, हमारे उस पुराने श्लोक से यह बन गया है। अब उस मैथेमेटीशियन को घबराहट हुई कि यह कौन-सा सिम्पिल सा आदमी है जो इतना बड़ा काम कर गया। वे काशी पहुंचे और बापूदेव से मिलने गये तो क्या देखते हैं कि वही बापूदेव शास्त्री हैं। बापूदेव ने उनसे कहा उन्होंने जो कहा था वह सत्य है और वह आज भी सत्य है आज भी काशी में इतने विद्वान् पड़े हुये हैं कि यदि इन विद्वानों को सामने लाया जाय तो बड़े बड़े मैथेमेटिक्स तथा जामेट्री के प्राब्लम्स वे हल कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी इस विश्वविद्यालय की रचना में कुछ ऐसा प्रबंध करें कि महापुरुषों को जो हमारे सामने नहीं आते हैं खींचकर फिर उच्च स्तर पर लाया जा सके।

तीसरी बात यह कि माननीय शिक्षा मंत्री ने इस विधेयक में यह निश्चय किया कि संस्कृत कालेज के जो वर्तमान अध्यापक हैं उनको फिलहाल विश्वविद्यालय में अध्यापक बनाया जायगा लेकिन मैं उनसे बड़े अदब से पूछता हूं कि आज दस वर्ष की बात हो गयी। संस्कृत कालेज बनारस में एक भी स्थायी प्रिंसिपल नहीं रहा। जिस कालेज में दस ग्यारह वर्ष लग जायं परमानेन्ट प्रिंसिपल की नियुक्ति में आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसके स्टैन्डर्ड का ह्रास तो होगा ही। एक स्थायी प्रिंसिपल हो तो उससे कालेज बढ़ता है, पनपता है। उसमें अगर आदमी दो वर्ष के लिये या चार महीने के लिये टेम्पोरेरी हैसियत में हो तो उससे काम करने का हौसला नहीं होता, काम आगे नहीं बढ़ता, यह एक बड़ा भारी दोष है।

आज संस्कृत कालेज के अध्यापकों में एक बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया है। वह कहते हैं कि फिलहाल तो हमारी सर्विसज आप टांसफर किये ले रहे हैं, लेकिन क्या उसके बाद आप बीड आउट करेंगे। क्या बाद में फैसला करेंगे कि उनको विश्वविद्यालय में रखा जाय या नहीं?

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

उनकी सर्विसेज उसमें आटोमेटिकली ट्रांसफर होंगी या नहीं। जब तक इसका निश्चय नहीं हो जाता, संस्कृत कालेज के अध्यापकों में बड़ी बेचैनी है। आज आप उनकी बनाई हुई संस्था पर इतना बड़ा विद्यालय बनाने जा रहे हैं, उसमें उन्होंने अपनी जान लगायी है, आप उनको कह दीजिये कि उनकी सर्विसेज स्थायी रूप से ट्रांसफर हो गई। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो अनायास ही उनके मन में एक बेचैनी रहेगी जिससे वह लोग घबड़ाते हैं।

श्रीमन्, पहले जो विधेयक आया था उसमें और इसमें बहुत बड़ा अन्तर हो गया है। पहले वाले विधेयक में बहुत सी त्रुटियां थीं। मैं शिक्षा मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद दूंगा इसलिये कि उन्होंने बहुत सी त्रुटियों को दूर कर दिया है। मेरे पास बहुत से संस्कृत के जानकारों ने पत्र लिखे, लेकिन वह बहुत सी त्रुटियां अब दूर हो गई हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा करके एक आदर्श उपस्थित किया है। इसी प्रकार मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि यदि वह कभी इंटरमीडिएट बोर्ड के ऐक्ट को भी देखेंगे तो उसमें भी काफी सुधार की गुन्जायश है। पिछला जो विधेयक था उसमें कालेज के अध्यापकों को संसद में स्थान नहीं था लेकिन आज उसको संसद में स्थान प्राप्त हो गया है। पहले जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट थे उनको कोई स्थान नहीं था लेकिन इस बिल के अनुसार उनको भी स्थान प्राप्त हो गया है। यह जो नया ऐक्ट बना है उसमें सात आदमी गवर्नमेन्ट की तरफ से नामजद होंगे, जिसमें से ४ अध्यापक होंगे। यह काफी अच्छा परसेंटेज है कि जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनको इस प्रकार मौका मिलता है अपनी बात कहने का और अपनी स्थिति को कायम रखने का। इन तमाम चीजों से आज संस्कृत का अध्यापक समाज बहुत संतुष्ट है, ग्रेजुएट बहुत प्रसन्न है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक आध चीज में कुछ कमजोरी भी रह गई है और वह यह कि आपने प्रस्तोता का निर्णय कर दिया, ग्रन्थाध्यक्ष का निर्णय कर दिया, कोषाध्यक्ष का निश्चय कर लिया, लेकिन प्रिंसिपल कहां पर है, उनके विषय में भी आपने कोई निश्चय किया है या नहीं, यह मैं जानना चाहता था क्या वह स्टेट्यूट्स में रखे जायंगे और अगर दूसरी चीजों की तरह उसमें रखे जायंगे तो क्या उनकी योग्यता आदि का निश्चय होगा? मैं समझता हूं कि ग्रन्थाध्यक्ष का और सरस्वती भवन का जो अध्यक्ष होगा उसकी भी योग्यता आदि का निश्चय होगा। यह जो इसमें छात्राध्यक्ष की एक नयी चीज पैदाकर दी गई है विद्यार्थियों के लिये, यह काफी लाभदायक सिद्ध होगी छात्रों के लिये और मैं समझता हूं कि यह शायद ही भारत के किसी दूसरे विद्यालय में मिले। छात्राध्यक्ष स्टूडेंट वेलफेयर बोर्ड का प्रेसीडेंट होगा और कार्यकारिणी से, संसद से उसका डाइरेक्ट संबंध होगा। वह अभिभावक की तरह छात्रों की देखरेख रखेगा। यह बहुत बड़ी चीज है। लेकिन इसके साथ साथ मैं पुनः यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक बड़ी दुर्बलता रह जायगी यदि आप आचार्य के विषय में कुछ तय न करें। कौन आचार्य होना चाहिये इसके निश्चय करने में कुछ कठिनाइयां हैं और उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

संस्कृत पढ़ने की दो परिपाटी है। एक तो प्राचीन प्रकार से पाठशालाओं से पढ़कर आते हैं और दूसरे वह हैं जो कालेजों से ग्रेजुयेट होकर आते हैं। दोनों बातें साथ-साथ नहीं हो सकती हैं। कालेज का ग्रेजुएट जो होता है उनकी शिक्षा कैसी होती है उनकी भाषा को मैंने सुना है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। प्राचीन पंडितों की बातें भी सुनता हूं। उससे आप लोगों को भी जानकारी है कि इन दोनों की शिक्षा में कितना बड़ा अन्तर है। उसी अन्तर को दूर करने के लिये उसी कमजोरी को दूर करने के लिये तो आप इस विश्वविद्यालय की रचना कर रहे हैं। इसलिये जो आचार्य वहां पर रखा जाय उसकी क्वालिफीकेशन की डेफिनिशन होना चाहिये। अगर मान लीजिये कि कोई किसी विश्वविद्यालय का पी० एच० डी० संस्कृत में है और एक संस्कृत पाठशाला का साहित्याचार्य या व्याकरणाचार्य है तो इन दोनों में कैसे फर्क किया जाय और कौन काम करने के लिये उपयोगी हो सकता है। इसके लिये उदाहरण मौजूद है। संस्कृत कालेजों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने के लिये किसी एक बड़े विद्वान

के जिम्मे यह काम किया गया। उस वक्त के शिक्षा मंत्री ने सोचा कि हमको संस्कृत कालेज के बारे में कुछ नया पाठ्यक्रम बनाना चाहिये। इसके पीछे उसी प्रकार की नीति रही होगी जिस प्रकार से वैद्यराज ने सोचा कि पाणिनी के सूत्रों के आधार पर लघुसिद्धान्त कौमुदी की रचना की जाय। इसी प्रकार से उसके लिये भी सोचा गया कि एक नया पाठ्यक्रम बनाया जाया जिसको विद्यार्थी पढ़े और पढ़ने से उनको हिन्दी भाषा की भी जानकारी हो। अगर कोई संस्कृत का विद्वान है तो उसको हिन्दी की भी जानकारी जरूर हो। अगर कोई संस्कृत शिक्षा का विशेष जानकार है तो उसको इतिहास और भूगोल की भी जानकारी हो और उससे वह शून्य न रहे तो यह सब सोचकर एक पाठ्यक्रम बनाया गया। उस पाठ्यक्रम के बारे में जो बहुत बड़ी आलोचना हुई --मैं तो संस्कृत का विद्वान नहीं हूं और संस्कृत से परिचित भी नहीं हूं लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो पाठ्यक्रम तैयार हुआ उस पाठ्यक्रम की आलोचना की गयी और यह कहा गया कि इस पाठ्यक्रम को तैयार करने वाले वास्तव में संस्कृत के साहित्य और इतिहास की जानकारी नहीं रखते थे। एक पी-एच० डी० हो सकता है और डाक्टरेट भी हो सकता है लेकिन डाक्टर हो जाने से उस भाषा को जो सौष्ठव है उस सौष्ठव से उसको परिचय प्राप्त नहीं हो सकता। जो एक पाठशाला से संस्कृत का अध्ययन करके निकला होगा उसको उस भाषा से ज्यादा परिचय होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्य की परिभाषा और व्याख्या हो जाना नितान्त आवश्यक है। हम जानते हैं कि स्टेट्यूट्स में उसके विषय का कुछ प्रकरण आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता है। कुछ चीजें उसमें आगयी हैं और कुछ रह गयी हैं और कुछ के विषय में शिक्षा मंत्री जी ध्यान देते रहेंगे क्योंकि वह ऐसी हैं जिनमें कुछ अधिकार की बात हो जाती है उपकुलपति का एक पद रखा गया है। एक प्रति कुलपति का रखा गया है। यह पद बड़ा सुन्दर है और इनमें बड़े सुन्दर शब्द रखे गये हैं और प्रस्तोता भी बड़ा सुन्दर शब्द है लेकिन इसके साथ-साथ उपकुलपति के क्या अधिकार होंगे क्या स्टेट्यूट्स में इसकी सफाई वे करेंगे। लेखकों की जो नियुक्ति की जायगी इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी। जब उनकी नियुक्ति हो गयी तो उन नियुक्त किये गये लोगों को हटाने का जब सवाल आये तो उसका राइट किसको होगा। यह ऐसी चीजें हैं जिनका समावेश स्टेटयूटस् में होना ही अच्छा है। यदि यह न किया जाय तो यह एक विडम्बना मात्र होगी जिससे विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में गडबड़ी होगी।

अब मैं श्रीमन् आपका विशेष समय न लेकर दो एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि विश्वविद्यालय का केन्द्र बन गया और आपने इसको अधिकार भी दे दिया कि यह एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी हो सके लेकिन मैं एक बात चाहता हूं और जो लोग जरा भी संस्कृत भाषा से परिचित होंगे वह इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी रहे लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय यह ऐसा विश्वविद्यालय हो जिसमें छात्रावास का होना अनिवार्य कर दिया जाय इसलिये कि संस्कृत विद्या ऐसी है कि जो छात्रावास में रहकर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकता है वह अपने घर पर बैठकर प्राप्त नहीं कर सकता है। उसका एक कारण है उसका एक प्रकरण है उसकी एक परिपाटी है जिसके अनुसार विश्वविद्यालय के साथ छात्रावास का होना अनिवार्य है। अभी वहां पर कालेज के साथ छात्रावास नहीं है। आज जो काशी में संस्कृत छात्रावास कहे जाते हैं वे "क्षेत्र" हैं। लड़के वहां रहते भी हैं और एक वक्त उनको मुफ्त भोजन वहां मिलता है। बनारस में ऐसे इतने छात्रावास पड़े हैं जहां पर संस्कृत पाठशालाओं के विद्यार्थी एक समय भोजन पा सकें और वह परीक्षाओं में बैठ सकें। इस प्रकार का प्रबन्ध आप यहां पर भी करें जिससे विद्यार्थी वहां पर बढ़ सकें और आसानी से भर्ती पा सकें इसी प्रकार से आपको फीस का स्तर भी ऐसा रखना पड़ेगा जिससे गरीब तबके के विद्यार्थी भी वहां पर शिक्षा पा सकें।

यह मैं जानता हूं कि यह एक ऐसी चीज है जिसमें विद्यार्थी चारों तरफ से आते हैं। ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि और बहुत से समाजों के लोग भी आते हैं तो उन लोगों के लिये यदि हम फीस का क्रम वही रखें वही ऊंची फीसें रखें, जो कालेजों में होती हैं तो उनके लिये बड़ी कठिनाई

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

होगी। उन विद्यार्थियों के लिये हमें फीस का स्टैन्डर्ड ऐसा रखना होगा कि गरीब से गरीब विद्यार्थी भी संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर सके। आज हमारे और आपके परिवार में श्रीमन्, और हर एक के परिवार में पुरोहित होते हैं और उनसे ज्योतिष या पत्रा या पंचक या मामूली साइत का काम लिया जाता है। ऐसे लोग बहुत से हैं। उन्हें बहुतों को संस्कृत का समुचित ज्ञान नहीं होता चूंकि उनके लिये इसका कोई उचित साधन नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिये जिनके पास किसी तरह की एजूकेशनल ग्राउन्डिंग भी न हो क्लासेज का प्रबन्ध हो तो उचित होगा। मैंने नालन्द का जिक्र किया। वहां ऐसे भी कमरे बने हुये हैं जहां विद्यार्थियों को मूर्ति बनाने का काम, पीतल का काम, बुद्ध और दूसरे देवताओं की मूर्ति बनाने का काम, कांसे और रांगे की चीजें बनाने का काम सिखाया जाता है और कुछ आयुर्वेदिक शिक्षा भी दी जाती है। इससे उन लोगों को आगे चल कर काफी आसानी और सुविधा होती थी अपने जीवन में। इस प्रकार वे और भी काम कर सकते थे। संस्कृत के विद्यार्थी के सामने भी जीवन की वही समस्यायें हैं जिनके कारण और बहुत से नवयुवक परेशान हो सकते हैं। इसलिये संस्कृत के साहित्य और व्याकरण के साथ-साथ ऐसे विषयों का भी समावेश करना होगा कि वे विद्यार्थी विद्या साथ-साथ लोक की गति को भी समझ सकें। हमारे यहां तो एक बड़ी भारी बात कही गई है और सही भी है। वह यह है कि——

अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठः, ग्रन्थिभ्यो धारिस्यो वराः।
धरिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठः, ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥

जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उससे अच्छा तो कम से कम वह है जिसने पुस्तकें तो पढ़ी हैं। और पुस्तकें पढ़ने वाले से अच्छा वह है जिसने पुस्तकें पढ़कर उन्हें धारण भी किया है। धारण करने वाले से भी अच्छा वह है जिसने ज्ञान भी प्राप्त किया है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने वालों से अच्छा वह है जो कि रोजमर्रा की जिन्दगी में अपने जीवन में अपने ज्ञान को कार्यरूप में परिणत करता है तो नितान्त आवश्यक है कि संस्कृत विद्या का अध्ययन पठन—पाठन ऐसा हो जिससे विद्यार्थी विश्व-विद्यालय से निकल कर जीवन को सफल बना सके और लोक—गति को समझ सके। इसलिये उसका पाठ्यक्रम हमें कुछ इस प्रकार का रखना होगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्रीजी इन बातों पर अवश्य गौर करेंगे जिससे हमारी संस्कृत यूनिवर्सिटी सफल हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को पुनः बधाई देता हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)——माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से आज मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर मिला है मैं इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। यह सबको मालूम है कि हमारा देश सदैव से संस्कृत का केन्द्र रहा है। हमारे मित्र ने अभी तक्षशिला और नालन्द का जिक्र किया, लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज संस्कृत की जो दुर्दशा है हमारे उन शास्त्रियों की दशा आज गांवों में देखने को मिलती है जो जूनियर हाई स्कूलों में २५,२५ रुपये पर पढ़ाते हैं। अगर यह सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देगी तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऊपरी दिखावे से काम चलने वाला नहीं है। हमारे देश में अगर संस्कृत को ऊंचा उठाना है तो हमको आपको सही मानों में उसके रास्ते की रुकावटों को दूर करना चाहिये और नीचे से चलना चाहिये ऊपर से इसको लादना ठीक नहीं है। विज्ञान के अनुसार

भी सरलता की ओर से कठिनता की ओर जाते हैं न कि कठिनता की तरफ से सरलता की ओर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि संस्कृत फले-फूले तो सरकार को एक काम यह करना चाहिये कि वह संस्कृत भाषा को हाईस्कूल और जूनियर स्कूलों में कम्पलसरी कर दे तब इस विश्वविद्यालय से अच्छे-अच्छे स्नातक निकलेंगे।

दूसरी बात यह है कि संस्कृत को महत्व दिया जाना चाहिये, संस्कृत के पंडितों को स्थान दिया जाना चाहिये, मगर दुख का विषय यह है कि हिन्दी और संस्कृत के विद्वानों को अंग्रेजों के विद्वानों के मुकाबले में तरजीह नहीं दी जाती है। जब तक ऐसा नहीं होगा हिन्दी और संस्कृत ऊंची नहीं उठ सकती, आपका यह विश्वविद्यालय चमकेगा भी नहीं।

इसमें हेरीडेटरी जो बात रक्खी गयी है वह ठीक नहीं है। यह कोई बात नहीं है कि अगर किसी का बाप किसी जगह का कर्ता-धर्ता रहा है तो उसका बेटा भी वहां का कर्ता-धर्ता रहे इससे तो राजा साहब जगम्मनपुर भी कहेंगे कि हमको भी विश्वविद्यालय का चान्सलर बना दिया जाय। यह ठीक नहीं है कुछ पीरियड अवश्य होना चाहिये। इससे तो उनको चांसलर ही क्यों न बना दिया जाय तो उसकी अवधि ५ साल की तो होगी, लेकिन इस प्रकार आजीवन के लिये कर देना यह ठीक नहीं है। इसके मैं विरुद्ध हूं। यह बिल जो हमारे सामने है वह इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी बिलों की नकल है। किसी संस्कृत के पंडित का बनाया हुआ नहीं है। पाणिनी का जिक्र किया गया। उनके छात्र यहां बैठे हुए हैं और विद्वान हैं, लेकिन उनसे नहीं पूछा गया। आज सरकार की ओर से यह प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है कि टेम्परेरी लोग परीक्षा नहीं दे सकते, लेकिन मेरे ख्याल से इस प्रकार का प्रतिबन्ध सरकार को नहीं लगाना चाहिये। अगर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया तो बहुत से गरीब लोग विश्वविद्यालय में नहीं जा सकेंगे।

मान्यवर परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि फीस कम होनी चाहिये, लेकिन यह भी भारतीय परम्परा के विरुद्ध है। संस्कृत की शिक्षा तो निःशुल्क होनी चाहिये और उसके लिये उत्तर काशी या हरिद्वार में यूनिवर्सिटी होनी चाहिये। उत्तर काशी में यह चीज मशहूर है कि टेहरी के जो राजा हैं वे बहुत पंडित हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे स्थानों पर बहुत विद्वान आदमी ही होना चाहिये। जो वाकई सही मानी में पंडित हैं उनके साथ न्याय होना चाहिये तभी आपकी यूनिवर्सिटी बढ़ सकती है।

दूसरी बात मान्यवर, यह निवेदन करनी है श्री अवधेश प्रताप सिंह बहुत परेशान हैं लेकिन वे भी हाउस में बोले परन्तु उन्होंने एक भी संस्कृत का श्लोक इस हाउउ में नहीं कहा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि "सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनो कुतो सुखम।" जो और कालेजों तथा यूनिवर्सिटी के नियम हैं वे ही सब वहां पर भी हैं वहां होस्टल की भी डिमांड है जो कि इंगलिश ट्रेडिशन है मैं समझता हूं कि वह फलित नहीं हो सकता है। मान्यवर, हमारे विश्वविद्यालयों में जो पुरानी परम्परा है जो अंग्रेजी सिस्टम है उस सिस्टम को सलाम करना चाहिये। जो कुछ भी हमको करना होगा वह इस देश की संस्कृत को ऊंचा करने के लिये करना होगा। यह नहीं कि वारणसी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जैसा नियम है वही होगा। उसी तरह से होस्टल होंगे, स्टूडेंट्स फेडरेशन बनेंगे और न मालूम क्या क्या बनेंगे फिर पार्टीबन्दी होगी और तमाम झगड़े फसाद होंगे, जिससे कोई भी विद्यार्थी ठीक से पढ़ नहीं सकेगा। आज यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट देखने से पता चलता है कि उनका रिजल्ट ३५,४० पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं जा रहा है और हमको फर्स्ट क्लास आदमी नहीं मिल रहे हैं।

आज हमारे देश में निर्माण की आवश्यकता है जिसके लिये विद्वानों की जरूरत है पंडितों की जरूरत है। आज हमें ऐसे आदमियों की जरूरत है जो देश को मार्ग दिखास कें, आज जो नेहरू के लिये हाय-हाय मची हुई है कि नेहरू के बाद क्या होगा। श्रीमन्, यह ठीक ही है कि हमें विद्यार्थियों में से ही ऐसे आदमी तैयार करना है जो त्यागी हो, बहादुर हो और तपस्वी बन सके। आज हमें उस ट्रेडिशन को कायम रखना है जो हमारी संस्कृति की देन है। पहले

[श्री शिवनारायण]

भी ऊंच नीच का विचार नहीं था बल्कि वह तो काम का बटवारा था, जिसके अनुसार लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहलाते थे। अगर ऐसी बात नहीं रहती तो एकलव्य ऐसा शिष्य गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु नहीं बनाता और उनकी आज्ञा मान कर अपना अंगूठा नहीं दे देता। आजकल के शिष्यों की तो यह हालत है कि वे पिस्तौल की धमकी देकर तथा चाकू दिखला दिखला कर अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। लखनऊ, इलाहबाद तथा गोरखपुर यूनिवर्सिटी आदि के जो नियम हैं वैसे ही इसके भी नियम बनें और उनसे कोई फर्क न हो तो यह ठीक और मुनासिब नहीं होगा और उससे हमारा देश लाभ न उठा सकेगा। हमको तो चाहिये कि हम अपनी पुरानी संस्कृति को ऊंचा उठायें और हममें से हर एक में भारतीयता की छाप निहित हो। मैं चाहता हूं कि हम अपने ट्रेडिशन को कायम रखें। हमारे एक मित्र ने जातियों के सम्बन्ध में कुछ इशारा किया है, लेकिन मैं मान्यवर, आपके जरिये बतलाना चाहता हूं कि उस वक्त ऐसा नियम नहीं था कि चमार का बेटा किसी ब्राह्मण की थाली को नहीं छू सकता बल्कि वह तो काम के लिहाज से सब जातियों का बटवारा कर दिया गया था ताकि सब लोग अलग-अलग अपना काम करते रहें। क्योंकि अगर ऐसा होता तो एकलव्य पढ़ने के अवसर पर अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा नहीं सौंपता। इतिहास के पन्ने इस बात को बतलाते हैं कि हमारे देश में ऐसे लोग हुए हैं.....

श्री अध्यक्ष---क्या अभी आप और समय लेंगे ?

श्री शिवनारायण---जी हां।

श्री अध्यक्ष---तो आप बाद में जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवनारायण---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संस्कृत विश्वविद्यालय के बिल पर बोल रहा था। मैंने उस समय विद्यार्थी के लक्षण बताये थे कि विद्यार्थियों के लक्षण क्या होने चाहिये और मैंने एक श्लोक भी पढ़ा था कि "सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम्"। इस समय जो हमारा विद्यार्थी समाज है वह इस श्लोक पर उतरता नहीं वह इस पर तुलता नहीं। मैं आपके द्वारा इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वह वाकई में इस देश में सच्चे विद्यार्थी पैदा करना चाहते हैं और जैसा कि अभी हमारे एक मित्र ने अपने व्याख्यान में कहा था कि चुटिया बांध कर पाणिनी को याद करते थे, लेकिन वह अच्छे विद्यार्थी तभी हो सकते हैं जब "सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम्" के आदर्श पर चलें और उतरें, तभी वह आगे पाणिनी के श्लोकों को याद कर सकेंगे। वह पढ़ाई भी उत्तर काशी जैसे स्थान पर और हरद्वार जैसे शान्त वातावरण में ही हो सकती है और वहां पर, विद्यार्थी यहां के ऐबोहुनर और मलेक्षताओं से परे रह सकेंगे, इन नाचगानों, सिनेमा और शहर के और संसार के तमाम ऐश्वर्य से वह परे रह सकेंगे और पाणिनी के श्लोक याद कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि देश की संस्कृति ऊंची आये। इस संबंध में मैं एक दृष्टान्त दूंगा कि हमारे शिक्षा विभाग में देश के महान् पंडित श्री नारायन चतुर्वेदी हैं। वह जब जर्मनी गये तो उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं तो उन्होंने बताया कि मैं चतुर्वेदी हूं। जब वहां पर मालूम हुआ तो उनका वार्तालाप वहां के एक चारों वेदों के ज्ञाता से कराया गया, लेकिन उस जर्मन के चारों वेदों के ज्ञाता का जवाब वह संस्कृत में न दे सके और खिसक गए और वहां से चले आए। हम चाहते हैं आगे यह बात न रहे और हमारे देश के संस्कृत के विद्वान सबसे ऊंचे उठें और आगे आयें, हमें संस्कृत से हमदर्दी है, विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में पाणिनी और मनु के समान विद्वान पैदा हों और यहां पर चमार ब्राह्मण सब को भारतीय विधान के अनुसार पढ़ने-लिखने और आने-जाने का समान अधिकार हो और संस्कृत पढ़ने का भी अधिकार हो। पहले बहुत से लोगों को

इजाजत नहीं थी, लेकिन अब सब को हो गई है, हम को ही नहीं पहले बहुतों को नहीं थी, वह जो ३ जातियां थीं क्षत्री, वैश्य, शूद्र वह नहीं पढ़ पाती थीं।

श्री उपाध्यक्ष—केवल संस्कृत पढ़ने की मनाही कभी नहीं हुई।

श्री शिवनारायण—नेहरू जी की सरकार ने, पंडित गोविन्द बल्लभ पंत की सरकार ने और डाक्टर सम्पूर्णानन्द की सरकार ने इस देश में नेशनेलिज्म और समाजवाद फैलाया है और अब छोटे-बड़े का कोई विचार नहीं है और आशा है कि आगे और भी समता के विचार इस देश में लाये जायंगे। हमारे हरिद्वार वाले शास्त्री जी ने संस्कृत के कठिन और सरल दो रूप बताये हैं। संस्कृत को धीरे-धीरे बढ़ाया जाय। हमारे देश के विद्वानों की हमेशा पूजा हुई है और आगे भी उनकी पूजा होगी, किसी जाति विशेष की पूजा नहीं होनी चाहिये। रामराज्य की कल्पना जो है वह हमारी ऋषि मुनियों की संस्कृति है और जो हमारी संस्कृत भाषा है उसी के अध्ययन से हो सकती है। हमारे चारों वेदों में साइन्स का खजाना है, उनके पढ़ने वाले पंडित चाहिए, आज देश में विद्वानों की कमी है। आज हमको डाक्टर और साइंटिस्ट चाहिये पुष्पक विमान बनाने वाले चाहिये जिसमें बैठ कर एक तीर मार दें तो हनुमान जी को लंका पहुंचा दे। अभी हम हैं क्या। आज रूस और जर्मनी फूले नहीं समाते हैं कि उन्होंने हाइड्रोजन और एटम बम बना लिया। हमारी संस्कृति में खजाना भरा है। उन आचार्यों और विद्वानों की पूजा की जाय। मुझे बड़ा क्लेश होता है जब मैं संस्कृत के पंडितों से मिलता हूं और मैं उनको झोपड़ियों में पढ़ाते देखता हूं १५ और २५ रु० पर। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उन अध्यापकों की इज्जत की जाय। आप चाहते हैं कि राम, कृष्ण और अर्जुन को पैदा करें तो इन गुरुओं को द्रोणाचार्य का स्थान दीजिये वर्ना आप की जड़ में यही अध्यापक मट्ठा देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विश्वविद्यालय जो कायम किया जा रहा है इसके नीचे की ईंट मजबूत होनी चाहिये। अगर ईंटें कच्ची रहीं तो इमारत नीचे आ जायेगी। इसलिये सरकार से कहना चाहता हूं कि छुआ-छूत का भूत भी इस प्रदेश में है इसको दूर किया जाय। बहुत से लोग इस भेद भाव को रखना चाहते हैं। जरा अपनी आत्मा को आप शुद्ध करें तभी देश का भला होगा। लिप सिम्पेथी नहीं होनी चाहिये। जो बात कही जाय प्रेक्टिकल होनी चाहिये। जबानी उड़ाने से काम नहीं चलेगा।

शिक्षण संस्थाओं में आज अध्यापकों की जो दुर्दशा है मैं डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी का आभारी हूं जिन्होंने संस्कृत अध्यापकों की हालत को देश के सामने रक्खा। मैं उनसे सहमत हूं जो उन्होंने कहा कि उन टीचरों को गवर्नमेंट को आश्वासन देना चाहिये। आप के पास आज आदमी नहीं हैं। ऐसा न हो कि जो आदमी आज उठाकर लाये जायं और नये आदमी मिल जाने पर पुरानों को निकाल दिया जाय। उन्हें सही मानों में लाया जाय। नहीं तो वे युनिवर्सिटी को ठप्प कर देंगे। जब मिलें तब खोली जाय। इनकी सर्विसेज परमानेन्ट की जाय और जो और प्रोफेसर्स का ग्रेड है १,२०० से १,५०० रु० तक उसी ग्रेड में उनको रक्खा जाय। वाइस चाँसलर को दो हजार दें और प्रोफेसर्स को दो सौ तीन सौ दें ऐसा नहीं होना चाहिये। एक लेविल होना चाहिये। एक माप दंड होना चाहिये तभी देश का कल्याण होगा वर्ना संस्कृत फलेगी-फूलेगी नहीं। इसके उद्देश्य में दिया हुआ है कि संस्कृत हिन्दी की जननी है। मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोली गई। उत्तर प्रदेश में एक हिन्दी युनिवर्सिटी की जरूरत है तभी हमारे शिक्षा मंत्री का नाम होगा। हमारे प्रति अन्य प्रान्तों की आवाज उठ रही है कि हमारे ऊपर हिन्दी लादी जा रही है। जब हिन्दी युनिवर्सिटी खुलेगी तो संस्कृत यूनिवर्सिटी भी फलेगी। संस्कृत के पोषक तो अन्य प्रान्त वाले भी हैं। जितने वे हिन्दी विरोधी हैं उतने ही संस्कृत के पोषक हैं। जैसे संस्कृत यूनिवर्सिटी खुल रही है वैसे ही हिन्दी यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिये जो पक्के पंडित हैं उनको उसमें स्थान दिया जाय ताकि इस प्रदेश में हिन्दी और संस्कृत फल और फूल सकें।

[श्री शिवनारायण]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जैसे अन्य यूनिवर्सिटीज में छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं वैसे ही संस्कृत युनिवर्सिटी में हरिजनों के लिये छात्रवृत्तियां खुली होनी चाहिए। बनारस के विश्वनाथ मन्दिर में हरिजन प्रवेश नक्शा हमारे सामने हैं। इसी तरह से बनारस के महाराजा को प्रति-उपकुलपति बनाने की बात कही जाती है। परम्परा और हेरिडिटरी होने की बात कही जाती है। राजा साहब बनारस की बड़ी कृपा दृष्टि रही है, उस युनिवर्सिटी पर तो उनके एक आदमी को परमानेन्ट लाइफ मेम्बर बना दिया जाय। मैं समझता हूं कि युनिवर्सिटी कोई गिफ्ट देने के लिये नहीं है। वाइस चांसलर कोई पंडित बनाया जाय, सही आदमी बनाया जाय जिसको दस आदमी सही कह दें।

एक सदस्य—हरिजन बना दिया जाय।

शिवनारायण—नहीं। मैं जबरदस्ती की बात नहीं कहता। जिस आदमी को सरकार पंडित समझे उसे बना दें। अगर कोई हरिजन निकल आये तो उसे बना दिया जाय। यह तो आप की तबियत है। बात नपी तुली हो। यूनिवर्सिटीज में हमारे विद्यार्थियों की भरती के लिये दरवाजा खुला होना चाहिये अगर नहीं खुलेगा तो संस्कृत युनिवर्सिटी फलेगी नहीं।

मेरे एक मित्र आये थे बनारस से। उन्होंने कहा मन्दिर प्रवेश बड़ा तूफान मचा हुआ है। मैंने कहा कि भूल करते हो जो मन्दिर प्रवेश करने के लिये व्यर्थ समय गवां रहे हो। दूसरा मन्दिर हरिजनों को बना देना चाहिये, इतने करोड़ों हरिजन हैं अगर एक-एक ईंट भी सब लगायें तो उससे अच्छा मन्दिर बन सकता है। तो यह नक्शा न पैदा हो देश में। लेकिन जो बात की जाय मुनासिब की जाय, उचित की जाय, कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में हिन्दी और संस्कृत तभी फूलेगी और फलेगी जब उन पंडितों की जो झोपड़ी में रहते हैं, तिलक लगाकर पूजा करते हैं, लेकिन पेट खाली ईमान खाली। आप कहते हैं कि पढ़ाते नहीं। आज उनको १०, १५ रु० ही माहवार मिलते हैं, तो क्या खाक पढ़ायें। आप उनको चपरासी से नीचे समझते हैं। याद रखिये आपकी कौम चपरासी होगी, पंडित नहीं होगी। शिक्षा मंत्री भी आ गये। जिन शिक्षकों को आप ले जा रहे हैं उनको मुस्तकिल कर दीजिये तभी देश का भला होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि युनिवर्सिटी में जो फ़ैसिलिटीज और लोगों को मिलती हैं ठीक वैसी ही फ़ैसिलिटीज इस संस्कृत विश्वविद्यालय के लोगों को भी मिलनी चाहिये। उनको भी वही तनख्वाह होनी चाहिये जो और यूनिवर्सिटीज में मिलती है। आप मुबारकबाद के पात्र हैं, क्योंकि आप ने गोरखपुर युनिवर्सिटी खोली, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। जनता और हम सब आप के साथ हैं और सारे संस्कृत के पंडित आप की इज्जत करते हैं। इसलिये मैं सरकार से अन्त में कहना चाहता हूं कि जो नीचे वाले अध्यापक हैं, संस्कृत वाले, उनकी इज्जत की जाय, उन्हें उचित तन्ख्वाह दी जाय और संस्कृत नीचे से कम्पलसरी कर दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रसन्नता जाहिर करता हूं कि संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया गया है। यह सरकार और शिक्षा मंत्री धन्यवाद के पात्र होते यदि यह विधेयक और कुछ वर्ष पहले आया होता। श्रीमन्, मैं यह आरोप इस सरकार पर लगाना चाहता हूं कि अंग्रेजी सरकार के बाद इस कांग्रेसी शासन में संस्कृत शिक्षा का ह्रास हुआ है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय परिपूर्णानन्द जी चूंकि मान्यता कमेटी के चेयरमैन हैं, इसलिये उनके पास तालिका हो कि प्रदेश में ज्यादा संस्कृत पाठशालायें खुलती हैं, लेकिन श्रीमन्, हम तो एक छोटे जिले में रहने वाले हैं। जिलों के बारे में जितनी जानकारी मुझको है उस पर मैं दावा करता हूं यह कहने का कि सन् १९४७ के बाद आज तक आजमगढ़ जिले में कोई संस्कृत पाठशाला नहीं खुली। मैं परिपूर्णानन्द जी को चुनौती देता हूं कि वह बतावें कि प्रदेश में कितनी नई संस्कृत पाठशालायें सन् १९४७ के बाद खुली हैं और जिनके लिये प्रार्थना-पत्र मान्यता कमेटी के पास आये हैं?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--अगर आप की इजाजत हो तो बता दूं कि सदस्य बहुत गलत समझे। पाठशालाओं की मान्यता कमेटी से नहीं मिलती है। सिर्फ हाई स्कूल और इंटरमीडियेट स्कूलों को मिलती है। मैंने कहा था कि हाई स्कूल और इंटरमीडियेट कालेजेज में संस्कृत की क्लासेज खोलने की मांग हमारे पास आती है। पाठशालाओं का रिवाज अब उठ गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--श्रीमन्, अच्छा हुआ उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया। मेरी जहां तक जानकारी है श्रीमन्, संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ाने का अवसर नहीं मिलता है और जानकारी पर कहने के लिये तैयार हूं कि सन् १९४२ के बाद से आज तक संस्कृत पाठशालाओं में संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थियों की कमी हुई है, उनका ह्रास हो रहा है। यह दूसरी बात है कि हायर सेकेण्डरी स्कूलों में, डिग्री कालेजों में संस्कृत पढ़ाने के लिये माननीय परिपूर्णानन्द जी इजाजत दिये हों। श्रीमन्, मैं यह भी कहता हूं कि हायर सेकेन्डरी स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने की जो पद्धति है और संस्कृत पाठशालाओं में जो पढ़ाने की पद्धति है उसमें कोई तुलना नहीं। केवल अंग्रेजी हायर सेकेण्डरी स्कूलों में संस्कृत के साहित्य का ज्ञान होता है। उसके व्याकरण का पाणिनि का और चीजों का ज्ञान नहीं हुआ करता है और उसके लिये यह कहा जाय कि संस्कृत पाठशालाओं का उत्थान हुआ है, संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों का उत्थान हुआ है, उनकी तादाद बढ़ी है यह अतिशयोक्ति होगी।

श्रीमन्, आपको जानकारी होगी कि जब यह कांग्रेस हुकूमत नहीं आयी थी, अंग्रेजी हुकूमत थी तो सेकेंड्री स्कूलों में, हाई स्कूलों में, डिग्री कालेजों में संस्कृत के जो आचार्य होते थे चाहे वह व्याकरण के आचार्य हों, चाहे साहित्य के आचार्य हों, वहां संस्कृत पढ़ाया करते थे। लेकिन आज क्या है? आज जितने हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं, डिग्री कालेज हैं, उन सब में संस्कृत लेकर जो एम० ए० पास हैं वही अध्यापक रखे जाते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री इस प्रकार की कोई तालिका प्रस्तुत कर सकें तो करें कि हायर सेकेन्डरी स्कूलों में कितने ऐसे संस्कृत के अध्यापक हैं जो संस्कृत के व्याकरणाचार्य या साहित्याचार्य हैं। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? जो संचालक लोग हैं, मानी हुई बात है हर एक आदमी सुविधा का ख्याल करता है। अपना पैसा बचाने की बात सोचता है। संस्कृत लेकर जिसने एम० ए० पास किया है वह जिस कालेज में, हायर सेकेन्डरी स्कूल में अध्यापक होगा, वह संस्कृत भी पढ़ायेगा अंग्रेजी भी पढ़ायेगा और विषय जिसको लेकर उसने एम० ए० किया है या ग्रेज्युएट है, उनको भी पढ़ायेगा। लेकिन संस्कृत का अध्यापक केवल संस्कृत पढ़ाना जानता है इसलिए हरएक संचालक मंडल यही सोचेगा कि इस प्रकार के अध्यापक न नियुक्त किये जायं।

मैं जानना चाहूंगा कि सरकार की ओर से संस्कृत का उत्थान करने के लिये जिस संस्कृत की अभी इतनी प्रशंसा की गयी है, माननीय परिपूर्णानन्द जी ने जितनी कल्पना तथा जितनी तारीफ की है उस वाराणसी से पढ़े हुये विद्यार्थी के उत्थान के लिये, उसको सुविधा प्रदान करने के लिये इस सरकार ने क्या रास्ता अख्तियार किया है? मेरा ख्याल है श्रीमन्, कि आज तक कोई भी सरकार की ओर से इस प्रकार का जी० ओ० नहीं गया है हायर सेकेंड्री स्कूलों में या डिग्री कालेजों में कि संस्कृत कालेज बनारस से जो लोग आचार्य या साहित्याचार्य की डिग्री पाये हों वही पढ़ायें। श्रीमन्, इसके अलावा आप यह भी जानते होंगे कि संस्कृत के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, माननीय शिवनारायण जी ने कहा कि उनके वेतन के सम्बन्ध में बड़ी उपेक्षा की जाती है। हायर सेकेन्डरी स्कूलों में, डिग्री कालेजों में तो सरकार का आदेश जाता है, संचालक का आदेश जाता है कि इससे कम तनख्वाह मिलेगी तो मान्यता छीन ली जायगी, ग्रान्ट बन्द कर दी जायगी। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिये भी कोई इस प्रकार का सर्क्युलर गया है? मेरा ख्याल है इस तरह का कोई आदेश नहीं है। श्रीमन्, आप यह भी जानते होंगे कि संस्कृत के जो, आचार्य होते हैं वे साहित्य से हों या व्याकरण से या किसी विषय से हों, यदि वह हायर सेकेन्डरी स्कूलों में या डिग्री कालेजों में पढ़ाने जाते हैं तो जरूरी होता है उनके लिये कि वह रिफ्रेशर कोर्स में जायं।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

छः महीने जाकर के रिफ्रेशर कोर्स जो नहीं करते हैं उनको ट्रेन्ड नहीं माना जाता है। एक तरफ तो साहित्य का आचार्य हो, एक तरफ साहित्य रत्न हो, एक तरफ एम० ए० संस्कृत ले कर हो उसको तनख्वाह १६० रु० मिलेगी, १५० रु० से शुरुआत होगी, लेकिन संस्कृत का आचार्य वाराणसी से हो, जिसकी अभी प्रशंसा की गयी है वह जब तक रिफ्रेशर कोर्स नहीं करता है तब तक ट्रेंड नहीं माना जाता है और उसकी तनख्वाह श्रीमन्, ट्रेंड हो जाने के बाद १२० रु० से शुरू होती है और अगर ट्रेंड नहीं हुआ तो तब तो मनमानी है कि ५० रु० दें या ६० रु० दें कोई संख्या निर्धारित नहीं है कि कितनी तनख्वाह उसको दी जाय।

श्रीमन्, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार ने अपने प्रदेश में जो सरकार का वर्तमान मंत्रिमण्डल है इसके कायम होने के पहले कितनी संस्कृत पाठशालायें थीं और इस वक्त कितनी हैं, और उस वक्त सरकार की ओर से कितनी ग्रांट पाठशालाओं को मिलती थी और आज कितनी मिलती है। उन पाठशालाओं में पढ़ने वाले कितने लड़के थे और आज कितने हैं? साथ ही साथ माननीय सदस्यों को कम जानकारी होगी कि इस प्रदेश में जैसा इस सरकार का काम है आदर्श स्थापित करने का, आदर्श थाने बनें, उसी प्रकार आदर्श पाठशालायें भी बनी हैं जिलों में। कुछ ऐसी पाठशालायें हैं जिनको आदर्श पाठशालाओं का नाम दे दिया गया है लेकिन उनमें सरकार से क्या मदद मिलती है, मेरा ख्याल है कि शायद शिक्षा मंत्री जी को भी इतनी जानकारी न हो कि आदर्श पाठशालाओं को आदर्श होने के नाते कितनी-कितनी अधिक ग्रांट मिलती है अन्य पाठशालाओं के मुकाबले में।

कहा गया है उद्देश्य में कि संस्कृत का ह्रास हो रहा है और उसका ह्रास न हो इसके लिये यह संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया गया है। श्रीमन, मैं कहना चाहूंगा कि इस विधेयक के प्रस्तुत हो जाने से संस्कृत का ह्रास रोक दिया गया यह मालूम नहीं होता। संस्कृत पढ़े लिखे जो लोग जो व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य और विषयों को लेकर होते हैं, एम० ए० के बराबर डिग्री पाते हैं, लेकिन उनको वहां मान्यता, वहां योग्यता, वहां स्थान नहीं प्रदान किया गया जिस तरह से एम० ए० पास का होता है। क्या वजह है कि संस्कृत कालेज का आचार्य पब्लिक सर्विस कमीशन के चुनाव में हिस्सा न ले सके? श्रीमन्, आप से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का कोई संशोधन, इस प्रकार का कोई मशविरा अगर सरकार करती है कि एम० ए० पास विद्यार्थियों के अनुकूल संस्कृत विश्वविद्यालय के पास लोग उन चुनावों में हिस्सा ले सकें, उनको वहां स्थान प्राप्त हो सके, तब तो मेरा ख्याल है कि हर एक आदमी का रुझान संस्कृत की ओर होगा। लेकिन आज संस्कृत की ओर से रुझान जो संस्कृत पढ़ाने वाले विद्वान हैं उनका भी घटता चला जा रहा है। उसका एक ही कारण है कि संस्कृत पैसा पैदा करने वाली विद्या नहीं रह गयी है, जब कि हाई स्कूल पास, इंटर पास, बी० ए० पास एम० ए० पास लोग ८५ रुपये से, १२० रुपये से उनकी शुरूआत होती है, वहां पर आचार्य को ५० रु० और ४० रु० तनख्वाह पर अपना जीवन बिताना पड़ता है। ऐसी हालत में कौन ऐसा नागरिक होगा जो इस सरकार का जो उद्देश्य है और इस देश और प्रदेश में आदर्श सामाजिक व्यवस्था पैदा करना उसमें अपने को और अपने परिवार को भी ढालना न चाहेगा।

इस देश की सरकार श्रीमन्, यह चाहती है कि जो ज्यादा पैसा पाये, जिनके पास पूंजी हो वही लोग पढ़-लिख सकें और उन्हीं के खानदान के लोग पढ़ लिख सकें, उनको ही ऊंची नौकरियां मिल सकें, लेकिन जो लोग गरीब हैं, साधनहीन हैं, कम तनख्वाह पाने वाले हैं उनके बच्चों और परिवार वालों को कोई सुविधा या साधन यह सरकार देने में असमर्थ है जिससे कि उनके लड़कों को भी समान अवसर मिल सके आगे बढ़ने का। तो फिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आज के युग में इस समय के ढांचे को देख कर संस्कृत अपने बच्चों को पढ़ाने को लालायित होगा? श्रीमन्, यहां पर बनारस संस्कृत कालेज की बहुत चर्चा की गयी, लेकिन बहुत से ऐसे संस्कृत के पंडित हैं जिनके बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं। वह कहते हैं कि हम संस्कृत क्यों पढ़ायें जब इस देश और प्रदेश सरकार संस्कृत की महत्ता को समझती नहीं है, जो संस्कृत पढ़े-लिखे

विद्वानों की इज्जत नहीं कर पाता है, उनके मुकाबले में जो यूनिवर्सिटी में बी० ए०, एम० ए० पास लोगों को अच्छा समझती है। तो कैसे यह सरकार यह कहने का दावा करती है। मैं कहना चाहूंगा कि संस्कृत विश्वविद्यालय के खोल देने से इस प्रदेश में संस्कृत पढ़ने वालों की वृद्धि होने वाली नहीं है बल्कि आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। जिससे संस्कृत पढ़ने वाले लोगों की अन्य लोगों के साथ बराबर की स्थिति हो सके। श्रीमन्, संस्कृत के लिये तो ईश्वर के यहां जाने के लिये या ईश्वर प्राप्ति आपद के उदाहरण दिये जा सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है कि उसकी रक्षा के लिये, उसकी प्रतिष्ठा के लिये संस्कृत विश्वविद्यालय वगैरा चलाये। हम संस्कृत के उत्थान के लिये ही विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। हमें संस्कृत के उत्थान के लिये संस्कृत के डिग्रियों को अन्य डिग्रियों के समकक्ष माननी चाहिये। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस देश की जनता की प्रतीक सरकार है। जनता की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो सरकार जिम्मेदार होती है, जनता के नैतिकता के आधार की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। मेरा ख्याल है कि संस्कृत का जो ह्रास हुआ है, लोगों में इसके प्रति जो उदासीनता हुयी है उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होनी चाहिये।

श्रीमन्, जो यहां पर कहा गया और माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहा और सीताराम जी शुक्ल ने तो यहां तक कहा कि संस्कृत के पंडित तो कूप मंडूक होते हैं, दुनिया के काम काज से उनका कोई रिश्ता नहीं होता है। एक तरफ तो संस्कृत के गणित की, संस्कृत के व्याकरण की, और संस्कृत के वांगमय की इतनी तारीफ की जाय और दूसरी तरफ इस तरह से कहा जाय। यह कहां तक ठीक है। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि आचार्य पास लोग हिन्दी में एक चिट्ठी तक नहीं लिख सकते हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने यह नहीं देखा है कि कितने ही एम०ए० पास लोग हिन्दी में या अंग्रेजी में चिट्ठी तक नहीं लिख सकते हैं। जब एम०ए० पास हिन्दी में चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं, अंग्रेजी में चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं तो यदि संस्कृत पढ़ने लिखने वाले आदमी हिन्दी में चिट्ठी नहीं लिख सकते तो वह कोई गुनाह नहीं करता और उसके प्रति परिपूर्णानन्द जी की छोटी निगाह हो तो यह ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है और उनको कबूल करना चाहिये कि जब अंग्रेजी और हिन्दी में एम० ए० पास चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं और सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार यूनिवर्सिटीज का भी स्तर गिर गया है, यदि यह सही है तो उनको कबूल करना चाहिये कि उनके मुकाबिले में यदि संस्कृत पढ़ने वाला यदि संस्कृत में गलती करता है तब तो दोषारोपण उस पर होना चाहिये और यदि हिन्दी में करता है तो दोषारोपण नहीं होना चाहिये, क्योंकि उसकी भाषा, उसका साहित्य, उसकी पढ़ाई-लिखाई संस्कृत में हुयी है न कि हिन्दी में और अंग्रेजी में। माननीय परिपूर्णानन्द जी का आक्षेप हिन्दी जानने वालों पर नहीं हुआ, अंग्रेजी जानने वालों पर नहीं हुआ, काशी विद्यापीठ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर नहीं हुआ। लेकिन संस्कृत पढ़ने वालों पर हुआ कि वह शुद्ध हिन्दी नहीं लिख सका।

श्रीमन्, मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि जिस संस्कृत विद्या को पढ़कर माननीय नरदेव शास्त्री जी यहां बैठे हुये हैं, माननीय दीनदयालु जी शास्त्री बैठे हुये हैं इस प्रदेश में बहुत से ऐसे आचार्य हैं जैसे शंकराचार्य सरीखे व्यक्ति हुये हैं जिन्होंने संस्कृत को लेकर, संस्कृत बोली में बोलकर, लिखकर, इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में और विदेशों में इस देश का मुख उज्जवल किया है। फिर यह तो कोई कहने के लिये तैयार नहीं है कि सभी संस्कृत पढ़ने वाले संस्कृत ठीक लिखेंगे और अंग्रेजी पढ़ने वाले अंग्रेजी ठीक लिखेंगे। लेकिन जो दोषारोपण संस्कृत के जानने वालों के ऊपर है वही दोषारोपण अंग्रेजी और हिन्दी जानने वालों के ऊपर है। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को यह यश तभी मिल सकेगा जबकि संस्कृत विश्वविद्यालय से उपाधियां प्राप्त स्नातक हर तरह के इंटरव्यू में शमिल हो सकें उनको स्थान मिल सके। तभी सही माने में संस्कृत वांगमय की उन्नति हो सकती है, उसको स्थिरता मिल सकेगी।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

श्रीमन्, उद्देश्य और कारण में कहा गया है कि इस संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति और उपकुलपति ऐसा होगा जो संस्कृत को जानता होगा और आधुनिक ढंग का अनुसंधान जानता होगा। इस तरह के जो व्यक्ति होंगे वही कुलपति और उपकुलपति नियुक्त किये जा सकेंगे मेरा यह ख्याल है श्रीमन्, कि उद्देश्य और कारण में जो बात लिखी गयी है ठीक वही बात इस विधेयक में नहीं है। मैं जानना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि आपने उद्देश्य और कारण में जो यह लिखा कि इसके कुलपति तथा उपकुलपति संस्कृत तथा आधुनिक ज्ञान के जो ज्ञाता हों जिससे अध्ययन तथा अनुसंधान दोनों ही कार्यों का संचालन आधुनिक ढंग से किया जा सके तथा संस्कृत शिक्षा की परम्परागत प्रणाली में विद्यमान विशेषताओं से भी लाभ उठाया जा सके तो क्या भविष्य में जो इस प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त होंगे और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं उनको इस विषय में सलाह देने वाली यह सरकार होगी कि वे ऐसे व्यक्ति को ही इस प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त करें जो संस्कृत के पंडित हों। श्रीमन्, मैं अदब के साथ माननीय शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उनको इस विषय में राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार है? हो सकता है कि संस्कृत के जो विरोधी हों वे ऐसे आदमी को इस प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त करें जो संस्कृत और हिन्दी का बिल्कुल ज्ञान न रखता हो और वह राज्यपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति बना दिये जायं। तो आपका जो उद्देश्य है कि संस्कृत के ज्ञाता इसके कुलपति होंगे वह इस विधेयक के विपरीत जाता है। यदि इस सरकार को राष्ट्रपति को इस बारे में सलाह देने का अधिकार हो तब तो यह बात मानी जा सकती है कि भविष्य में जो भी राज्यपाल यहां पर नियुक्त होंगे उनकी यह विशेषता होगी कि वे संस्कृत के पंडित होंगे। लेकिन मेरे विचार में यह बात इस सरकार के बूते के बाहर की चीज है। श्रीमन्, जो पुराना विधेयक था प्रवर समिति में जाने के पहले अगर वही ढांचा इस धारा के सम्बन्ध में स्वीकार किया गया होता तो बहुत अच्छा होता। एक ही विधेयक था श्रीमन्, इस प्रदेश में जिसमें इसकी चर्चा थी कि संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति राज्यपाल नहीं होगा, बल्कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को कुलपति नियुक्त करेगी जो शिक्षा विद् होगा अथवा संस्कृत या इंडोलाजी के विद्वान् के रूप में ख्यातिप्राप्त हो। उसे कोई वेतन नहीं दिया जायगा। यह पहले था लेकिन अब प्रवर समिति ने राज्यपाल को इस विश्वविद्यालय का कुलपति माना है। मैं समझता हूं कि इस धारा को बदलकर के अहित किया गया है। इस प्रदेश के और विश्वविद्यालयों की जो हालत राज्यपाल के कुलपति बनने के बाद है वही दुर्गति इस विश्वविद्यालय की भी होगी।

यह सरकार यह भी दम भरती है कि छात्र कल्याण परिषद् की स्थापना होने वाली है और इस परिषद् में हम छात्रों के आवास, उनकी पढ़ाई-लिखाई और उनके कल्याण की व्यवस्था करेंगे लेकिन क्या होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या हुआ है। आप देखेंगे कि वहां के जो हाईकोर्ट के जज हैं वह मुकर्रर किये गये थे इस बात की जांच करने के लिये कि विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता क्यों है और उसकी जिम्मेदारी किन किन लोगों पर है। श्रीमन्, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस विश्वविद्यालय में जो वहां के कुलपति राज्यपाल हैं, या जो वहां मिनिस्टर लोगों का हाथ है या और चीजें हैं उन सारी चीजों को बतलाया है और कहा है कि विरोधी पार्टी भी उनका नकल करती है और कुलपति और उपकुलपति के और और लोगों के जरिये से जो काम वहां होते हैं उन सबका असर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों पर पड़ता है और उन्होंने कहा है कि सरकार को चाहिये कि वहां कुलपति और उपकुलपति ऐसे सदस्यों ऐसे लोगों को न होने दे। तो फिर संस्कृत विश्वविद्यालय की भी वही हालत होगी जो इलाहाबाद, बनारस और लखनऊ विश्वविद्यालय की होती है और सरकार तो पहले कभी नहीं सोचती, यह सोचती है जब घटनायें हो जाती हैं और उनको अगर कभी स्वीकार भी करती है तो दूसरे ढंग से। श्रीमन्, जिस प्रकार अनेक प्रदेशों में होता है ठीक उसी प्रकार से इस विधेयक में जो शिक्षाविद् इस प्रदेश में सरकार की नजरों में हों उन्हीं को, पंडित हों, संस्कृत के ज्ञाता हों उनको चुनती तो ठीक होता लेकिन उसको न चुनकर राज्यपाल को ही कुलपति बनाकर

सरकार अपने पैर में अपने आप कुल्हाड़ी मार रही है। मैं समझता हूं कि हर तटस्थ आदमी जैसे माननीय नवलकिशोर जी, जो हमारे सदन के सम्मानित सदस्य हैं और वह जिन विषयों पर अपने विचार प्रकट करते हैं अधिकतर तटस्थ हो कर अपनी बात कहा करते हैं उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि राज्यपाल को कुलपति नहीं बनाना चाहिये। सरकार को चाहिये था कि ऐसे शिक्षाविद् को स्थान देती लेकिन उसने राज्यपाल को रखकर सारे प्रदेश और देश को चुनौती दी है और कहा है कि हमने एक ऐसे आदमी को रखकर संस्कृत विश्वविद्यालय को बनाने की कोशिश की है और वह विश्वविद्यालय चल रहा है। सरकार ऐसे लोगों को रखना चाहती है कि वह जो जो कहें उसकी पाबन्दी हो और गवर्नर साहब जो जो कहें उसीकी पाबन्दी हो नहीं तो श्रीमन्, और कोई बात नहीं थी। कहा जाता है कि गवर्नर को अगर न रखा जाता तो संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा कम हो जाती। श्रीमन्, मैं नहीं समझा कि जिन दूसरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में या अपने प्रदेश के जिन विश्वविद्यालयों के कुलपति गवर्नर नहीं है वहां की प्रतिष्ठा क्या कम होती है। जहां पर ऐसे लोग जो सरकार के विरोधी भी हों किन्तु पंडित हों, कुशल हों ऐसे लोग रखे जाते हैं तो क्या वे उन विश्वविद्यालय का स्तर ऊंचा उठाने में कोई कमी करते हैं।

श्रीमन्, आपको जानकारी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति आचार्य नरेन्द्र देव थे, बनारस विश्वविद्यालय के उपकुलपति आचार्य नरेन्द्र देव थे, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उनके समय में उन विश्वविद्यालयों का स्तर नीचे गिरा? इसी प्रकार यदि उस तरह के लोग उपकुलपति बना दिये जायं तो क्या उनका स्तर ऊपर नहीं उठेगा? श्रीमन्, विधेयक में कहा गया है कि उपकुलपति को दो हजार रुपया या उससे अधिक दिया जा सकता है विधेयक में यह है उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। उसे २,००० रुपये मासिक या उससे अधिक वेतन, जो नियत किया जाय, मिलेगा और उसके लिये बिना किराया लिये सज्जित आवासिक भवन की भी व्यवस्था की जायेगी। सारी चीजें उसके लिये बिना पैसे के होंगी। बजट के समय में हमेशा यह कहा जाता है कि हमारे प्रदेश में अफसरों की तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं, इनको कम किया जाय तो माननीय सम्पूर्णानन्द जी कहा करते हैं कि उनकी तनख्वाह कम करने का अधिकार तो केन्द्रीय सरकार को है, हमारी प्रान्तीय सरकार को ऊंचे २ अफसरों की तनख्वाहों को कम करने का अधिकार नहीं है। मैं इस अवसर पर, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं, अपने शिक्षा मंत्री जी से ही पूछना चाहूंगा कि क्या इस विधेयक में तनख्वाह तय करने के लिये केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है? यह किसकी जिम्मेदारी है? सरकार को एक आदर्श इस प्रदेश में उपस्थित करना चाहिये। कहा जाता है कि कम तनख्वाह देने से संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति की प्रतिष्ठा और दूसरे विश्वविद्यालयों के मुकाबिले में कम होगी। श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब वह काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर थे तो ७५ रुपये तनख्वाह पाते थे। आज वह इस प्रदेश की सरकार के मुख्य मंत्री हैं। मैं नहीं समझता कि उस समय उनकी प्रतिष्ठा क्या कम थी। मैं समझता हूं कि जो उनकी योग्यता है, किस तरह के वह पंडित हैं, जितनी उनकी ख्याति है उसमें ७५ रुपये पाकर भी उनकी प्रतिष्ठा में कोई धब्बा नहीं लगा था, लेकिन आज जो वह मुख्य मंत्री हैं उस समय प्रदेश में हुई अव्यवस्था से, शासन की त्रुटियों से जरूर उनकी प्रतिष्ठा कुछ कम हुयी है। श्रीमन्, आचार्य नरेन्द्रदेव जितनी तनख्वाह पाते थे उसमें से थोड़ा सा रुपया वह रख कर अपना गुजर करते थे और शेष रुपया वह विद्यार्थियों को और यूनिवर्सिटी को दान दे दिया करते थे। प्रोफेसर मुकुटबिहारी लाल बनारस यूनिवर्सिटी में एक विभाग के अध्यक्ष थे। वह भी करीब सौ रुपये में अपना गुजर करते थे और बाकी रुपया यूनिवर्सिटी को दे दिया करते थे। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत कम पैसा ले करके, नहीं भी पैसा ले करके निःस्वार्थ भाव से संस्कृत की और इस देश की और जो भाषायें हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं सरकार नहीं चाहती है कि ऐसे लोगों की त्याग की भावना का कुछ उपयोग करे। सरकार कहती है कि इस तरह का कोई उपकुलपति नहीं मिलेगा। मैं श्रीमन्, प्रवर समिति की बात नहीं कहता, लेकिन माननीय मंत्री जी का कहना

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

है कि अगर २,००० से कम तनख्वाह दी जायगी तो कोई उस श्रेणी का आदमी मिलेगा ही नहीं। इस तरह की दलील मैं समझता हूं कि अच्छी दलील नहीं है। हमारे प्रदेश और देश में बहुत से ऐसे विद्वान् पड़े हुये हैं जो कि कम पैसा लेकर संस्कृत के वांगमय का प्रचार करते हैं।

यहां पर दो हजार रुपया इस विधेयक में रखकर सरकार ने अपने पुराने वायदों का उल्लंघन किया है। श्रीमन्, माननीय शिक्षा मंत्री पुराने कांग्रेसी रहे हैं और माननीय सम्पूर्णानन्द जी भी हमारे देश के नेता रहे हैं और आज भी हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि तनख्वाह के सम्बन्ध में गांधी जी ने क्या कहा था और कांग्रेस का क्या प्रस्ताव था। तनख्वाह के सम्बन्ध में गांधी जी ने कहा था कि हमारे हाथ में हुकूमत आयेगी तो हम ५०० रुपये से ज्यादा तनख्वाह किसी को नहीं देंगे। किसी की योग्यता कितनी है और उसके मुताबिक उसको तनख्वाह दी जाय यह नहीं होना चाहिये। किसी की योग्यता और ईमानदारी और उसकी पढ़ाई-लिखाई की योग्यता तनख्वाह के आधार पर नहीं आंकी जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि १,२०० रुपये देकर माननीय सम्पूर्णानन्द की योग्यता, विद्वता और पांडित्य को नहीं आंका जा सकता और इस पर आंकना गलत है। मनुष्य की योग्यता उसकी सारी चीजों पर, उसके काम पर मुनहसर होती है। वेतन पर मुनहसर नहीं होती है। सरकार को इस प्रकार से योग्यता नापना गलत है। सरकार को चाहिये कि एक उदाहरण इस प्रदेश का दूसरे प्रदेशों के लिये पेश करे कि हमने अपने प्रदेश में अपने प्रदेश की आय के मुताबिक जहां पर एक किसान की आमदनी १९२ रुपया सालाना है और हमारे गांवों में जहां चौकीदार को ६० रुपया सालाना मिलता है वहां पर संस्कृत के उपकुलपति को २ हजार रुपये से ज्यादा तनख्वाह दी जाय यह उचित नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब संस्कृत विश्वविद्यालय बिल मंजूर हो जायगा और संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित हो जायगा तब कहने का मौका मिलेगा कि कैसे लोग वहां आते हैं और उनको संस्कृत की कितनी योग्यता है। जब इस चीज को कसौटी पर कसा जायगा तब पता लगेगा कि संस्कृत विश्वविद्यालय में कैसे आदमियों को मुकर्रर किया जाता है। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि २ हजार रुपया रखकर इस सरकार ने अपना खुद अपमान किया है।

इस प्रदेश की रहनेवाली जो जनता है उसकी इच्छा के विरुद्ध उसने यह काम किया है। मैं चाहता हूं कि सदन में इस सारी बहस के बाद संशोधन जो उपस्थित हों उनको माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वीकार करें। खासकर उधर के बैठनेवाले जो सदस्य हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक से इस धारा को निकालने का प्रयत्न करें और इसको इसमें से निकाल देना चाहिये। इस तरह का आदर्श उपस्थित करने का मौका मिलना चाहिये, जिसमें कि हम यह कहने के लिये समर्थ हो सकें कि गांधी जी की बात को तनख्वाह के सम्बन्ध में आपने शुरुआत किया है। माननीय सम्पूर्णानन्द जी जिस सरकार के मुख्य मंत्री हों और विचित्रनारायण जी जैसे सहायक मंत्री हों उसको यह बात जरूर मान लेनी चाहिये। संस्कृत विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिये जो उपलकुलपति की तनख्वाह रखी गयी है वह दो हजार रुपये रखी गयी है उससे कम नहीं होगी। जबकि सामाजिक चित्र हमारे यहां इस प्रकार का है उसमें यह रखना उचित नहीं है।

मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार को यह साफ कहना चाहिये और यदि वह समाजवाद का ढांचा प्रदेश में स्थापित करना चाहती है तो उसको उसकी तरफ चलना चाहिये और अगर वह नहीं चाहती है तो उसमें संकोच नहीं होना चाहिये कि हम नहीं चाहते हैं इस प्रकार से हो। लेकिन कहना कुछ और करना कुछ। कहने और करने में अन्तर है। यदि आप अपने कहने के अनुसार करें तभी आप समाजवाद का ढांचा यहां पर स्थापित कर सकते हैं। आप कहते हैं कि छोटी तनख्वाहों को हम ऊंचे करना चाहते हैं और बड़ी तनख्वाहों को नीचे करना चाहते हैं, लेकिन जब समय आता है तो कहते हैं कि ऊंची तनख्वाहों को कम करने का अधिकार भारत सरकार को है और कम तनख्वाह रखने के लिये कहते हैं कि इससे उनकी इज्जत नहीं रहेगी। हमारी सरकार इज्जत पैसे से आंकती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी को

और माननीय सम्पूर्णानन्द जी को कि जब महात्मा गांधी इंग्लैण्ड में गोलमेज कांफ्रेंस में जा रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा था कि गांधी जी अगर आप इस वेष में वहां जावेंगे तो आपका सम्मान नहीं होगा। गांधी जी ने कहा था कि ऐसा नहीं है बल्कि सच्चा किसान भारतवर्ष का जिस वेष में रहता है उसी वेष में जाऊंगा तो ज्यादा इज्जत होगी। वे किसान के वेष में ही लन्दन गये और जो उनकी इज्जत हुयी वह सबको भली भांति ज्ञात है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि माननीय शिक्षा मंत्री जी और उनकी सरकार अपने को गांधी जी के पदचिन्हों पर चलने वाली सरकार कहती है तो कुछ तो उधर चले। वह कह सकते हैं कि वह चलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि पूरब दिशा में आपका समाजवादी ढांचा हो तो एक कदम तो आप उधर चलिये। पूंजीवादी ढांचा पश्चिम दिशा में है और सरकार उधर चली जा रही है और कहती है कि वह समाजवादी ढांचे की ओर जा रही है। हमारी सरकार की प्रदेश की आमदनी को देखते हुये २ हजार की तनख्वाह को कम करना चाहिये। ५ सौ रुपये से ज्यादा मत रखिये। यह हमारी प्रार्थना है।

प्रतिकुलपति की बात कही गयी। नवलकिशोर जी ने २ हजार रुपये की तनख्वाह के बारे में और प्रतिकुलपति के बारे में भी टीका-टिप्पणी की। उन्होंने राय जाहिर की कि प्रतिकुलपति नहीं होना चाहिये। जहां तक हमने जानकारी प्राप्त की है हमें मालूम हुआ है कि कभी हिन्दू-विश्वविद्यालय बनारस में मैसूर के राजा प्रतिकुलपति बनाये गये थे। लेकिन उसके लिये कोई प्राविजन विधेयक में नहीं था। आर्डिनेन्स या परिनियम बना दिया गया। यह पहला ही विधेयक है जिसमें प्रतिकुलपति का स्थान निश्चित किया गया है। प्रतिकुलपति कौन होंगे? काशी नरेश होंगे। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने उनको बनारस के संस्कृत के पंडितों का नेता बतला दिया। हो सकता है कि उनका ज्ञान हमसे ज्यादा हो और यह उनको मुबारक हो। लेकिन मैं इसको पसन्द नहीं करता हूं कि जिसको संस्कृत का जरा भी ज्ञान नहीं हो, जो संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राकृत भाषा और जो भाषायें वहां पढ़ाई जाती हैं उनका ज्ञाता न हो वह व्यक्ति कुलपति की अनुपस्थिति में उसका काम करें। यह नहीं हो सकता। महाराजा बनारस को माननीय परिपूर्णानन्द जी ज्यादा नजदीक से जानते होंगे, लेकिन हमको भी कुछ जानकारी है और हमारे घर से ८, १० मील की दूरी पर उनका घर है। मैं जानना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि महाराजा बनारस कितनी संस्कृत जानते हैं। या कुलपति की अनुपस्थिति में जो व्यक्ति उनका कार्य करेगा वह अरबी का जानने वाला होगा? मैं जानना चाहूंगा कि आज के काशी नरेश कितनी संस्कृत जानते हैं? संस्कृत की कौन सी श्रेणी पास हैं। साहित्य की या व्याकरण की? मेरा ख्याल है वे संस्कृत नहीं जानते। वह बी० ए० तक पढ़े हैं और अंग्रेजी स्कूलों में जितनी संस्कृत पढ़ाई जाती है उतनी वे पढ़े होंगे। लेकिन प्रतिकुलपति का स्थान लेने के लिये ठीक उस तरह का आदमी होना चाहिये जैसा कि वास्तव में होना चाहिये ऐसा न होना चाहिये कि मिट्टी का पुतला और कुर्सी पर बिठा दिया जाय। संस्कृत के वहां बोलने वाले हों और वहां पर ऐसा आदमी बिठा दिया जाय जो संस्कृत न जानता हो और माननीय परिपूर्णानन्द जी उसका अनुवाद करें। मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है। यह संस्कृत क्रिया के प्रति अनादर का कार्य होगा। महाराजा बनारस ने संस्कृत कालेज की स्थापना के लिये किसी जमाने में रुपया दिया था, हिन्दू विश्वविद्यालय के लिये रुपया दिया था।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)—मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं कि महाराजा बनारस इस हाउस में उपस्थित नहीं हैं इसलिये उनके बारे में यह कहना कि वह संस्कृत नहीं जानते हैं, बी० ए० तक पढ़े हैं या और इस प्रकार की बातें करना क्या रेलेवेंट है?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—जो यह सब कह रहे हैं वह कितनी जानते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस विषय में काफी बातें कही जा चुकी हैं अब और ज्यादा कहना उचित नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---इस विधेयक में जब काशी नरेश की चर्चा है, काशी नरेश प्रति-कुलपति बनाये जा रहे हैं। कुलपति के स्थान पर प्रतिकुलपति काम कर सकता है और उनके स्थान पर सब बातें कर सकता है तो मैं समझता हूं उनके बारे में कुछ कहना ठीक ही है।

श्री उपाध्यक्ष---इस विषय में काफी बातें कही जा चुकी हैं। इस प्रकार से किसी आदमी के प्रति आपत्तिजनक बातें कहना ठीक नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---उनकी बड़ी तारीफ की गयी है, उनकी विरदावली गायी गयी है। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने मेरे बारे में कहा कि संस्कृत नहीं जानते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने वे अपने सार्टीफिकेट रख दें और मैं अपने रखे देता हूं। तब पता चलेगा कि संस्कृत कौन अधिक जानता है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य उनके भाषण की प्रतीक्षा करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---वह बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री जी का भाषण नहीं हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---माननीय परिपूर्णानन्द जी बोल चुके हैं, उन्हीं की बातों का मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं कह चुका हूं। इसके संबंध में और बहस करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मैं कहना चाहूंगा कि प्रतिकुलपति का रखा जाना इस विधेयक के लिये अपमान है। मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में और भी विश्वविद्यालय विधेयक हैं क्या उनमें से किसी में इस प्रकार का प्रावीजन है। श्रीमन्, मैं एक बात और कहूंगा कि इस विधेयक में प्रस्तोता की तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी की नियुक्ति की गयी है, उनके संबंध में मेरा एतराज है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें जो तरीका रखा गया है उससे साफ जाहिर होता है कि उसके प्राधिकारी कौन होंगे। इसके प्राधिकारी वे होंगे जो सरकार परस्त होंगे, इसके प्राधिकारी वे होंगे जो कुलपति द्वारा मनोनीत किये जायेंगे, इसके प्राधिकारी वे होंगे जो ढाई हजार रुपये देने वाले होंगे। मैं नहीं समझता कि इस प्रदेश में ऐसे लोग जो कि श्री नरदेव शास्त्री ऐसे हैं, हो सकता है शास्त्री जी इधर के बैठने वाले हैं तो कुलपति उनको नामजद करें लेकिन अगर श्री नरदेव शास्त्री इधर के बैठने वाले होते तो जैसी उनकी विद्वता है, सादगी है उसके होते हुये भी कुलपति उनको नामजद नहीं करते। यह विधेयक भी उसी ढांचे से ओतप्रोत है। तो मैं कहूंगा कि इस विधेयक में प्राधिकारी की नामजदगी और नियुक्ति का जो तरीका है उसमें भी परिवर्तन होना चाहिये और यदि सरकार सचमुच में चाहती है कि ऐसे लोग भी इसमें रहें और श्रीमन्, इसमें कई संस्थाओं का नाम लिया गया है जिनको सरकार अपने तईं जानती है वहां संस्कृत पढ़ाने वालों को नामजद करेगी। लेकिन वे संस्कृत वाले बनारस में कहां तक शिक्षा पाये होंगे या किस कोर्स के लोग रखे जायेंगे इसकी कोई चर्चा उसमें नहीं है। सिर्फ सरकार के नजरों में नामजदगी की चर्चा है। मैं कहूंगा कि इसमें कोई परिवर्तन होना चाहिये।

जहां तक छात्र-कल्याण परिषद् की बात है माननीय परिपूर्णानन्द जी ने इसकी बड़ी तारीफ की। श्रीमन्, तारीफ करने लायक है भी वह छात्र कल्याण-परिषद् यदि सरकार का उसमें हाथ न हो। तो जहां तक हमारी जानकारी है श्रीमन्, छात्र-कल्याण परिषद् की स्वतंत्रता में जहां सरकार के द्वारा हमारी पार्टी के लोगों में दलबन्दी का कारण न हो, जहां पर राजनैतिक क्षेत्रों में काम कराने के लिये विद्यार्थियों को प्रोत्साहित न किया जाता हो तो वहां पर तो कुछ काम हो सकता है लेकिन जहां पर श्रीमन्, इस सरकार के ऊपर एक मर्तबा नहीं बल्कि बीसों

बार दोषारोपण हो चुका है, जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट का निष्कर्ष यही रहा है कि सरकार जो है वह राजनीतिक दृष्टि से विद्यार्थियों के संगठन में हाथ बटाती है। हमारी धारणा निराधार हो, यह मेरी कामना है। संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका संगठन जो छात्र-कल्याण परिषद् है वह चाहे तो वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के आवास आदि का अच्छी तरह से प्रबन्ध कर सकता है यदि वह राजनीति से अलग रहे। मैं चाहता हूं कि इस सरकार के मन्त्रिगण भी इतने ऊंचे उठ कर काम कर सकें। श्रीमन्, मैं एक ओर निवेदन आपके जरिये माननीय शिक्षा मंत्री जी से करूंगा कि यह कहा गया है कि संस्कृत पढ़ने वाले अनभिज्ञ होते हैं। लेकिन उसका कारण श्रीमन् यह था कि हमारे देश में ब्रिटिश सरकार के जरिये संस्कृत के पढ़ाने वाले जो पंडित थे उनका पाठ्यक्रम इस तरह का था जिससे वहां पढ़ने वालों को बाहरी ज्ञान की जानकारी कम हो। और अगर सरकार यह चाहती है कि ये जो स्कूल के पंडित हैं वे सही माने में देश और प्रदेश की और चीजों की जानकारी रखें तो इस तरह के पाठ्य-क्रम बनावें। संस्कृत विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम क्या होगा वह तो भविष्य ही बतलायेगा लेकिन अब तक जो संस्कृत के पंडितों की जानकारी रही है उसकी जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार के ऊपर है और उसके बाद की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार के ऊपर रही है। कांग्रेस सरकार ने उसका पाठ्यक्रम बनाया, उसका रजिस्ट्रार बनाया और उसके नियम बनाये। वे नियम ऐसे बने कि आज संस्कृत के पढ़ने वाले हिन्दी में चिट्ठी भी नहीं लिख सकते, एम० ए० पास अंग्रेजी में चिट्ठी नहीं लिख सकते, हिन्दी में चिट्ठी नहीं लिख सकते और उसका सारा दोषारोपण सरकार के ऊपर किया जायगा और सरकार से भी मैं आशा करता हूं कि उसे इसे मानना चाहिये।

मैं इन शब्दों के साथ आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस विधेयक में जो खामियां हैं वह दूर होनी चाहिये और यह एक संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसका विधेयक कैसा होना चाहिए, उसमें किस तरह की धारायें हों, प्रति-कुलपति, उप-कुलपति और कुलपति किस प्रकार के हों यह हमें देखना चाहिए, इस विधेयक के पढ़ने से मालूम होता है कि जैसे ऐक्ट दूसरे विश्वविद्यालयों के पाश्चात्य ढंग के बने हैं उसी ढंग का यह विधेयक है और इससे यह आशा करना कि इससे संस्कृत का प्रचार होगा या वहां के संस्कृत पढ़े लिखे विद्यार्थी समाज में अच्छा स्थान पा सकेंगे और वह स्थान प्राप्त कर सकेंगे जो आजकल के अंग्रेजी ढंग से विश्वविद्यालय के विद्यार्थी प्राप्त करते हैं यह एक अनहोनी होगी और अगर ऐसा हो सका तो सरकार को हम लोग और सारे प्रदेश के संस्कृत के हितैषी लोग धन्यवाद देंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश के लोग भी दूसरे देशों की तरह उन्नति करें और संस्कृत के विद्वान यहां भी माननीय परिपूर्णानन्द की तरह मिलने लगें, हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी भी ऊंचे उठ कर देश के लिये एक अच्छा स्थान प्राप्त करें। यदि हम ऐसा कर सकें तो करोड़ों देश के रहने वाले सरकार को धन्यवाद देंगे और जिन्दा रहेंगे तो हम भी ऋणी रहेंगे और धन्यवाद देंगे लेकिन जो मौजूदा बिल है इसके लिये सरकार धन्यवाद प्राप्त करने लायक नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपने सुझावों को उपस्थित करता हूं और आशा है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और उधर के बैठने वाले सज्जन उन पर विचार करेंगे और विधेयक में धाराओं का संशोधन करने और कराने में हमारी मदद करेंगे।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--अब दूसरी बार यह प्रस्ताव सदन के सामने हुआ है और यह सामान्य विवाद इस पर ३ दिन से चल रहा है, अब मैं मजबूर हूं कि इस पर सदन की राय लूं।

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--६०

विपक्ष में--८।)

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, मैं भवन के माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं इसलिये कि उन्होंने इस विधेयक के प्रत्येक अंग का अध्ययन किया और उस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न भी किया। मैं इस विधेयक के लिये या किसी नये विधेयक के लिये या और कोई यह नहीं कह सकता कि यह दोषरहित है। इसमें दोष हो सकते हैं। जहां तक कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों का सम्बन्ध है इसमें तो मुझे अपनी जगह पर तनिक भी सन्देह नहीं है यदि पुराने ढांचे की नई कोई बात नये ढांचे संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये बना कर रक्खी जाती और यह कहा जाता कि इसे आप ने एक ऊंचा स्तर दिया जिस तरह से कि और विश्वविद्यालयों का ढांचा है वैसा इसे नहीं दिया तो उसका उत्तर देना पड़ता लेकिन मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। आप के सम्मुख वह मैं स्वीकार भी कर लूं कि जिस पृष्ठभूमि में इस विधेयक का निर्माण हुआ शायद उस पर माननीय सदस्यों ने और विरोधी पक्ष के सदस्यों ने कम ध्यान दिया। यह कहना कि आज संस्कृत भाषा हमारे देश में काफी बढ़ रही है, उसको काफी प्रोत्साहन मिल रहा है, वह ऊंचे जा रही है और पहले की अपेक्षा आज ऊंचे स्तर पर है मैं कहूंगा कि गलत है। हम यह नहीं कह सकते कि संस्कृत भाषा जिस ऊंचे स्तर पर पहुंची थी जहां से कि वह सारे संसार को एक प्रकाश देती थी आज वह अपने ही देश में उस ऊंचाई से कहीं नीचे है। इसमें हमें सन्देह नहीं होना चाहिये और हमें जो वस्तुस्थिति है कि आज उसका वास्तव में जो स्थान है उसे मान लेना चाहिये। उसको मान लेने के बाद तब यदि हम अपने से यह प्रश्न पूंछें कि हमें क्या करना चाहिये। इस भाषा के प्रति जाग्रत करने के लिये इस भाषा के प्रति लोगों में फिर श्रद्धा पैदा करने के लिये, इसकी ओर फिर लोगों को आकर्षित करने के लिये हमें अपने से एक सवाल पूछना चाहिये और फिर उसके उत्तर के अनुकूल कार्य करना चाहिये। इसमें हममें और आप में कोई मतभेद नहीं है। हमारा आप का यह कर्त्तव्य है—अनेक कारणों से—इसके महत्व के कारण—सारी भाषाओं की जननी होने के कारण हमारा ज्ञान भंडार इसमें संचित होने के कारण यदि हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम इस भाषा को फिर जाग्रत करें, इस भाषा को फिर उस स्तर पर पहुंचाने का प्रयत्न करें कि जिस पर कि यह किसी समय में थी तो हमें क्या करना चाहिये। क्या एक विश्वविद्यालय खोलना, उसमें इस बात का प्रयत्न करना कि इसमें अनुसंधान हों। परिपूर्णानन्द जी ने जो कहा वह ठीक ही कहा। सरस्वती भवन में इतनी पाणिनी है कि मैं समझता हूं कि ४,५ शायद वाल्यूम उसके निकल चुके हैं। और फिर भी कितना बड़ा काम है नहीं कहा जा सकता बहुत सी लिपियां अभी तक यहां ढेर की तरह पड़ी हुई हैं, कूड़े की तरह, जिनका अभी तक किसी को पता नहीं था। तो उसको देख कर के दुख होना स्वाभाविक है, पश्चाताप होना स्वाभाविक है। इसलिये यह रखा गया है कि सरस्वती भवन की इमारत बढ़ाई जाय और उसका कैटोलाग बनाया जाय, सूचीपत्रों की बनाई जाय ताकि लोगों को पता चल सके कि यहां किस प्रकार की पांडुलिपियां हैं और यह कार्य तो हो रहा है और मैं समझता हूं इसलिये इस विधेयक में आपने देखा होगा कि सरस्वती भवन को एक स्थान दिया गया है। वरना इलाहाबाद और लखनऊ, आगरा किसी युनिवर्सिटी का अधिनियम देख लें उसमें किसी लाइब्रेरी को वैसा स्थान नहीं दिया गया है। सिर्फ यही बिल ऐसा है जिसमें सरस्वती भवन को एक प्रमुख स्थान दिया गया है और उसको एक अनुसंधान का केन्द्र बनाने का अभिप्राय है।

तो अब यह एक भाषा जो अपने जन्म स्थान में जहां कि इसका उद्गम हुआ था जहां से इसने दुनियां को प्रकाश दिया था वहां उसकी यह दशा हो और दूसरे देशों में वह हमसे अच्छी तरह से पढ़ाई और लिखाई जाती हो, यह हमारे लिये, राष्ट्र के लिये लज्जा और दुख की बात होती है। लेकिन हमें देखना चाहिये कि उसका क्या कारण है। क्यों आखिर जो भाषा दुनिया में इतनी सम्मानित हो, जिस भाषा ने दुनिया को इतना ज्ञान दिया हो, जिस भाषा में हमारी सारी संस्कृति हो आखिर वह भाषा अपने ही देश में जहां कि वह पैदा हुई थी उसी देश में अवनति को प्राप्त होती जा रही है, लोग उससे खिंचते जाते हैं। मुख से यों हम उसको देवभाषा कहें, और कुछ आदर का नाम दें, संज्ञा दें, सब कुछ कहने के उपरान्त भी यह चीज अपने स्थान पर रहती है कि यह भाषा जो हमारे लोगों के लिये हमारी जनता के लिये, सर्वसाधारण के लिये

कम से कम वह इसकी ओर आकर्षित नहीं है और दिन ब दिन इसकी अवस्था गिरती जा है, इसके कारण कई हैं। हां, रामसुन्दर जी को तो यही दिखलायी पड़ता है कि इसका भी कारण, शायद इस भाषा के गिरने का कारण शायद कांग्रेस गवर्नमेंट हो गई। तो ऐसे हठधर्मियों को छोड़ दीजिये, इनकी बात तो जाने दीजिये। बेचारे महाराजा साहब बनारस, उन्होंने संस्कृत के लिये कितना किया वह तो परिपूर्णानन्द जी ने बताया। लेकिन अब इसके लिये कोई क्या करे। यह देश का दुर्भाग्य है मेरे ऐसा शिक्षा मंत्री हो गया और उनके ऐसा एम० एल० ए० हो गया। तो अगर महाराजा बनारस भी कृत-कुलपति हो जायं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं उनको अपना आदर मिल गया, और एम० एल० ए० होने का आदर आपको मिल गया। तो उनको दुख क्यों हो। तो उनकी बात जाने दीजिये। लेकिन मैं पूछता हूं वह खुद ही अपने को पंडित समझते हैं, शायद संस्कृत का पंडित समझते हैं संस्कृति का तो नहीं समझते। मैं एक बात बता दूं आप की इजाजत से। एक जज साहब थे मेरे एक दोस्त, उनके यहां पेशी हो रही थी। एक केस में उन्होंने कहा हुजूर मुकदमा जरा अभी न लें। उन्होंने कहा भाई मुझे जूता मार लो हुजूर न कहो। संस्कृत की ऐसी उन्होंने रचना शुरू की कि मैंने समझा कि बड़े भारी पंडित वही हो गये। तो उनकी बात तो छोड़ दीजिये। लेकिन आइये हम आप मिल कर के उन कारणों में जायं। उसका कारण एक तो यह है कि हमारा समाज संगठन बदल रहा है। जो हमारा समाज संगठन था उसके बदलाव के कारण भी एक तो जब यहां ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो यह तो यह वह दिखाना तो जरूर चाहती थी कि वह इन चीजों के कल्चर को इन चीजों को हमारे कल्चर की रक्षा करना चाहती है, यह बात तो अपने स्थान पर सही है लेकिन जो समाज संगठन था, वह करती वरती तो कुछ नहीं थी लेकिन जाने दीजिये कोई भाषा किसी राज्य के आधार पर किसी पार्टी के आधार पर जीवित नहीं रह सकती, मर नहीं सकती। उसको थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिल सकता है क्योंकि अगर यह होता तो हिन्दी का आज कहीं नाम तक न होता। न मालूम कब की मर गयी होती। लेकिन ऐसी बात है नहीं। एक प्रोत्साहन तो होता है, उसको कुछ मदद, इमदाद किसी राज्य सरकार से मिल सकती है लेकिन जो जनता की भाषा अगर कोई है तो वह किसी सरकार के दबाने से दब नहीं सकती, आप देखिए, उसमें कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको जीवित रखते हैं और कोई उसको मार नहीं सकता है। तो अगर संस्कृत में यह बात थी और इसमें कोई सन्देह नहीं था तो फिर बात क्या हुई? बात उसमें यह हुई जैसा मैंने कहा कि हमारा जो समाज का संगठन था उसमें जो इसको प्रोत्साहन मिलता था जो हर एक गांव में एक आचार्य रहते थे, गांव से उनके रहने का इन्तजाम हो जाता था, उनके जीवन निर्वाह का इन्तजाम हो जाता था, लड़के जाते थे उनके भी खाने पीने का वहीं गांव में इन्तजाम हो जाता था वह पढ़ते थे और सचमुच में वहीं उनको पांडित्य भी मिलता था। अब आज वह चीज नहीं रह गई। एक बात तो उसमें यह हुई, कुछ उसका कारण यह हुआ कि जो हमारी जनता में इसका प्रचार था वह धीरे-धीरे इस तरफ से कम होता गया और अब जो समाज का संगठन बन रहा है जो एक खड़ी रेखा में था, गांव का एक जमींदार था, या कोई राजा था, वहां जहां एक धर्मशाला बनवा देता था, तालाब बनवा देता था, वहां एक संस्कृत की पाठशाला बनवाना भी एक बड़े पुण्य का कार्य समझता था। तो वह संस्कृत की पाठशाला बनवा देता था, आचार्य जो वहां रहते थे, गांव वाले उनका इन्तजाम करते थे और गांव का वातावरण भी शुद्ध रहता था। उसमें ऐसा कलह भी नहीं होता था और इस तरह से संस्कृत का अध्ययन लोग करते थे। एक कारण तो यह था जो अब हट गया है। दूसरा कारण यह हुआ इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि संस्कृत का स्नातक आज की दौड़ में और विश्वविद्यालयों के एक स्नातक के साथ नहीं दौड़ सकता। यह भी, अपनी जगह पर एक ठीक बात है इसमें हमको कोई शर्म नहीं होनी चाहिये यह चीज स्वीकार कर लेने में। वह उस दौड़ में नहीं आ सकता, उस दौड़ में आने के लिये जो और कुछ बहुत से गुण हैं या अवगुण कह लीजिये, वह गुण अवगुण हमारे इस संस्कृत के स्नातक में नहीं आते। तो एक कारण इसका यह भी हुआ।

तो अब करना क्या चाहिये। कहा गया, नारायणदत्त जी के पास नालन्दा और तक्षशिला का कांस्टीट्यूशन होगा, मुझे तो वह देखने को कभी मिला नहीं, आज भी कोई मुझे

[श्री हरगोविन्द सिंह]

लाकर बतला दे किसी के पास अगर हो तो वह मुझे दिखला दे कि नालन्दा और तक्षशिला का क्या कांस्टीट्यूशन था। मैंने उसका नाम जरूर सुना है। न उसके पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और न उनको प्राप्त हुआ है और न उसका कांस्टीट्यूशन ही आज कहीं मिलता है। लेकिन आखीर हो क्या, आप खुद ही बतायें। इसमें मैंने सबको हमारे दोनों हाउसेज में जितने भी संस्कृत के विद्वान थे, यहां तक कि माननीय रामसुन्दर पांडेय को भी मैंने ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में शरीक कर लिया था, उन सभी लोगों की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बनायी। सभी लोग जितने वहां थे किसी ने भी नालन्दा या तक्षशिला की बात नहीं की। मैं तो एक यों ही कम पढ़ा लिखा और दूसरे संस्कृत से बिलकुल अनभिज्ञ, मैंने सोचा कि अगर इलाहाबाद और लखनऊ की तरह भी मैंने इसको न बनाया तो लोग यह कहेंगे कि सबसे पहला दुश्मन इस संस्कृत विश्वविद्यालय का यहीं है। और सब यूनिवर्सिटियों में तो कोर्ट भी है, एग्जीक्यूटिव कौंसिल भी है, वाइस चांसलर भी हैं, सब हैं और इसमें कुछ नहीं। तो यह जो सब में है उसको कराने का प्रयत्न करूं और उसके लिये एक विश्वविद्यालय की स्थापना करूं क्योंकि शायद यह विश्वविद्यालय तो ऐसा होगा कि इलाहाबाद और लखनऊ वगैरह में तो कुछ फीस बीस से मिल जाता है, इसमें तो शायद वह कुछ मिलने वाला भी नहीं है, अपने पास ही से सरकार सब देगी और इतना करते हुए भी आप आक्षेप यही लगायेंगे कि इसको औरों के बराबर नहीं रखा। और स्थानों का वाइस चांसलर दो हजार पायेगा और यहां का पांच सौ पायेगा। तो यह कोई न कह सके इसलिये मैंने वह सब बातें इसमें भी रखीं। अब पता नहीं नालन्दा या तक्षशिला में क्या था। मैंने तो सुना है कि उसमें बहुत से लड़के थे। अलेक्जेन्डर जब यहां आया था तब उसने उसको देखा। तो इस पृष्ठ भूमि में आप इसको देखिए। और जो आप लोगों ने अपने विचार प्रकट किये मैं उनसे सहमत हूं। मैं खुद अपनी जगह पर इसमें बहुत यकीन नहीं करता कि सचमुच में संस्कृत का पांडित्य इन बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से आ सकता है। मुझे, अब भी पता नहीं क्यों ऐसा विश्वास है जैसा कि परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि वहां वह एक आचार्य थे जो अपने कालेज में यह कह रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि यह क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हम पढ़ाते तो वहां हैं, लड़के पढ़ाते तो हम घर पर हैं, यहां तो हम मनोरंजन के लिये आ जाते हैं, मैं समझता हूं कि संस्कृत का पांडित्य उन्हीं लोगों को मिलता है। इसीलिये यह भी रखा कि यह बिलकुल ही ऐसा नहीं होना चाहिये, यह रखा कि जो लोग अपने घरों पर शिक्षा देते हैं, जो संस्कृत जगत में विख्यात लोग हैं, जिनसे लोग शिक्षा लेते हैं वह कहीं इससे अपरिचित न रह जायं, उनको भी प्रोत्साहन हो कि वह भी, अपने स्नातक इसमें ला सकते हैं। तो इधर भी एक यूनिवर्सिटी में जैसी शिक्षा होनी चाहिये और उधर भी कि उनकी उपेक्षा कहीं न हो जाय, सचमुच में जहां से कि स्रोत है पांडित्य का वह न सूख जाय। इसलिये यह ध्यान उसमें रखा। तो यह तो मेरे ख्याल में आया, और मेरे ही ख्याल में नहीं, जो हमारे विचार थे वह सब आप के सामने ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में रखे गये और तब पता नहीं रामसुन्दर जी का पांडित्य कहां था कि नालन्दा नहीं है और तक्षशिला नहीं है और पता नहीं क्या क्या कहा—मैंने तो ज्यादा समझा नहीं।

तो इस पृष्ठभूमि में अगर आप देखें तो मैं समझता हूं कि यदि आप यह चाहें कि आप संस्कृत के लोगों को आकर्षित कर सकें उसकी शिक्षा की ओर तो आप को इन्हीं यूनिवर्सिटीज की तरह से इसको यूनिवर्सिटी बनाना होगा, वही सुविधायें आप को देनी होंगी, जब अपनी नौकरियों के लिये लोगों का चुनाव करेंगे तो आप को इनको भी मान्यता उसी तरह से देनी पड़ेगी। रामसुन्दर जी और नारायण दत्त जी तो उस कुल में पैदा हुए थे संस्कृत वाले में, लेकिन शायद मुझसे ज्यादा संस्कृत न जानते होंगे, लेकिन पहले यह अधिकार उन्हीं को था संस्कृत पढ़ने का —ब्रजविहारी जी नाराज न हों—लेकिन उसका कारण यह है कि इस दौड़ में आप केवल अपनी श्रद्धा पर, किसी भाषा के आकर्षण पर ही नहीं दौड़ सकते, आप को अपनी जीवन की दैनिक कठिनाइयों से संघर्ष करना पड़ेगा। आप रोज करते हैं। आप कभी यह आशा नहीं कर सकते कि

संस्कृत का विद्यार्थी बैठा रहेगा और आप अपने विद्यार्थियों को कालेज में भेजेंगे, यूनिवर्सिटीज में भेजेंगे। एक बड़े भारी समर्थक बेसिक एजूकेशन के गवर्नमेंट आफ इंडिया की कानफ्रेंस में थे जो कहते थे कि बेसिक एजूकेशन में हर किस्म की शिक्षा दी जा सकती है और विज्ञान भी बेसिक एजूकेशन में हो सकता है। मैंने पूछा कि अगर हो सकता है तो आप ने अपने दोनों लड़कों को लंदन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्यों भेज दिया, आप भी इन्हीं यूनिवर्सिटी में इसकी शिक्षा देते। तो यह नहीं हो सकता। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आपको उनके लिये वही सुविधायें देनी पड़ेंगी और उनको एक समान स्तर पर और समतल स्तर पर रखना होगा उसके वाइस-चांसलर को और उसके टीचर को और उसकी यूनिवर्सिटी को। जब उस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को यह विश्वास होगा कि हममें और इलाहाबाद और लखनऊ के स्नातकों में कोई अन्तर नहीं है तब आप देखेंगे कि लोग इस भाषा को पढ़ेंगे, क्योंकि उनको उधर का भी अवसर मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। तो इस पृष्ठिभूमि में यदि आप इस विधेयक को देखें तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जायंगी।

फिर एक बात यह कही गयी कि इसको ऐसे ही रख दिया गया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस विधेयक के प्रत्येक खंड को लिखते हुए यह देख लेता था कि कहीं इसको इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी से नीचे तो नहीं रखा जाता है। इसलिये जिसमें किसी का यह ख्याल न हो और मैं समझता हूं कि अगर हम यह गलती कर गये होते तो हमारे भाई रामसुन्दर जी बड़ा आक्षेप करते। इसलिये इस बिल में शुरू से आखीर तक किसी भी स्थान पर कहीं भी यह नहीं पायेंगे कि इसको अन्य यूनिवर्सिटीज की अपेक्षा नीचा स्थान दिया गया हो।

बहुत सी बातें कही गईं कि बाहर के लोगों को इम्तहान देने की आज्ञा दी जा सकती है। वह इसके इम्तहानों में सम्मिलित हो सकते हैं, इसमें कानूनी अड़चन हो सकती है। यह मेरे उत्तर देने की बात नहीं है। एक बात यह कही गई कि इसका चांसलर गवर्नर को रखा गया। इसमें गवर्नर महोदय से या उनके व्यक्तित्व से कोई संबंध नहीं है। दोनों विचार सामने थे कि गवर्नर को चांसलर रखा जाय या न रखा जाय और मेरा ख्याल है कि पहले विधेयक में था कि गवर्नर को इसका चांसलर न रखा जाय। लेकिन ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में यह प्रश्न उठा कि अगर इसके चांसलर गवर्नर को नहीं रखते हैं तो यह आक्षेप होगा कि प्रान्त का सबसे बड़ा अधिकारी गवर्नर है, उसको क्यों नहीं रखा गया है, इसलिये वह भी रखा गया है।

हां, एक उपकुलपति की बात कही गई और मैं यह सोचता हूं वह उपयुक्त बात नहीं की गई। इस भवन की शान को देखते हुये या जो यहां के बाद विवाद का स्तर है, उसको देखते हुये और जो व्यक्ति इससे सम्बन्धित था उसको देखते हुये यह ठीक नहीं मालूम होता कि एक आदमी के लिये इस कदर सदन का समय दिया और उसके निस्बत भली और बुरी बात कही गई। यह निस्संदेह सत्य है और मैं समझता हूं कि अगर प्रान्त में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने संस्कृत के लिये सब से अधिक किया है तो वह महाराज बनारस ही हैं और उनका घराना ही है। जब मैंने क्वीन्स कालेज देखा और उसके इतिहास को पढ़ा तो मालूम हुआ कि उसकी स्थापना में उनके घराने का कितना हाथ था तो मैंने समझा कि यह कृतज्ञता अवश्य होगी कि हम इसको स्वीकार करके विश्वविद्यालय में उनको कोई स्थान दें। यह बड़ा प्रश्न था कि उनको क्या स्थान दें। अगर कोर्ट की मेम्बरी दे देते तो उनको और उनके कार्यों को देखते हुये, संस्कृत भाषा के प्रति जो कुछ इनके घराने ने किया है, उसको देखते हुये, यह मालूम हुआ कि यह बात उपयुक्त नहीं होगी। फिर सम्मान का ही स्थान होता है, इस स्थान में कोई उत्तरदायित्व नहीं हो सकता है। जब चांसलर न हो तो कोर्ट की मीटिंग वह करा दें। एक सम्मान की दृष्टि से केवल यह प्रश्न हुआ कि उनको कौन सा स्थान दें। जिस कालेज की स्थापना में उनका तथा उनके घराने का इतना हाथ है और उसके साथ उनका ऐसा सम्बन्ध हो गया है कि उससे उनको अलग नहीं किया जा सकता। मेरी उनसे एक दफा बात हुई, मैं आपको बतलाऊं कि जब उन्होंने विधेयक को देखा और पहले

[श्री हरगोविन्द सिंह]

विधेयक में उनको कोर्ट में एक स्थान दिया था तो उन बेचारों ने मुझसे कुछ कहा नहीं लेकिन मैंने देखा कि उनके हृदय को कुछ दुःख हो रहा है कि एक ऐसी संस्था से जिससे सदियों से उनका और उनके पूर्वजों का सम्बन्ध रहा है अब यूनिवर्सिटी हो जाने के बाद उनका सम्बन्ध उससे टूट सा रहा है। तो यह बड़ा भारी प्रश्न था ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में हम जितने लोग थे सबके सामने और यह निश्चय हुआ कि उनको प्रो-चांसलर इसका बना दिया जाय। तो मैं समझता हूं कि वह ठीक ही हुआ। हम चले एक भाषा का पुनरुद्धार करने, उसको फिर से ऐसे स्थान पर रखने कि जो सब को आकर्षित करे और शुरूआत यह करें कि जिसने इस प्रदेश में उस भाषा के लिये इतना किया हो उसी को यह कर दें क्योंकि रामसुन्दर जी समझते हैं कि सोशलिस्टिक स्टेट नहीं हो पायेगी। भला सोशलिस्टक स्टेट से और इससे क्या सम्बन्ध है।

तनख्वाह की बात भी उन्होंने कह दी। इस सम्बन्ध में बर्नार्ड शा का एक किस्सा मुझे याद आया। वे भी एक प्रकार के सोशलिस्ट ही थे। उनके पास एक साहब गये ऐसे ही। उन्होंने यह कहा कि आपको क्या अख्तियार है कि आप इतना कमाते हैं सोशलिस्ट होकर। फोर्ड का किस्सा तो सुना ही होगा आपने। उसने तो दो पैसे ही दे दिये थे या शायद एक आना। उसने कहा कि अगर मैं अपनी सारी कमाई बांट दूं तो इसी हिसाब से आयेगा। लेकिन बर्नार्ड शा ने कहा कि सोशलिज्म का सब से बड़ा दुश्मन यह शख्स है जो इसको समझता ही नहीं है। यह समझता है कि किसी की तनख्वाह में सोशलिज्म घुसा हुआ है तो खैर यह तो उन्होंने तो जैसे विषयान्तर किया मैंने भी बेवकूफी कर दी, विषयान्तर हो गया। लेकिन इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये उनको प्रो-चांसलर रखा गया और इसीलिये वाइस-चांसलर की तनख्वाह भी दो हजार रखी गयी। मैं यह नहीं चाहता कि हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों से किसी तरह कम रहें। मैं यह नहीं चाहता कि वह जहां सब वाइस चांसलर इकट्ठा हों वहां मिर्जई पहन कर कोने में बैठे रहें और कोई उनसे पूछे तो वह कहें कि महाराज हम भी काशी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। इसीलिये उनकी दो हजार तनख्वाह रखी गई है। उन्होंने न जाने यह कहां से पढ़ लिया कि गांधी जी से यह कहा गया कि आपकी इज्जत इन कपड़ों के पहनने से नहीं होगी। यह किसने उनसे कहा? उनसे तो यह कहा था कि अगर आप यह कपड़े पहनकर वहां जायेंगे तो जाड़ा लगेगा और आप बीमार हो जायेंगे। मैं समझता हूं कि मैंने उनकी दो हजार तनख्वाह रख कर ठीक ही किया। हां, अगर और वाइस चांसलर्स की तनख्वाह कम कर दी जायगी तो उनकी भी कम कर दी जायगी। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि औरों की तो दो हजार तनख्वाह हो और इनकी एक हजार या पांच सौ हो। तो अगर आप जो दृष्टिकोण मैंने आपके सामने रखा इस दृष्टिकोण से शुरू से अन्त तक देखें तो आपको मालूम होगा कि यह ठीक और सकारण उसी पैटर्न पर बनाया गया है जिस पैटर्न पर और विधेयक थे और वह इसलिये बनाया गया है कि अगर हम किसी दूसरे पैटर्न पर बनाते तो शायद इसका स्थान दूसरे विश्वविद्यालयों की अपेक्षा नीचा समझा जाता और संस्कृत अपने पुराने स्तर पर होती अगर आज वह देश में उसी प्रकार पढ़ाई जाती जैसे पहले थी तो जरूरी नहीं था तब तो हम इसका दूसरा ढांचा बना सकते थे लेकिन आज जिस अवस्था में यह है उसमें यह जरूरी था कि हम इसको और विश्वविद्यालयों से समस्तर पर रखें।

बाबू राजनारायण जी ने यह कहा कि बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी में यह रुपया लगाया जा सकता था और संस्कृत अध्ययन का वह केन्द्र बनाया जा सकता था। यह बात ठीक है। हो सकता था। मैं तो संस्कृत के अध्ययन का केन्द्र कोई यह भी नहीं समझता कि बनारस ही हो सकता है। किन्तु यदि आप संस्कृत का विश्वविद्यालय बना सकते हैं और कहीं चल सकता है इसके लिये तो नहीं है लेकिन एक बात जरूर है और आज भी मैं समझता हूं कि

बावजूद इसके कि इस पर एक छोटा सा आन्दोलन भी हुआ लेकिन फिर भी जितने संस्कृत के पंडित लोग हैं और जो अधिकारपूर्वक कह सकते हैं वह यह कि संस्कृत कालेज का स्तर अन्य कालेजों की अपेक्षा बहुत ऊंचा है किन्तु मैं इस दलील में नहीं जाना चाहता कि वह वास्तव में है या नहीं लेकिन बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के होते हुये भी वहां संस्कृत कालेज ज्यों का त्यों बना रहे तब मैं यह नहीं समझा कि यूनीवर्सिटी को क्यों बनारस यूनिवर्सिटी से मिला दिया जाय। मैं जानता हूं कि मालवीय जी से बढ़ करके शायद ही कोई इस भाषा की ओर इतना आकर्षित रहा हो हमारे पूज्य नेताओं में, लेकिन उन्होंने भी कभी इस बात का प्रयत्न नहीं किया कि बनारस संस्कृत कालेज का अस्तित्व मिटाकर उसको हिन्दू यूनिवर्सिटी का एक अंग कर दिया जाय, बावजूद इसके कि हिन्दू यूनिवर्सिटी उनके लिये खाना, पीना, कपड़ा सब कुछ था उससे बढ़ कर शायद ही कोई दूसरी वस्तु उनको प्रिय रही हो लेकिन उन्होंने भी इस बात को ठीक नहीं समझा और आज मैं यह कहूं कि नहीं संस्कृत कालेज तोड़ दिया जायगा और बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का ही अंग बना दिया जायगा चाहे उसमें वैधानिक कठिनाइयां हो सकती हैं तो यह बिल्कुल गलत होगा। संस्कृत कालेज का अपना एक इतिहास है, पुराना इतिहास है, बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी से भी पुराना इतिहास है, उसकी एक मर्यादा है, उसका अपना एक स्तर है और मैं चाहता हूं कि उसकी रक्षा की जाय, उसको और बढ़ाया जाय और इसी को संस्कृत विद्या का केन्द्र हम बनावें और इसी विचार से बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव रखी जा रही है। और उसका कोई कारण नहीं है।

परिपूर्णानन्द जी ने दो बातें कहीं। एक तो यह कहा कि यहां प्रिंसिपल के बारे में नहीं किया गया है। वह तो इसलिये कि आजकल प्रथा यह निकल गई है कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई प्रिंसिपल न रखा जाय। आज यूनीवर्सिटी का कांस्टीटुयेंट कालेज होता है वहां हेड्स आफ डिपार्टमेंट्स होते हैं और इसीलिये बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी में जो बात थी यहां कोई उसका छूट नहीं रखा गया है उसका मुख्य कारण यही था कि चूंकि यह बिल बनाने की बात बहुत दिनों से थी इसलिये उसमें प्रिंसिपल रखने की बात नहीं थी क्योंकि वहां वाइस चांसलर होल-टाइमर होगा, वह वहां रहेगा और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स और डीन्स होते हैं वह देखेंगे इसलिये इसमें कोई प्रिंसिपल नहीं रखा गया।

टीचर्स के बारे में आपने बात कही। यह बिल्कुल अभिप्राय न था और नहीं है कि उन टीचर्स को जो उसमें हैं उनको उनके स्थान से च्युत किया जाय। वह हम कर भी नहीं सकते इसलिये कि वे तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। चाहे यूनीवर्सिटी उनको ले या न ले लेकिन उनकी नौकरी तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती इसलिये कि वह परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं। किसी ऐक्ट में किसी के लिये कुछ न करते हुए भी तो नारायणदत्त जी कहा करते हैं कि यूनिवर्सिटी की आटोनोमी छीनी जा रही है, और अगर हम यह कह देते कि नहीं, हम टीचर अप्वाइंट करके दे रहे हैं, इनको यूनिवर्सिटी रखेगी, तो पता नहीं वह क्या कहते। तो इसलिये हम किसी टीचर को एप्वाइंट करके यूनिवर्सिटी के ऊपर थोप दें, कि नहीं, यूनिवर्सिटी चाहे इनको योग्य समझे या न समझे, इनको रखना होगा, तो यह मैं समझता हूं कि, अनुचित होगा और इसीलिये जो कुछ संभव था वह यही कि हम यूनिवर्सिटी से कहें कि जब तक कि यूनिवर्सिटी से ये टीचर्स परमानेंट नहीं हो जायंगे तब तक यह यूनिवर्सिटी के टीचर समझे जायंगे। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि यह गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं, अगर इनको यूनिवर्सिटी नहीं लेती है तो उनका उपयोग हम दूसरी जगह करेंगे, लेकिन यूनीवर्सिटी में हम अपनी तरफ से टीचर्स नहीं रख सकते। इसलिये हमारे लिये यह मजबूरी हुई। यह टीचर्स यूनिवर्सिटी की सेलेक्शन कमेटी के सामने जायंगे और अगर उससे चुने जाते हैं तो वहां रहेंगे, नहीं तो वह हमारे सर्वेन्ट हैं, उनका हम उपयोग करेंगे और इसलिये उनको निकालने का भय नहीं है, उसका प्रश्न ही नहीं होता। तो इस तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिये।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

मैं समझता हूं कि जब हम खंडों पर विचार करेंगे उस समय हर चीज की उपयोगिता, वह अच्छी है या बुरी है, उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिये, इस सबको देखेंगे और उस समय हम और आप सब मिलकर, अगर उसमें कोई सहूलियत पैदा की जा सकती है, तो उसको करने का प्रयत्न भी करेंगे। लेकिन मैं आपसे यह आशा करता हूं और अपील भी करूंगा कि हम एक महान् कार्य इस प्रान्त में इस दिशा में करने जा रहे हैं और हमारा और आपका यह फर्ज है कि हम अपनी बातों से, अपने विचारों से कम से कम अपनी जनता में यह भावना न पैदा करें कि हमारे बहुत से उत्तरदायी प्रतिनिधि जो विधान सभाओं में हैं वह इसको उस आधार और आशा से नहीं देखते जैसा कि उन्हें देखना चाहिये। क्योंकि उस हालत में इसका आरम्भ थोड़ा दुखमय हो जायगा और कुछ दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आपको लोगों को इस ओर आकृष्ट करना है ताकि लोग इस विश्वविद्यालय का पूरा फायदा उठायें।

(इस समय ४ बजकर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आप जानते हैं कि वहां लोगों से फीस नहीं ली जाती। मैं समझता हूं कि कोई भी फीस नहीं ली जायगी, लेकिन हम यूनिवर्सिटी को बाध्य नहीं कर सकते। लिहाजा ऐक्ट में इस बात का प्रबन्ध है कि वह जिस प्रकार की चाहें फीस लगा सकते हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाय और यह विश्वविद्यालय काशी में रह करके और स्वयं को ही नहीं बल्कि काशी को भी वही स्थान जल्दी से प्राप्त करा दे जो किसी समय हमारे इतिहास में काशी और संस्कृत भाषा को प्राप्त था। तो इसलिये मैं एक दफा फिर आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह अपील करूंगा कि वह जितना भी अपनी ओर से प्रोत्साहन दे सकें, जितना भी उत्साह दे सकें वह दें ताकि जो हमारी इच्छा है, सरकार की इच्छा है, आपकी इच्छा है, वह जल्दी फलीभूत हो सके।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५, पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

परिभाषाएं

२—विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "सम्बद्ध महाविद्यालय (affiliated college)" से तात्पर्य किसी ऐसी संस्था से है जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और उनके अनुसार विश्वविद्यालय से संबद्ध (affiliated) हों;

(ख) "छात्रावास (hostel)" से तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा इस अधिनियम तथा परिनियमों (Statutes) के उपबन्धों के अनुसार संधारित (maintained) किसी संबद्ध [कालेज] महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये रहने के किसी स्थान से है;

(ग) "प्रबन्धक (management)" से तात्पर्य उस प्रबन्ध समिति अथवा अन्य संस्था से है जिसे किसी संबद्ध [कालेज] महाविद्यालय अथवा किसी छात्रावास के कार्यों का प्रबन्ध सौंपा गया (charged with) हो;

(घ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित परिनियमों (Statute) द्वारा नियत से है;

(ङ) "आचार्य (Principal)" से तात्पर्य किसी संबद्ध महाविद्यालय के अध्यक्ष (head) से है;

(च) "अभिज्ञात" (recognized) से उसकी सम्मूलक पदावलियों (cognate expressions) सहित, तात्पर्य इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों (Act, Statutes and Ordinances) के उपबन्धों के अनुसार अभिज्ञात से है;

(छ) "पंजीकृत स्नातक" (Registered Graduate) से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में पंजीकृत (registered) हुआ हो;

(ज) "परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों" (Statutes, Ordinances and Regulations) से तात्पर्य विश्वविद्यालय के तात्कालिक प्रचलित क्रमशः परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों (Statutes, Ordinances and Regulations) से हैं;

(झ) "विश्वविद्यालय का छात्र" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी उपाधि (degree), उपाख्या (diploma) अथवा शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टता (academic distinction) प्राप्त करने के लिये किसी पाठ्यक्रम के अध्ययनार्थ विश्वविद्यालय में भर्ती हुआ हो;

(ञ) "अध्यापक" (teacher) से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिये शिक्षण देने अथवा अनुसंधान-कार्यों (research) के संचालन अथवा निर्देशन (conducting or supervising) के लिये विश्वविद्यालय अथवा किसी संबद्ध महाविद्यालय द्वारा नियोजित (employed) किया गया हो, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से है जो इस रूप में नियोजित तो न हुआ हो किन्तु विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा उपाधियों के लिये अभ्यर्थियों (candidates) को तैयार तथा प्रस्तुत (preparing and presenting) करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञात (recognized) हो;

(ट) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" से तात्पर्य किसी ऐसे अध्यापक से है जो विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया हो और जिसे विश्वविद्यालय से वेतन मिलता हो;

(ठ) "संबद्ध महाविद्यालय का अध्यापक" से तात्पर्य किसी ऐसे अध्यापक से है जो किसी संबद्ध महाविद्यालय

द्वारा नियुक्त किया गया हो और जिसे उस महाविद्यालय से वेतन मिलता हो; और

(ङ) "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से खंड २ में निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं ---

खंड २ के उपखंड (ञ) की पंक्ति ६ के शब्द "अथवा किसी ऐसे व्यक्ति" से लेकर अन्तिम पंक्ति "अभिज्ञात हो" तक सभी निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, इस उपखंड (ञ) में विश्वविद्यालय के अध्यापकों की परिभाषा दी हुई है। इस परिभाषा में तीन प्रकार के अध्यापकों को अध्यापक श्रेणी प्रदान की गई है। पहले तो वे अध्यापक जिन्होंने विश्वविद्यालय में किसी उपाधि के लिये शिक्षण देने अथवा अनुसंधान कार्य संचालन अथवा निर्देशन के लिये विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य किया हो या कर रहे हों।

दूसरे वे लोग भी अध्यापकों में आते हैं जो किसी सम्बद्ध कालेज के टीचर हों।

तीसरी श्रेणी ऐसे व्यक्तियों को प्रदान की गयी है कि जो न तो यूनिवर्सिटी की ओर से नियुक्त हैं और न किसी सम्बद्ध कालेज के ही टीचर हैं बल्कि इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो न तो विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं और न सम्बद्ध कालेज के अध्यापक ही हैं लेकिन बाहर कार्य करते हों उनको टीचर रिकग्नाइज किया गया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इनको अध्यापकों की परिभाषा में खींचना अत्यन्त असंगत है। इस प्रकार के अध्यापकों को विश्वविद्यालय के अध्यापक मानना उचित नहीं है। इस प्रकार से किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी की परिभाषा में नहीं है। आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के टीचर को अध्यापकों की परिभाषा में ले लें। कहीं इस प्रकार से अध्यापकों की परिभाषा अनावश्यक रूप से विस्तृत नहीं की गयी है। कोई भी अध्यापक जो विश्वविद्यालय का अध्यापक माना जाय वह केवल वही अध्यापक होना चाहिये जो या तो विश्वविद्यालय में पढ़ाता हो, या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त हो या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज में नियुक्त किया गया हो। विश्वविद्यालय की सीमा है उसमें भी यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट संस्कृत कालेज बनारस बाद में विश्वविद्यालय का रूप ले लेगा और जहां पर यूनिवर्सिटी का टीचिंग करेक्टर होने वाला है। एक तो बनारस प्रापर और दूसरे वह सम्बद्ध कालेज हो सकते हैं जो केवल यू० पी० में ही नहीं बाहर के भी हो सकते हैं लेकिन तीसरी श्रेणी के अध्यापक कौन होंगे यह स्पष्ट नहीं किया गया है। भारत में बाहर के जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको भी इस बात का मौका दिया गया है कि वे विश्वविद्यालय में इम्तहान दे सकें। तो यह प्राइवेट रूप से शिक्षा प्राप्त करने वाले, जो प्राइवेट विद्यार्थी विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करेंगे उनके लिये यह प्राविजन है। लेकिन इस प्रकार से तीसरी अध्यापकों की श्रेणी बनाना किसी प्रकार से उचित नहीं है। इन शब्दों को हटा कर विश्वविद्यालय के अध्यापकों की वही परिभाषा रखनी चाहिये जो कि दूसरे विश्वविद्यालयों में पायी जाती है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और इस-लिये विरोध करता हूं कि मुझे दुख है कि शुरू में मैंने इस विधेयक के सम्बन्ध में जो कुछ निवेदन किया था सम्भवतः हमारे तिवारी जी ने उसको ध्यान पूर्वक नहीं सुना। वह तो तिवारी हैं। मेरा ख्याल है कि त्रिवेदी और तिवारी में कोई भेद नहीं है। उनको तीन वेद का ज्ञान तो होना ही चाहिये। इस प्रकार से संस्कृत अध्यापकों की परिभाषा अन्य यूनिवर्सिटी के अध्यापकों के समान नहीं की जा सकती। मैंने जो निवेदन किया था उसको मैंने यह स्पष्ट

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा था कि हमारे लिए यह आवश्यक है कि वह विद्वान्, वह पंडित जो अपने घरों पर बैठे रहते हैं जो विद्या दान उसी समय करते हैं जब कि विद्यार्थी उनसे जाकर आग्रह करें। जो उन पाठशालाओं का संचालन नहीं करते उन विद्वानों को हम विश्वविद्यालय के दायरे में खींचना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। बनारस में पंडित गोपीनाथ कविराज एक प्रकान्ड पंडित हैं जिनकी टक्कर का विद्वान् भारतवर्ष में नहीं मिलेगा। यदि ऐसे व्यक्ति को विश्वविद्यालय में लाना हो तो कैसे लाया जा सकता है। बड़े बड़े विद्वान् जो पढ़े हुये हैं उनका विश्वविद्यालय में सहयोग प्राप्त करने के लिये नितान्त आवश्यक है कि तीसरी श्रेणी अध्यापकों की इस प्रकार रखी जाय। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)---अध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा प्रस्तुत किये हुए प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**---श्रीमन्, मैं माननीय उपमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने विरोध करने का एक बेमिसाल तरीका निकाला और अपनी मूक वाणी से ही सदन को अवगत करा दिया कि उनके विरोध के कारण क्या हैं।

श्री अध्यक्ष---शायद मालूम होता है कि उन्होंने परिपूर्णानन्द जी के कथन को माना है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय परिपूर्णानन्द जी ने जो तर्क उपस्थित किया वह इतना असमान था कि जो उनके जैसे उच्च कोटि के व्यक्ति को देना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय में ऐसे व्यक्तियों को लाने की आवश्यकता है जो अपने घरों पर पढ़ावें और घर से विश्वविद्यालय को सहयोग देते रहें। श्रीमन् मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर माननीय परिपूर्णानन्द जी ने पहले कोई संशोधन पेश किया होता कि छात्र की परिभाषा भी ठीक हो जाय या उसमें कोई तीसरी श्रेणी हो जाय कि घर पर पढ़ाये हुये छात्रों को भी हम विश्वविद्यालय में स्थान देंगे तो मैं उनकी बात मान लेता। मगर ऐसा नहीं है। तो फिर घर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों को स्थान विश्वविद्यालय में कैसे मिल सकता है? अध्यापक और छात्र दोनों परस्पर सम्बन्ध रखते हैं। अगर विश्वविद्यालय के छात्र की परिभाषा अध्यापक से मिलती होती तो मैं संशोधन पेश नहीं करता। आप देखेंगे कि "झ" में छात्र की परिभाषा यह है कि "विश्वविद्यालय का छात्र" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी उपाधि (degree), उपाख्या (diploma) डिप्लोमा अथवा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टता (academic distinction) प्राप्त करने के लिये किसी पाठ्यक्रम के अध्ययनार्थ विश्वविद्यालय में भर्ती हुआ हो। (Admitted to University) तो अब किस प्रकार से यह तर्क मान लिया जाय कि एक तो टीचर यूनिवर्सिटी के वे हैं जो घर पर बैठे हुये हैं। अगर ऐसा नया कोर्स बनाया जाय कि छात्र यूनिवर्सिटी में भर्ती हैं, लेकिन वहां न पढ़ कर किसी के घर पर जाकर पढ़ें या यह मान लिया जाय कि वह कुछ हमारी यूनिवर्सिटी में और कुछ समय घर पर पढ़ते हैं, फिर जो टीचर घर पर पढ़ावेंगे वे यूनिवर्सिटी के पे रोल पर होंगे या नहीं? आया उनको यूनिवर्सिटी से कोई वेतन मिलेगा या नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब छात्र की परिभाषा यह है कि विश्वविद्यालय में पढ़ते हुये ही छात्र माने जावेंगे तो विश्वविद्यालय के बाहर के अध्यापक अध्यापक नहीं माने जा सकते हैं। इसलिये मैं फिर माननीय परिपूर्णानन्द जी से निवेदन करूंगा कि वह छात्र की परिभाषा पर दोबारा गौर करें। इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से यह अध्यापक की परिभाषा रखी गयी है उसमें लिखा हुआ है कि "Preparing and presenting candidates" आगे चल कर विधेयक के खण्ड ४ में प्राइवेट कैन्डीडेट्स के लिये कोई स्थान नहीं दिया गया है। बल्कि मैंने संशोधन आगे पेश किया है। सेलेक्ट कमेटी में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जाने से पहले प्राइवेट कन्डीडेट्स के लिये स्थान था लेकिन अब ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के बाद वह नहीं है। तब जब प्राइवेट कैंडीडेट्स स्थान प्राप्त नहीं कर सकते, परीक्षा में नहीं बैठ सकते तो उनके प्रेजेन्ट और प्रिवेयर करने से क्या लाभ है, क्योंकि आपके ऐक्ट के अनुसार प्राइवेट कैन्डीडेट्स परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं फिर इस तीसरी श्रेणी से आपको क्या फायदा?

श्री हरगोविन्द सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं वास्तव में यह समझता था कि इसमें कोई कठिनाई न होगी लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय नारायण दत्त जी इसमें कुछ कठिनाई सी देख रहे हैं। विश्वविद्यालय के छात्र की परिभाषा से इसका तो संबंध नहीं है। विश्वविद्यालय का छात्र तो वह होगा, जो विश्वविद्यालय में दाखिल होगा, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होगा, वहां अध्ययन करेगा और वहीं की डिग्री के लिये इम्तहान देगा। वहां पर अध्ययन इसलिये करेगा कि डिग्री हासिल करे। इसके अतिरिक्त टीचर की जो परिभाषा है वह विश्वविद्यालय के टीचर की परिभाषा नहीं है। इसलिये विश्वविद्यालय का छात्र और अध्यापक की परिभाषा एक दूसरे के खिलाफ नहीं पड़ते। एक जगह तो एक डेफीनीशन यह दी गयी है कि विश्वविद्यालय का छात्र कौन होगा और दूसरी जगह यह दिया गया कि अध्यापक कौन होगा। लिखा गया विश्वविद्यालय का छात्र वह होगा जो विश्वविद्यालय के अन्दर आकर पढ़ेगा और डिग्री प्राप्त करने के लिये इम्तहान में बैठेगा। अध्यापक की परिभाषा में यह भी लिखा गया कि जो विश्वविद्यालय का नौकर नहीं है अपनी एक पाठशाला या जहां भी कहीं बैठ कर स्नातकों को पढ़ाता है तो उसको भी यह अधिकार दिया गया है कि उसके पढ़ाये हुये विद्यार्थी भी विश्वविद्यालय में बैठ सकें उसको रिकग्नाईज किया गया है। इन दोनों में आपस में कहीं विरोध है, यह समझ में नहीं आता। ऐसा भी कहा गया कि किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। ऐसा लखनऊ यूनिवर्सिटी में है जहां किन्हीं-किन्हीं कार्यों के लिये बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को माना गया है। यह इसलिये रक्खा गया है कि तो पुरानी शिक्षा प्रणाली थी वह उसी तरह से चलती रहे और इस विश्वविद्यालय से उसके कार्य में कोई अड़चन न पैदा हो। जब पूरे बिल पर बहस चल रही थी तो तिवारी कहते थे कि यूनिवर्सिटी बिलों से बाहर की चीज इसमें क्यों नहीं रखी गयी और जब यह रखी गयी तब कहते हैं कि यह अल्हदा से क्यों रक्खी गयी है। मेरी दोनों तरह से आफत है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ञ) की पंक्ति ६ के शब्द "अथवा किसी ऐसे व्यक्ति" से लेकर अन्तिम पंक्ति "अभिज्ञात हो" तक सभी निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ का उपखंड (ट) और (ठ) निकाल दिया जाय।

उपखंड (ट) में विश्वविद्यालय के अध्यापक की परिभाषा दी गयी है और (ठ) में संबद्ध महाविद्यालय के अध्यापक की परिभाषा दी गयी है। लेकिन अध्यापक की जो परिभाषा है वह (ञ) में दी गयी है उसमें दोनों परिभाषायें आ जाती हैं। आप अध्यापक की परिभाषा देखें "अध्यापक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिये शिक्षण देने अथवा अनुसंधान कार्यों के संचालन अथवा निर्देशन के लिये विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा नियोजित किया गया है।

तो "अध्यापक" में भी यह लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा नियोजित किया गया हो, और "विश्वविद्यालय का अध्यापक" में भी लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया हो, और जिसे विश्वविद्यालय से वेतन

मिलता हो"। इसी तरह से "सम्बद्ध महाविद्यालय का अध्यापक" की परिभाषा में यह है कि "ऐसा अध्यापक जो सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया हो और जिसे उस महाविद्यालय से वेतन मिलता हो।" तो नियुक्त किया गया हो या नियोजित किया गया हो, इन दोनों का एक ही अर्थ है और इस तरह से मैं समझता हूं कि अध्यापक की परिभाषा में दोनों परिभाषायें आ जाती हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया हो और सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया हो, इसे निकाल दिया जाय। क्योंकि अध्यापक के लिए दो परिभाषायें नहीं होनी चाहिये। एक ही अध्यापक की परिभाषा से काम चल जायगा। विश्वविद्यालय के अध्यापक से अपनी जगह असली में अध्यापक का अर्थ निकल जाता है इसलिये अलग से इसकी परिभाषा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उपखंड (ट) और (ठ) निकाल दिया जाय।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। और मैं नहीं समझता कि इस भवन का ज्यादा समय लूं। इन तीनों परिभाषाओं की आवश्यकता अपने-अपने स्थान पर है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--श्रीमन्, जो बातें मैंने कहीं उसका उत्तर तो उन्होंने दिया नहीं और इसका विरोध कर रहे हैं तो मैं वापस ले लेता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी उस परिभाषा को देख लेते तो अच्छा होता। लेकिन अगर उनकी इच्छा है तो मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

विश्वविद्यालय

३--(१) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति, प्रतिकुलपति तथा उपकुलपति और विश्वविद्यालय की शिष्टपरिषद्, कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत्परिषद् के प्रथम सदस्यगण और ऐसे समस्त व्यक्ति, जो एतत्पश्चात् ऐसे पदाधिकारी अथवा सदस्य बनें, उस समय तक के लिये जब तक कि वे उक्त पद पर अथवा सदस्य बने रहें, एतत्द्वारा (hereby) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित संस्था (body corporate) संघटित किये जाते हैं।

(२) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार (perpetual succession) होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और इसी नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

४--ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये, जिनकी इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन व्यवस्था की जाय विश्वविद्यालय के अधिकार निम्नलिखित होंगे, अर्थात्--

(१) संस्कृत, पाली, प्राकृत विद्या तथा अन्य संबद्ध विषयों में उपाधियां, उपाख्यायें (diplomas) तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टतायें स्थापित करना (institute);

(१—क) उनके लिये शिक्षण की व्यवस्था करना तथा परीक्षायें आयोजित करना तथा ऐसे व्यक्तियों को उपाख्यायें और विशिष्टतायें प्रदान अथवा सम्प्रदान करना जो नियत प्रतिबंधों को पूरा करते हों ;

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट परीक्षाओं स भिन्न ऐसी परीक्षायें स्थापित करना (institute), जिन्हें विश्व-विद्यालय उचित समझे और उन परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित करना, उनका आयोजन करना तथा उनके परीक्षा-फल के आधार पर प्रमाण-पत्र (certificates) देना;

(३) परिनियमों में निर्दिष्ट रीति से स्वीकृत (approve) व्यक्तियों को सम्मान्य उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टतायें (honorary degrees or other distinctions) प्रदान करना;

(४) दान अथवा न्यास (gift or trust) के रूप में प्राप्त ऐसी संपत्ति अथवा निधियां ग्रहण करना जो उसे दी जायं, तथा दान अथवा न्यास की शर्तों के अनुसार उन पर कब्जा रखना, उनका प्रयोग करना तथा उनका हिसाब किताब रखना (hold, use and keep account of) ;

(५) ऐसे शुल्कों (fees) की मांग करना तथा उन्हें प्राप्त करना, जो इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन नियत किये जायं ;

(६) सरस्वती भवन पुस्तकालय (Saraswati Bhavan Library) का संधारण ;

(६—क) संस्कृत तथा सम्बद्ध विषयों की ग्रंथ सूची (bibliography of literature) रखना तथा अनुसंधान संबंधी निबन्ध (research papers) प्रकाशित करना;

(७) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन नियत रीति से विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन पदों (teaching posts) का स्थापित करना (institute) तथा इन पदों पर नियुक्तियां करना;

(८) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार परिषद वृत्तियां (fellowships), छात्रवृत्तियां (scholarship), निर्धन-छात्रवृत्तियां (bursaries), पुरस्कार (prizes) तथा पदक (medals) स्थापित करना और प्रदान करना ;

(९) विश्वविद्यालय के छात्रों के रहने के लिये छात्रावासों का संधारण तथा विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के रहने के लिये ऐसे छात्रावासों को अभिज्ञात (recognized) करना जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न हों;

(१०) अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के साथ ऐसी रीति से सहयोग करना जिसे विश्वविद्यालय निर्धारित करे तथा अन्य समस्त ऐसी बातों और कार्यों का करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के प्रयोजन से अपेक्षित हों।

संस्थाओं को सम्बद्ध करना।

५—विश्वविद्यालय भारत के किसी भी राज्यक्षेत्र (territory) में स्थित संस्थाओं को सम्बद्ध (affiliate) कर सकता है और ऐसे राज्य क्षेत्र के अथवा विदेश के अध्यापकों को अभिज्ञात (recognize) कर सकता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) की १ पंक्ति में शब्द "प्राकृत विद्या" के पश्चात् शब्द "हिन्दी" बढ़ा दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, पहले जो विधेयक प्रस्तुत हुआ था तो उसमें धारा ४ में केवल इस प्रकार था "संस्कृत विद्या तथा सम्बद्ध विषयों में उपाधियां तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टतायें स्थापित करना"। लेकिन प्रवर समिति ने ये दो शब्द और बढ़ा दिये हैं "पाली, प्राकृत"। तो मैं चाहता हूं कि जो बढ़ाया गया वह तो उचित ही हुआ, लेकिन इसके साथ ही इसके पश्चात् "हिन्दी" भी बढ़ा दिया जाय। हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। वैसे और विश्वविद्यालयों में हिन्दी में लोग एम० ए० की डिग्री प्राप्त करते हैं।

श्री अध्यक्ष—आपका संशोधन यह है कि "प्राकृत विद्या" के बाद स्वल्प विराम भी हो ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—प्राकृत विद्या के बाद शब्द "हिन्दी" बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—हिन्दी के बाद कामा रहेगा या नहीं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—हां, कामा रहेगा। आजकल हिन्दी में कुछ संस्थायें उपाधियां प्रदान करती हैं 'साहित्यरत्न और विशारद' आदि, मैं समझता हूं कि संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा इस हिन्दी को भी गौरवान्वित किया जाय तो अच्छा होगा, हिन्दी के कुछ डिप्लोमा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा दिये जायं इससे हिन्दी का भी और विश्वविद्यालय का भी गौरव बढ़ेगा। जिस प्रकार से संस्कृत से पाली या प्राकृत बनी हैं उसी प्रकार से हिन्दी भी संस्कृत से ही निकली है, हिन्दी की भी जननी संस्कृत ही है। मैं समझता हूं इसको स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये और यह एक उचित बात प्रतीत होती है कि हम हिन्दी की भी उपाधियां संस्कृत महाविद्यालय के द्वारा प्रदान करें। मैं समझता हूं कि इसके लिये विशेष कुछ कहने की जरूरत नहीं है और यदि हिन्दी के स्तर को ऊंचा किया जाय और हिन्दी जो हमारी राष्ट्रभाषा है उसकी अनुकूलता को देखकर उसके ऊपर उठाया जाय तो यह कार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा अधिक अच्छा हो सकता है। अंग्रेजी विश्वविद्यालय में हिन्दी को जितना स्थान प्राप्त होना चाहिये वह प्राप्त करना जरा कठिन है, यद्यपि वहां हिन्दी पढ़ाई जाती है, डिग्रियां भी मिलती हैं, लेकिन अगर अंग्रेजी कालेजेज के बजाय हिन्दी को संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा जाय तो उसके लिये वहां उपयुक्त और सुन्दर स्थान होगा। इसी आशय से यह संशोधन रखा गया है और माननीय शिक्षा मंत्री जी इसे स्वीकार कर लें तो अच्छा है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मान्यवर, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और विरोध इसलिये करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मौर्य जी को थोड़ा सा भ्रम है। उन्होंने एक बात कही जो बहुत कुछ सही नहीं है कि संस्कृत से बिगड़ कर पाली और प्राकृत बनी हैं। यह एक ऐसी चीज है कि जो आन इट्स वेरी फेस गलत है। अभी तो यह निश्चय ही नहीं हो पाया है और विद्वान यह बात जानने की चेष्टा कर रहे हैं कि प्राकृत पुरानी भाषा है या संस्कृत और पहले संस्कृत थी या पाली, और किस से कौन सी बनी है और जो

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

ग्रंथ उपलब्ध हैं उनके विषय में निर्णय नहीं हो पाया है। यहां प्रश्न यह है कि क्या हिन्दी संस्कृत विश्वविद्यालय में एक विषय हो सकता है, जो सम्बद्ध विश्वविद्यालय हैं उनमें हिन्दी हो सकती है, लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय में हिन्दी के अलावा बहुत से विषय भी होने चाहिये उसके लिये सब कुछ हो लेकिन संस्कृत के साथ पाली और प्राकृत का जोड़ना नितांत स्वाभाविक है, और उनकी परम्परा और लाइन का एक जोड़ मिल सकता है जो पहले टूट गया था और उसका जोड़ना उचित और वांछनीय भी है। इसका निर्णय बाद में होता रहे कि कौन पहले थी और कौन बाद की है और इन तीनों को मिलाकर अगर हम बढ़ाते जायेंगे तो प्राचीन लिपियों से लेकर आजकल के विषयों का ज्ञान तो हो ही सकेगा। लेकिन मैं मौर्य जी से निवेदन करूंगा कि हिन्दी के प्रति जो उनका अनुराग है वह उचित ही है, होना चाहिये, लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ हिन्दी जोड़ने से और दूसरे विषय जोड़ने की बात भी आ सकती है। इससे संस्कृत की परम्परा पूरी नहीं होती। संस्कृत के साथ पाली और प्राकृत के अलावा कोई चीज नहीं जोड़नी चाहिये। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा है कि मौर्य जी इसे वापस ले लेंगे।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---श्रीमन्, मैं भी मौर्य जी के संशोधन का विरोध करता हूं। मैं यद्यपि परिपूर्णानन्द जी की बात से सहमत नहीं हूं लेकिन यह मैं समझता हूं कि इस विश्वविद्यालय के बनाने का जो उद्देश्य है उसमें हिन्दी नहीं आती। अगर यही मान लिया जाय कि संस्कृत से हिन्दी निकली है तो संस्कृत से और भी बहुत सी भाषायें निकली हैं और उनकी व्यवस्था भी इस विश्वविद्यालय में करनी पड़ेगी। इसलिये मेरी राय में यह जो लिखा है संस्कृत, पाली और प्राकृत विद्या यही शब्द काफी हैं और इसके साथ हिन्दी को नहीं जोड़ना चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह---मैं भी इसका विरोध करता हूं और कारण वही हैं जो बतलाये जा चुके हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

***श्री नारायणदत्त तिवारी**---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिये जायं---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं तथा एतदर्थ अभिज्ञात (recognized) किसी ऐसी संस्था के ऐसे अध्यापकों अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों को छोड़ कर, जो नियत की जाने वाली शर्तों को पूरा करते हों, किसी भी व्यक्ति को तब तक कोई उपाधि न दी जायेगी जब तक कि वह व्यक्ति उक्त उपाधि के लिये अभिप्रेत शिक्षण-पाठ्यक्रम (course of study) लेने के पश्चात् विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध कालेज द्वारा उस परीक्षा के लिये प्रस्तुत न किया जाय।"

श्रीमन्, जब यह विधेयक पहले यहां प्रस्तुत किया गया था शुरू में तो उसमें इस बात की गुंजाइश थी कि महिलाओं तथा और लोग जो प्राइवेटली पढ़े हों और जो किसी शिक्षण संस्था में कोई अध्यापक हों तो वे भी प्राइवेटली विश्वविद्यालय में इम्तिहान दे सकें, लेकिन अब इस सारी विधि को स्पष्ट कर दिया गया और जो नया खंड १ रक्खा गया है उसमें इस प्रकार लिखा है "संस्कृत, पाली, प्राकृत विद्या तथा अन्य संबद्ध विषयों में उपाधियां (डिप्लोमे), उपाख्यायें तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टायें स्थापित करना और ऐसी उपाधियों, डिप्लोमों अथवा विशिष्टताओं के लिये शिक्षण की व्यवस्था तथा परीक्षाओं का आयोजन करना तथा ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमें और विशिष्टताएं प्रदान अथवा सम्प्रदान करना जो नियत शर्तों को पूरा करते हों।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियत प्रतिबन्ध क्या होंगे यह इसमें स्पष्ट है। मैं चाहता हूं कि ऐक्ट में ही साफ कर दिया जाय। महिला परीक्षार्थी को नियत शर्त पूरा करने वाले परीक्षार्थी और नियत शर्तें पूरा करने वाले अध्यापकों को प्राइवेटली इम्तिहान देने का अधिकार दिया जायगा ? इस बात को मैं विधेयक में ही साफ करना चाहता हूं ताकि आगे चल कर यह अधिकार समाप्त न हो जाय। इसलिये स्पष्टोक्ति के लिये मैं यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री हरगोविन्द सिंह---मुझे यह संशोधन मंजूर नहीं है। कारण यह है कि रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस में औरतों और टीचर्स को छोड़ कर प्राइवेट कैंडिडेट्स को इसमें इस बात की सुविधा नहीं दी गई है कि वे बैठ सकें और मैं समझता हूं कि वह ठीक भी नहीं होगा कि इन दो को छोड़ कर और दूसरों को सुविधा दी जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---माननीय नारायणदत्त जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वास्तव में इस संशोधन की आवश्यकता इसलिये है कि और विषयों में तो हमारी कई यूनिवर्सिटियां हैं। हमारे प्रदेश में ही ५ यूनिवर्सिटियां हैं और संस्कृत विश्वविद्यालय जो हमारे प्रदेश में शायद देश भर में पहले-पहल प्रारम्भ होने वाला है तो इस सूरत में यह शर्त लगा देना कि जो लोग प्राइवेटली पढ़ कर पाठ्यक्रम में निश्चित इम्तिहान देना चाहते हैं,परीक्षायें देना चाहते हैं चाहे वे महिलायें हों या कोई भी उनको सुविधा नहीं दी जायगी यह मुनासिब नहीं होगा। अभी माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा जी ने इस बिल का समर्थन करते हुए कहा कि हमारे देश में ऐसे ऐसे विद्वान् हैं और गणित के विद्वान् की उपमा दी जो ट्रेन में बिल्कुल सीधे सादे ढंग से चले जा रहे थे उन्होंने विलायत के एक मेथेमिटीशियन की समस्या हल कर दी। तो ऐसी हालत में और जब कि एक विश्वविद्यालय में हम उन तमाम विद्वानों का समावेश नहीं कर सकते, उनकी नियुक्ति नहीं कर सकते तो अब संस्कृत के या विभिन्न विषयों के विद्यालयों के अन्दर शिक्षा प्राप्त करके और कोई परीक्षा जो संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है तो उसमें उनको यह मौका दे दिया जाय तो मैं समझता हूं कि नितान्त उचित होगा। उसका कारण यही है कि और विद्वानों को पढ़ने के लिये साधन हैं, लेकिन जो ऊंची से ऊंची संस्कृत पढ़ने वाले विद्वानों को भी कम से कम डिप्लोमा और डिग्री के साधन नहीं थे जो कि तमाम राज्य सरकारों द्वारा या प्रदेशीय सरकार द्वारा स्वीकृत हो सके। तो ऐसी हालत में जब विद्वानों की कमी नहीं है और हमारे देश में सैकड़ों मौजूद हैं जिनको कि हम इस विद्यालय में जगह देंगे उनसे भी ज्यादा विद्वान हैं, लेकिन हम उनको ले नहीं सकते और उनको मौका नहीं दे सकते। तो ऐसी हालत में और जगह तो कठिनाई हो सकती है और विश्वविद्यालयों में लेकिन इस विश्वविद्यालय में कोई भी परीक्षार्थी चाहे महिला हो, चाहे प्राइवेट तरीके पर, इम्तहान पास करने पर ही योग्यता अनुसार डिप्लोमा दिया जायगा। कोई प्राइवेट इम्तहान देना चाहेगा तो इसके माने तो नहीं कि उसकी कापी नहीं जांची जायगी। तो अगर ऐसे साधन उपलब्ध हो सकते हैं और लोग उनको पढ़ावें, नियमित छात्रों से भी ज्यादा योग्यता रखते हों और परीक्षा में भी पास हो जायं, तो मैं नहीं समझता क्यों शिक्षा मंत्री को कोई एतराज हो सकता है और अभी मंत्री जी ने कहा भी कि ऐसे सुझाव का हम स्वागत करेंगे जो इसकी यानी संस्कृत की प्रगति में सहयोग प्रदान करता हो। तो इसलिये उन्हें इस संशोधन को तो मान लेना ही चाहिये।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं। इसका अर्थ यह है कि प्राइवेटली कोई भी विद्यार्थी सिवाय महिलाओं को छोड़ कर परीक्षा में नहीं बैठ सकते। संशोधन इस प्रकार है---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं तथा एतदर्थ अभिज्ञात (recognized) किसी ऐसी संस्था के ऐसे अध्यापकों अथवा ऐसे व्यक्तियों को छोड़ कर, जो नियत की जाने वाली शर्तों को पूरा करते हों, किसी भी व्यक्ति को तब तक

[श्री रतनलाल जैन]

कोई उपाधि न दी जायेगी जब तक कि वह व्यक्ति उक्त उपाधि के लिये अभिप्रेत शिक्षण-पाठ्य-क्रम (course of study) लेने के पश्चात् विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध कालेज द्वारा उस परीक्षा के लिये प्रस्तुत न किया जाये ।"

यह अर्थ हुआ कि किसी भी व्यक्ति को अगर विश्वविद्यालय या सम्बद्ध कालेज भेजे तभी वह परीक्षा में बैठ सकता है सिवाय महिलाओं को छोड़ कर या टीचर्स को छोड़ कर । तो इसके माने यह हुए कि मान लिया जाय काशी विश्वविद्यालय है अगर कोई दूसरी जगह से, मथुरा या लखनऊ से ही प्राइवेटली परीक्षा में बैठना चाहे तो अगर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है तो परीक्षा में नहीं बैठ सकता । मैं समझता हूं क्योंकि हम संस्कृत को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि जितनी भी इसकी शिक्षा बढ़े और जितने भी इसमें शिक्षा लेने आवें, जितना भी लोगों का उत्साह बढ़े, उतना ही अच्छा है । तो उस उत्साह को बढ़ाने के लिए मैं यह उपयुक्त समझता हूं कि कोई भी बन्धन किसी प्रकार का भी न हो जब तक कि हमारे यहां संख्या विद्यार्थियों की बहुत काफी न बढ़ जाय । आज तो संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी ही बहुत कम हैं और अगर आगे लोग आते हैं, अगर कभी परिस्थिति ऐसी हुई जैसी कि इंटरमीडिएट या मैट्रीकुलेशन बोर्ड की है तब तो दशा दूसरी होगी, परन्तु जब तक विद्यार्थी काफी संख्या में आते ही नहीं हैं तब तक कोई ऐसा बन्धन लगाना उचित नहीं जान पड़ता । इसलिए मैं आपके प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, माननीय रतनलाल जैन को मैं बधाई देता हूं । उन्होंने मेरा समर्थन करने का एक नया तरीका निकाला । यह कह कर शुरू किया कि वह उसका विरोध करते हैं, लेकिन वास्तव में मंत्री जी का विरोध किया क्योंकि मैंने तो आपसे इजाजत चाही थी कि मैं चार शब्दों को बढ़ा लूं, मैं अगर अपने संशोधन को दुबारा पढ़ दूं तो शायद माननीय जैन जी का भाव स्पष्ट हो जायगा--- "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं तथा एतदर्थ अभिज्ञात किसी ऐसी संस्था के ऐसे अध्यापकों अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों को छोड़ कर जो नियत की जाने वाली शर्तों को पूरा करते हों" । तो इसमें प्राइवेट लोग भी आ गए । तो मैं तो बिलकुल जो बात जैन जी ने कही उनसे पूर्णतया सहमत हूं और इसी लिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया क्योंकि जिस प्रकार मूल विधेयक है उसमें यह बात स्पष्ट नहीं होती कि प्राइवेटली जो लोग बैठना चाहते हैं संस्कृत विश्वविद्यालय की परीक्षा में वह कैसे बैठ पायेंगे । माननीय मंत्री जी को स्वयं अभी माननीय सदस्यों ने सुना होगा कि उन्होंने स्वयं कहा कि वह नहीं चाहते कि प्राइवेटली लोग बैठें । केवल वही लोग बैठ सकते हैं, केवल उन्हीं को वह चाहते हैं बैठें जो कि अध्यापक हों । यानी माननीय जैन साहब की मंशा के बिलकुल विरुद्ध माननीय मन्त्री जी की राय है कि केवल अध्यापक ही प्राइवेटली बैठ सकें और कोई न बैठ सके जबकि मेरे संशोधन का मंतव्य यह है कि सभी लोग नियत शर्तों को पूरा करें वह प्राइवेटली बैठ सकें, महिलाएं भी बैठ सकें और नियत रीति को पूरा करने वाले अध्यापक भी बैठ सकें ।

अब जो माननीय मन्त्री जी ने तर्क दिया वह भ्रामक है । इसको साफ करने के लिए मैं आपका ध्यान खंड ५ की ओर दिलाऊंगा । खंड ५ में माननीय मंत्री जी अधिकार मांगते हैं कि विश्वविद्यालय भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में स्थित संस्थाओं को सम्बद्ध कर सकता है और ऐसे राज्य क्षेत्र के अथवा विदेश के अध्यापकों को अभिज्ञात कर सकता है तथा वहां के अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षाओं में बैठने के लिए अनुमति दे सकता है यानी इस विधेयक में इस प्रकार का भी प्राविजन किया गया है कि जो हिन्दुस्तान के बाहर का कोई स्टूडेंट अगर प्राइवेटली बैठना चाहे तो वह इम्तहान में बैठ सकता है । अब आप यह सोचिये कि यूगांडा में, कीनिया में या पेरू, चाइल, ब्राजील या यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका या इटली से अगर कोई बैठना चाहता है.....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डाक्टर सीताराम---उसके नीचे भी पढ़ लीजिए ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---नीचे अलग बात है, आप जरा दुबारा फिर पढ़ लीजिए ।

तो अगर कोई विद्यार्थी वहां से प्राइवेटली अपियर होना चाहता है तो अपियर हो सकता है । तो आप अब सोच लें श्रीमन् कि अगर कोई विद्यार्थी कीनिया में बैठा हुआ है या साउथ अफ्रीका में है या ट्रिनीदाद की इंडियन कालोनी में से इम्तहान में बैठना चाहता है तो वह कैसे अपियर होगा । हमें तो इसमें इस मंतव्य को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि हम प्राइवेट कैंडीडेट्स को भर्ती कराने की गुंजाइश साफ साफ विधेयक में रखें । अगर हमने प्राइवेट कैंडीडेट को एक्सक्लूड कर दिया तो किस प्रकार हम फिर खंड ५ के मंतव्य को पूरा कर सकेंगे कि किस प्रकार हिन्दुस्तान के बाहर वाले अभ्यर्थी भर्ती हो सकेंगे । इसलिए जिस प्रकार विधेयक है उसके मंशा को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाय और माननीय जैन जी ने जो कुछ कहा है उसको भी स्वीकार किया जाय ।

श्री हरगोविन्द सिंह---जरा, मैं समझता हूं लोगों को भ्रम हो गया है एक तो यह कि जो खंड ५ की बात की तो उसमें कोई हिन्दुस्तान के बाहर वाला आदमी अपीयर नहीं हो सकता। यह उसमें ही दिया हुआ है---"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी संस्था को सम्बद्ध नहीं करेगा, अथवा भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित तथा सरकार द्वारा संधारित किसी अध्यापक को अभिज्ञात न करेगा जब तक कि सम्बद्ध सरकार एतदर्थ संस्तुति न करे ।" तब यह इंडिया के बाहर का नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अभ्यर्थियों के लिए पढ़िये महाराज । अभ्यर्थियों के लिए ऐसा नहीं है । राज्य सरकार की अनुमति से अभ्यर्थी नहीं आयेंगे ।

श्री हरगोविन्द सिंह---पहले जो बिल बना था उसमें यह सोचा गया था कि जैसे बिलों में था कि सिर्फ टीचर्स को रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के, और महिलाओं को उसमें बैठने का प्राइवेटली प्रोवाइड किया जाय, लेकिन ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में यह निकाल दिया गया, इसलिए नहीं कि प्राइवेटली बैठने नहीं दिया जायगा, बल्कि इसलिए कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं जैसे हमारे सरस्वती भवन में लाइब्रेरी में काम करने वाले व्यक्ति और इस तरह से लाइब्रेरियन वगैरा का मामला था, इसलिए यह रखा गया था । अब इसको निकाल करके प्रेस्क्राइब कर दिया जायगा और वही लोग आ सकेंगे । तो इसमें कोई भ्रम की बात नहीं है और न यह मतलब कि रखा जायगा या नहीं रखा जायगा । यह मैंने कहा कि पहले बिल में यह प्रोवाइड किया गया था कि सिवाय औरतों और ऐसे अध्यापकों के और कोई उस एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो सकता, और अब यह कर दिया गया कि प्रेस्क्राइब कर दिया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि इस खंड के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिये । पहले कहा गया कि अध्यापकों के अलावा किसी को बैठने का मंशा नहीं है और खंड ५ का इंटरप्रिटेशन जो दिया वह सही दिया है या नहीं, इसके आधार पर सफाई हो जानी चाहिये । नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जायगी । खं० ५ में जो विदेश के या किसी दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति होना जरूरी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---वह तो खंड ५ जब आयेगा तब किया जायगा । ४ जो इस वक्त सामने मौजूद है उस पर सफाई जरूर कर सकते हैं कि इसके शब्द के अर्थ क्या यह हो सकते हैं कि जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं वह किन्हीं शर्तों के पूरा करने पर परीक्षा में बैठ सकते हैं, इसके

[श्री अध्यक्ष]

बारे में सफाई के लिये सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री स्पष्ट कर दें कि खंड ४ में प्राइवेट शिक्षार्थी परीक्षा देने के अधिकारी हो सकते हैं किसी शर्त के पूरा करने पर ?

श्री हरगोविन्द सिंह---वह तो प्रेस्काइब होगा। वह तो सब निकाल दिया गया ४ (क) से लेकर.....

श्री अध्यक्ष---"उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा परीक्षायें आयोजित करना तथा ऐसे व्यक्तियों को उपाख्यायें और विशिष्टतायें प्रदान अथवा सम्प्रदान करना" इसका अर्थ क्या है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह सब निकाल करके उनके लिए "ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमें और विशिष्टतायें प्रदान अथवा सम्प्रदान करना जो नियत शर्तों को पूरा करते हों," यह रखा जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जरा साफ नहीं है, इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री हरगोविन्द सिंह---कोई चीज ऐसी है नहीं जो साफ न हुई हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव यह है कि अब पांच बज रहे हैं, इसलिये इसको स्थगित कर दिया जाय। कल हम देख लेंगे। इसमें कुछ इधर उधर करना है।

श्री अध्यक्ष---यह साफ होना चाहिये, मैं राय किस विषय पर लूं इसमें कंफ्यूजन है। मैं समझता हूं कि अब दो चार मिनट ही रह गये हैं। कल इसके ऊपर जरा स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये नहीं तो राय लेने में दिक्कत होगी। लोगों को शब्दावली से भ्रम होता है कि इसमें प्राइवेट विद्यार्थी आते हैं या नहीं।

श्री हरगोविन्द सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह ठीक है। मेरी समझ में कोई दिक्कत नहीं मालूम होती है अगर दोनों को मिला कर पढ़ें। "ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये जिनकी इस अधिनियम द्वारा अथवा उनके अधीन व्यवस्था की जाय। विश्वविद्यालय के अधिकार निम्नलिखित होंगे, अर्थात् उनके लिये शिक्षण की व्यवस्था करना तथा परीक्षायें आयोजित करना तथा ऐसे व्यक्तियों को उपाख्यायें और विशिष्टितायें प्रदान अथवा सम्प्रदान करना जो नियत प्रतिबन्धों को पूरा करते हों।"

श्री अध्यक्ष---इसका मतलब यह है कि आपने इसे व्यापक बना दिया और यह स्पष्ट किया कि महिलाओं को छोड़ कर और लोग भी बैठ सकते हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह---इसमें किसी को नहीं रखा। बाद में जब हम रूल्स बनायेंगे तो जैसे चाहें रखेंगे।

श्री अध्यक्ष---इसमें पावर दी गई है सरकार को ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यही तो एक्सप्लेन करने की बात है।

श्री हरगोविन्द सिंह---मेरी समझ में ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये जिनकी इस अधिनियम द्वारा अथवा उनके अधीन व्यवस्था की जाय विश्वविद्यालय के अधिकार निम्नलिखित होंगे, अर्थात् उनके लिये शिक्षण की व्यवस्था करना तथा परीक्षायें आयोजित करना, इसमें कौन लोग आयेंगे यह इसका मतलब हुआ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं उदाहरण देकर कि जब पंचायत राज पेश था तो कहा गया था नियत पंचों के लिए उम्र की कैद नहीं होगी। लेकिन इस तरह से नियत किया जाय शब्द रख कर बाद में यह रखा गया कि पढ़े लिखे लोग हों और ३० वर्ष की अवस्था हो। इस तरह से नियम बना लिया गया माननीय सदस्यों की मर्जी के खिलाफ। इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट नहीं हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, मैं स्पष्ट हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं अध्यक्ष से बात कर रहा हूं।

श्री हरगोविन्द सिंह--आपने कहा कि मैं स्पष्ट नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष--(शिक्षा मंत्री से) उनको कह लेने दीजिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--सवाल यह है कि कोई भी विद्यार्थी प्राइवेट हो या किसी संस्था में पढ़ता हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। देश का रहने वाला हो या विदेश का रहने वाला हो। नारायणदत्त जी का मतलब यह है कि उसको इम्तहान देने की इजाजत होनी चाहिये। माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें प्राइवेट बैठने वाले विद्यार्थियों के सवाल को।

श्री अध्यक्ष--वह स्पष्ट करें या न करें उनका अधिकार है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--हम वोट कैसे करेंगे। पंचायत राज में हमने समझा कि पंचों के लिये उम्र की कैद नहीं होगी। लेकिन सदस्यों की मंशा के विरुद्ध हो गई।

श्री अध्यक्ष--(श्री रामनारायण त्रिपाठी से) अब आप जरा कृपा करके बैठ जाइये। अब वैसे ही पांच बजने वाले हैं। सिर्फ इसके ऊपर राय लेने का सवाल है, कल मैं ले लूंगा। अगर कोई नई चीज दिखाई पड़ जाय जिसका अर्थ विपरीत होता हो तो स्पष्टीकरण फिर से मंत्री कर दें नहीं तो उनका कहना यह है कि इस विधेयक के खंडों में गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया है कि कोई प्रतिबन्ध न लगाते हुये भी इस खंड द्वारा उन्हें अधिकार है कि वह नियम कर दें कि प्राइवेट तौर से भी विद्यार्थी इम्तहान दे सकते हैं। लेकिन बैठने के बारे में शर्त क्या होगी, वह नियमों में वह समझते हैं कि दे दिया जावेगा।

उनका स्पष्ट कहना है कि नियम बनाने का इस तरह का अधिकार इसमें उनको प्राप्त है। आप इस दृष्टि से इसको देख लें और यदि कल उसमें लगता हो कि ऐसा नहीं है तो आप अपने प्रस्ताव को प्रेस करें और उसके ऊपर मैं वोट ले लूंगा। यानी बोलने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि आपके कहने पर कि आप संशोधन को प्रेस करते हैं मैं उसके ऊपर वोट ले लूंगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२४ जुलाई, १९५६

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२४ पर)

सामूहिक श्रवण योजना के अन्तर्गत जिला जौनपुर में दिये गये रेडियो सेटों की सूची

क्रमांक	संरक्षक का नाम व पता
	ग्राम सभायें
१	श्री रामकरण पांडे, प्रधान गांव सभा, उदयभानपुर, डाकखाना शकरगंज, जिला जौनपुर।
२	श्री कुमार शंभू शर्मा, प्रधान गांव सभा, घघरिया, पोस्ट बरहत्ता, जिला जौनपुर।
३	श्री भगवती प्रसाद, प्रधान गांव सभा, मगरसा, डाकखाना बरथुर, जिला जौनपुर।
४	श्री बलदेव प्रसाद, प्रधान गांव सभा, बेलापार, डाकखाना बक्सा, जिला जौनपुर।
५	श्री देवीशरण सिंह, प्रधान गांव सभा, उटसकला, डाकखाना सरायखास, जिला जौनपुर।
६	श्री राममनोहर सिंह, प्रधान गांव सभा, नहोरा, पोस्ट नहोरा, जौनपुर।
७	श्री राजपत सिंह, प्रधान गांव सभा, जयसिंहपुर, पोस्ट मड़ियाहूं, जौनपुर।
८	श्री भगवती दीन, प्रधान गांव सभा, चन्दौकी, पोस्ट रामनगर, जौनपुर।
९	श्री देवी दास गुप्ता, प्रधान गांव सभा, सुदनिपुर, पोस्ट मड़ियाहूं, जौनपुर।
१०	श्री रमेश चन्द्र सरपंच, प्रधान अध्यापक, भीखपुर, पोस्ट मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर।
११	श्री लालजी, प्रधान गांव सभा, मुफ्तीगंज, पोस्ट मुफ्तीगंज, जौनपुर।
१२	श्री राजपति पाठक, प्रधान गांव सभा, मल्हना, पोस्ट सराय ख्वाजा, जौनपुर।
१३	श्री पूरन तथा हमीद उल्ला खां, प्रधान गांव सभा, बंजारेपुर, पोस्ट गौरा बादशाहपुर, जौनपुर।
१४	श्री संतराम त्रिपाठी, प्रधान गांव सभा, रुधौली, पोस्ट रुधौली, जौनपुर।
१५	श्री हरिप्रसाद गुप्ता, प्रधान गांव सभा, अरसिया, पोस्ट अरसिया, जौनपुर।
१६	श्री जोखई राम गुप्त, प्रधान गांव सभा, सरोखन, पोस्ट बदलापुर, जौनपुर।
१७	श्री फतहबहादुर सिंह, प्रधान गांव सभा, कोइलारी, पोस्ट कोइलारी, जौनपुर।
१८	श्री गंगा प्रसाद सिंह, प्रधान गांव सभा, धांठा, पोस्ट परतही, जौनपुर।
१९	श्री राजेश्वरी प्रसाद, सरपंच प्रधान गांव सभा, बड़ागांव, पोस्ट मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर।
२०	श्री भगवानदास हलवाई, प्रधान गांव सभा, बनहरा, पोस्ट पटेला, जौनपुर।
२१	श्री राजनारायण राय, प्रधान गांव सभा, आरा, पोस्ट गौरा बादशाहपुर, जौनपुर।
२२	श्री गोविन्द केवट, प्रधान गांव सभा, बूढ़पुर, पोस्ट बड़ागांव, जौनपुर।
२३	श्री हरिहर प्रसाद सिंह, चेयरमैन गांव समाज, पाली, पोस्ट बरसटी, जौनपुर।
२४	श्री रामसुन्दर सिंह, सरपंच ग्राम सभा, बनकट लोडी, डाकखाना राजाबाजार, जौनपुर।
२५	श्री फौजदार सिंह, प्रधान ग्राम सभा, गौरा, डाकखाना गौरा, बादशाहपुर, जौनपुर।
२६	श्री हरिगेन तिवारी, प्रधान गांव सभा, शेरपुर, डाकखाना खुरहन, जौनपुर।
२७	श्री बिरजू केवट, प्रधान गांव सभा, एकडला, डाकघर सुइयाकलां, जौनपुर।

क्रमांक संरक्षक का नाम व पता

२८—श्री एच० अखतर अली, प्रधान ग्राम सभा, जगदहा, डाकखाना जंगहा, जौनपुर ।
२९—श्री राजबहादुर सिंह, प्रधान ग्राम सभा, आजापुर मझवा, डाकखाना गद्दोपुर, जौनपुर ।
३०—श्री रामराज कुर्मी, प्रधान गांव सभा, मकदूमपुर, डाकखाना नरेन्द्रपही, जौनपुर ।
३१—श्री कमरुद्दीन खां, प्रधान गांव सभा, अरंड, डाकखाना अरंड, जौनपुर ।
३२—श्री रामचन्द्र सिंह, प्रधान गांव सभा, खानापही, डाकखाना सिकराण, जौनपुर ।
३३—श्री राजपति सिंह, प्रधान गांव सभा, जग्गापुर, डाकखाना त्रिलोचन महादेव, जौनपुर ।
३४—श्री रामअवतार गुप्ता, प्रधान गांव सभा, खानपुर, डाकखाना सरायमोहदी, जौनपुर ।
३५—श्री रामकरन यादव, प्रधान ग्राम सभा, पाली, डाकखाना रामदयालनगर, जौनपुर ।
३६—श्री सीताराम त्रिपाठी, प्रधान ग्राम सभा, उपाध्यापुर, डाकखाना पहीनरेन्द्रपुर, जौनपुर ।

अन्य संस्थायें

३७—श्री आर० के० तिवारी, मंत्री, जिला सोल्जर्स बोर्ड, जौनपुर ।
३८—श्री ए० पी० श्रीवास्तवा, आनरेरी सेक्रेटरी, केन डेवलपमेंट यूनियन, शाहगंज, जौनपुर ।
३९—श्री गंगा बक्स सिंह, प्रधान अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, पांडेपुर, डाकखाना मुगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर ।

४०—श्री चौहरगा सिंह, कोआपरेटिव स्टोर, करसाना, डाकखाना करजा, जौनपुर ।
४१—श्री पूर्णमासी राम, सरपंच, कोआपरेटिव स्टोर मतहनी, डाकखाना सराय ख्वाजा, जौनपुर ।
४२—श्री अचल बिहारी लाल, कोआपरेटिव स्टोर, रानीपुर, डाकखाना रानीपुर, जौनपुर ।
४३—श्री रामनहारेमिश्र, व्यवस्थापक, प्राइमरी स्कूल विशुनपुर, डाकखाना रानीपुर, जौनपुर ।
४४—श्री रामनरेश सिंह, व्यवस्थापक, जूनियर हाई स्कूल, मढ़ी, डाकखाना चन्दबक, जौनपुर ।
४५—श्री काशी प्रसाद सिंह, व्यवस्थापक, जूनियर हाई स्कूल, चिटको, पोस्ट पतरई, जौनपुर ।
४६—श्री तिलक धारी सिंह, प्रधान अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, आर्यनगर, डाकखाना विशुनपुर, जौनपुर ।

४७—श्री बैजनाथ सिंह, प्रिंसिपल, हायर सेकेंडरी स्कूल, रतनपुर, डाकखाना चन्दबक, जौनपुर ।
४८—श्री महाबली उपाध्याय, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, रामनगर विध, डाकखाना कुतपुर, जौनपुर ।
४९—श्री दूधनाथ पांडे, प्रधान अध्यापक, सरकारी प्राइमरी स्कूल, खेतासराय, जौनपुर ।
५०—श्री देवीदास गुप्ता, अध्यक्ष, ग्रामोद्योग सर्वोदय संघ, सुदनीपुर, डाकखाना मड़ियाहूं, जौनपुर ।
५१—श्री कालीदीन, प्रधानाध्यापक, प्राइमरी स्कूल, सटवा, डाकखाना मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर ।
५२—श्री राममूर्ति ब्रह्मचारी, अध्यक्ष आदर्श ब्रह्मचारी औषधालय तथा बालमंदिर विद्यालय, कुन्डी, डाकखाना गुमलीगंज, जौनपुर ।
५३—श्री जगजीत दुबे, व्यवस्थापक, कुटीर उच्चतर महाविद्यालय, चक्के, डाकखाना मंझगवां, जौनपुर ।
५४—सूचना केन्द्र, जौनपुर ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १२२ एल० ए०—१९५६—७९६ ।